Vol. 270
No. 14

Monday,
09th March, 2026
18 Phalguna, 1947 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Obituary References (page 1 - 2)

Felicitations by the Chair (page 2 - 3)

Proclamation under article 356 of the Constitution— *Laid on the Table* (page 3)

Papers Laid on the Table (pages 3 - 7)

Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change — *Presented* (page 7)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj— *Laid on the Table* (page 8)

Regarding Notices Received Under Rule 267 and Other Issues (pages 8 - 10)

Statement by Minister–

Suo-moto statement on "The situation in West Asia" (page 10 - 16)

Matters raised with Permission–

Need for permanent conversion of Train No. 09639/09640 Madar (Ajmer)-Rohtak Special into a Daily Intercity Superfast Express (pages 16 - 17)

Demand for a direct new rail line from Nanded to Latur (pages 17 - 18)

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Concern over the increasing incidence of road accidents caused by drunk driving (pages 18 - 19)

Demand for conferment of the Bharat Ratna (Posthumous) on Late Shri Ratan Naval Tata (pages 19 - 20)

Demand for implementation of Reservation Policy in Government Departments for outsourced and contractual employment (pages 20-22)

Need to strengthen the *'Prashasan Gaon Ki Ore'* initiative for empowering rural women (pages 22-23)

Demand for Government intervention to curb the spread of fake low-denomination currency notes affecting the National Economy (pages 23-24)

Concern over theft and smuggling of India's Cultural Heritage and Antiquities (pages 24-25)

Concern over the rising levels of anemia and malnutrition among adolescent girls in Madhya Pradesh (pages 25-26)

Oral Answers to Questions (pages 26-67)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials]

Statement by Minister Correcting answer to Question– *Laid on the Table* (page 68)

Discussion on the Working of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (pages 69-124)

Special Mentions–

Need to recognize Neurofibromatosis Type 1 (NF1) under the National Policy for Rare Diseases (pages 124-125)

Need to mitigate the impact of urban heat waves and accelerate climate adaptation measures in Indian cities (pages 125-126)

Need to protect the integrity of India's R&D Ecosystem (page 126)

Website: http://rajyasabha.nic.in
https://sansad.in/rs
E-mail: rsedit-e@rss.sansad.in

Demand to open UDAN Yatri Cafes at departure-hold-area in all airports of the country (page 127)

Concern over road safety on national highways in the Union Territory of Jammu and Kashmir (pages 127-128)

Need for better safety standards in vehicles (pages 128-129)

Demand for a revolutionary change in Elder Care at national level (page 129)

Contents Page

RAJYA SABHA

Monday, the 9th March, 2026 / 18 Phalguna, 1947 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

OBITUARY REFERENCES

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, it is with profound sorrow that I refer to the passing away of Shriman Mukul Roy, Dr. Janardhan Waghmare and Shriman H.K. Dua, former Members of this House.

Shriman Mukul Roy passed away on the 23rd of February, 2026, at the age of 71 years. He served as a Member of the Rajya Sabha representing the State of West Bengal for two terms -- from 2006 to 2012 and from 2012 to 2017. Born on 17th April, 1954, at Kanchrapara in North 24 Parganas District of West Bengal, Shriman Mukul Roy entered public life at a young age and emerged as prominent political figure in his State and at the national level. Shriman Mukul Roy served as the Minister of Railways in the year 2012 and earlier as Minister of State in the Ministries of Shipping and Railways from 2009 to 2012 during his second term in this House. In this House, Shriman Roy served as Chairman of the Committee on Transport, Tourism and Culture. Shriman Mukul Roy evinced keen interest in social and cultural activities, and was closely associated with several community development initiatives including illiteracy eradication programmes. In the passing away of Shriman Mukul Roy, the country has lost an experienced parliamentarian and a dedicated public personality.

Dr. Janardhan Waghmare passed away on the 2nd of March, 2026, at the age of 91 years. He served as a Member of the Rajya Sabha representing the State of Maharashtra from April 2008 to April 2014. Born on 11th of November, 1934, at the village Kavtha in Latur District of Maharashtra, Dr. Waghmare was an eminent educationist, social reformer and distinguished parliamentarian. A prolific writer, Dr. Waghmare authored a number of books in Marathi, Hindi and English in the field of education, literature, social reform and philosophy. His literary contributions earned him several prestigious awards including the Maharashtra Bhushan Award and other honours from the Government of Maharashtra. Dr. Waghmare, inspired by the ideals of social justice and equality, worked tirelessly for the upliftment of *dalits* and other marginalized communities, and established a village named *Rashtriya Seva Gram* in the earthquake-affected region of Latur, where families from different castes were

Contents Page

encouraged to live together in harmony. In the passing away of Dr. Janardhan Waghmare, the country has lost a distinguished educationist, an accomplished author and a dedicated parliamentarian.

Shriman H.K. Dua passed away on the 4th of March, 2026, at the age of 88 years. He served as a nominated Member of this august House from 18th November, 2009 to 17th November, 2015. Born on the 1st of July, 1937, at Sargodha in Punjab, Shriman H.K. Dua was an eminent journalist and political commentator. Educated at Punjab University, he had a distinguished career in journalism, spanning several decades. Shriman H.K. Dua also rendered distinguished services in public life. He served as Press Advisor to two Prime Ministers — Shriman H.D. Devegowda and Shriman Atal Bihari Vajpayee — and later as Ambassador of India to Denmark from 2001 to 2003. During his tenure in the Rajya Sabha, he served on several Parliamentary Committees. A recipient of the Padma Bhushan, Shriman H. K. Dua, was honoured with several prestigious awards for excellence in journalism. His contributions to public discourse and to the strengthening of democratic values will be remembered with respect and admiration.

In the passing away of Shriman H. K. Dua Ji, the nation has lost a distinguished journalist, a thoughtful public intellectual and an able parliamentarian.

We deeply mourn the passing away of Shriman Mukul Roy, Dr. Janardhan Waghmare and Shriman H. K. Dua.

I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.

(Hon. Members then stood in silence for one minute.)

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy.

FELICITATIONS BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, yesterday was a moment of national pride, as the Indian cricket team won the prestigious ICC Men's T20 World Cup, defeating New Zealand cricket team in the final by a formidable margin at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. This victory marks India's third T20 World Cup triumph and, significantly, it is also a back-to-back title, with India having won the previous edition

Contents Page

as well. The achievement is even more historic as India has become the first host nation ever to win the ICC Men's T20 World Cup, making this accomplishment truly special for the country. ...*(Interruptions)*... The team's outstanding performance throughout the tournament has brought immense joy and pride to millions of cricket lovers across the country. ...*(Interruptions)*... On behalf of the House, I extend our heartiest congratulations to the players, the support staff and all those associated with Indian cricket for this outstanding achievement. The House wishes them continued success in the years to come.

MR. CHAIRMAN: Now, proclamation under Article 356 of the Constitution — Shri Nityanand Rai.

PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय): महोदय, मैं मणिपुर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घघोषणा को निरस्त करने वाली, संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अधीन उनके द्वारा 4 फरवरी, 2026 को जारी की गई उद्घघोषणा [का.आ. 509(अ)] की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notification of the Ministry of Petroleum and Natural Gas

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SURESH GOPI): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Notification No. G.S.R. 888(E)., dated the 9th December, 2025, publishing the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025, under Section 10 of the Oilfields (Regulations and Development) Act, 1948.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6544/18/26]

Notifications of the Ministry of Mines

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दूबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:–

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Mines Notification No. S.O. 5578(E)., dated the 3rd December, 2025, notifying Smt. Farida M. Naik, Joint

Contents Page

Secretary, Ministry of Mines as the administering authority, issued under clause (a) of Section 4 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6501/18/26]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Mines Notification No. G.S.R. 102(E)., dated the 3rd February, 2026, publishing the Offshore Areas Mineral (Prevention of Illegal Mining and Transportation) Rules, 2026, under sub-section (3) of Section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6499/18/26]

(iii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Mines, under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957:–

(1) S.O. 5602(E)., dated the 4th December, 2025, notifying M/s Siddharth Geo. Consultant under "Category 'A' Exploration Agency".

(2) S.O. 5603(E)., dated the 4th December, 2025, notifying M/s Shijay Projects India Private Limited under "Category 'A' Exploration Agency".

(3) S.O. 5604(E)., dated the 4th December, 2025, notifying M/s Deepsar Mineral Explorer under "Category 'A' Exploration Agency".

(4) S.O. 5692(E)., dated the 9th December, 2025, notifying M/s Geovale Services Pvt. Ltd. as 'Category A Exploration Agencies'.

(5) S.O. 5693(E)., dated the 9th December, 2025, notifying Geo Exploration and Mining Solution as 'Category A Exploration Agencies'.

(6) S.O. 5696(E)., dated the 9th December, 2025, notifying M/s Indian Mine Planners and Consultants as 'Category A Exploration Agencies'.

(7) S.O. 1(E)., dated the 1st January, 2026, notifying M/s Unised Research Consultants Private Limited under "Category 'B' Exploration Agency".

(8) S.O. 2(E)., dated the 1st January, 2026, notifying M/s Geotechnical Mining Solutions as 'Category B Exploration Agencies'.

(9) S.O. 8(E)., dated the 1st January, 2026, amending the Principal

Notification S.O. 3327(E), dated the 18th July, 2025.

(10) G.S.R. 22(E)., dated the 12th January, 2026, publishing the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2026.

(11) G.S.R. 71(E)., dated the 29th January, 2026, publishing the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2026.

(12) S.O. 881(E)., dated the 17th February, 2026, notifying M/s South West Pinnacle Exploration Limited under "Category 'A' Exploration Agency".

(13) S.O. 882(E)., dated the 17th February, 2026, notifying M/s H K & Associates under "Category 'A' Exploration Agency".

[Placed in Library. For (1) to (13), *see* No. L.T. 6500/18/26

(iv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Mines Notification No. S.O. 5699(E)., dated the 9th December, 2025, notifying the commencement of the provision of sub-clause (i) of clause (v) of Section 3 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 with effect from 09.12.2025, issued under sub-section (2) of Section 1 of the of the said Act.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6500/18/26]

Report (2024-25) of DDA, New Delhi and related papers

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 26 of the Delhi Development Act, 1957: -

(a) Annual Report of the Delhi Development Authority (DDA), New Delhi, for the year 2024-25.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

Contents Page

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6507/18/26]

I. Report and Accounts (2023-24) of AIAHL, New Delhi; HCIL, New Delhi; AIASL, New Delhi; and AAAL, New Delhi and related papers

II. Report (2024-25) of the Commission of Railway Safety, New Delhi and related papers

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँः–

I. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:–

(i) (a) Sixth Annual Report and Accounts of the AI Assets Holding Limited (AIAHL), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6392/18/26]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Hotel Corporation of India Limited (HCIL), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6393/18/26]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the AI Airport Services Limited (AIASL), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6394/18/26]

Contents Page

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Alliance Air Aviation Limited (AAAL), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6395/18/26]

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 10 of the Indian Railways Act, 1989 and Section 13 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act. 2002:–

(a) Annual Report of the Commission of Railway Safety, New Delhi, for the year 2024-25.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6397/18/26]

REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I present 405th Report (in English and Hindi) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2026-27) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

DR. M. DHANAPAL (Tamil Nadu): Sir, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj (2025-26) :–

(i) Twenty-fifth Report of the Committee on 'Demands for Grants (2026-27)' pertaining to the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development);

(ii) Twenty-sixth Report of the Committee on 'Demands for Grants (2026-27)' pertaining to the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources); and

(iii) Twenty-seventh Report of the Committee on 'Demands for Grants (2026-27)' pertaining to the Ministry of Panchayati Raj.

REGARDING NOTICES RECEIVED UNDER RULE 267 AND OTHER ISSUES

MR. CHAIRMAN: Now, Statement by Minister, Shri S. Jaishankar. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, we have given notices under Rule 267.

MR. CHAIRMAN: Regarding notices under Rule 267, the ruling has already been given many times. So, under Rule 267, we are not encouraging anything. ...(*Interruptions*)... You all go back to your seats. ...(*Interruptions*)... If you want me to listen to the LoP, then, you should take your seats. ...(*Interruptions*)...

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir,...

MR. CHAIRMAN: One minute, let them go back to their seats. ...(*Interruptions*)... To run the House, everybody has to cooperate.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I am thankful to you. You have given me an opportunity to raise this issue.

MR. CHAIRMAN: You be specific about it. Please do not give...

Contents Page

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, मैं अपनी बात को 3 मिनट में खत्म कर दूंगा। सर, मैं रूल 176 के तहत "Emerging Challenges for India's Energy Security" के विषय पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही Geo political situation अब वहीं तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55 परसेंट जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इम्पोर्ट से पूरी करता है। Conflict बढ़ने का सीधा असर हमारे देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और livelihood वहां की स्थिरता पर निर्भर करती है। हाल की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः एक मिनट। Regarding your notice under Rule 267, I will come back.

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, खाड़ी देशों से भारत को हर साल लगभग 51 बिलियन यूएस डॉलर्स की remittance होती है, जो लाखों भारतीय परिवारों के जीवन का आधार है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप बैठिए। खरगे जी, ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः वहां की घटनाओं का असर भारत पर दिखाई देने लगा है। ...(**व्यवधान**)... सर, कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपये की वृद्धि हुई है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Kharge*ji*, I will consider it.

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 115 की वृद्धि हुई है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: After due consultation, I will come back to you. Please take your seat. ...(*Interruptions*)... Now, Shri S. Jaishankar to make a statement. ...(*Interruptions*)... I am coming back to you. ...(*Interruptions*)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः इसका बोझ गरीब परिवारों पर पड़ा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I am coming back to you. ...(*Interruptions*)... I am telling, I am coming back to you. Definitely, I am coming back to you, please take your eat. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. JAISHANKAR): Hon. Chairman, Sir, I rise... ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, let him conclude.

MR. CHAIRMAN: I understand. I want to give him his time. ...(*Interruptions*)... I understand his subject, please. No, no! One minute. ...(*Interruptions*)... Now, hon. Leader of the House wants to respond to this. ...(*Interruptions*)... You please wait. ...(*Interruptions*)... Hon. Leader of the House wants to respond to this.

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा): सर, ये बार-बार ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute, please. ...(*Interruptions*)... All others, please take your seats. ...(*Interruptions*)... Except Kharge*ji*, all of you please take your seat. ...(*Interruptions*)... Kharge*ji*, you please complete it quickly.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, मुझे पूछ रहे थे, मुझे ताज्जुब हुआ। मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि 176 की क्या जरूरत है। यह जरूरत क्यों है, वे प्वाइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN: I already told you regarding this. ...*(Interruptions)*... I am coming back to you after due consultation on Rule 176. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. Now, let the Minister make the statement. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, this is not necessary. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No! ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: When we discuss under Rule 176, everything will come. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No; I will ...*(Interruptions)*... I am assuring you ...(Interruptions)...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Everything will come. ...*(Interruptions)*... Sir, it is your... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I am coming back to you on this. ...*(Interruptions)*... Now, Statement by the Minister. Yes. ...*(Interruptions)*...

STATEMENT BY MINISTER

Suo-moto statement on "The situation in West Asia"

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. JAISHANKAR): Mr. Chairman, Sir, I rise to apprise this august House of recent developments in West Asia that are a cause of deep concern to all of us. ...*(Interruptions)*...

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the Minister's Statement. *...(Interruptions)...*

SHRI S. JAISHANKAR: As hon. Members are aware, this round of conflict started on 28th February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf States. *...(Interruptions)...*There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well as destruction of infrastructure in the region. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the Minister's Statement.

SHRI S. JAISHANKAR: At the very outset, Government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. *...(Interruptions)...* We believed and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. *...(Interruptions)...* It is also imperative that the sovereignty and territorial integrity of all States in the region be respected. Given the gravity of the situation, the Cabinet Committee of Security (CCS) met on 01st March under the Chairmanship of the hon. Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. *...(Interruptions)...*The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. The Committee was apprised of difficulties faced by Indian travelers transiting the region and by students appearing for scheduled examinations in these countries. *...(Interruptions)...* It directed all concerned Ministries and Departments to take appropriate measures to respond to these problems. Hon. Prime Minister continues to closely monitor emerging developments and the relevant Ministries are coordinating to ensure effective responses. *...(Interruptions)...*

The conflict has continued to intensify and the security situation in the region has deteriorated significantly. We have noted that, in fact, the conflict spread to other nations with mounting destruction and deaths. *...(Interruptions)...* Normal life and economic activities in the entire region were visibly affected and, in some cases, came to a halt. We, therefore, reiterated our call on 03rd March for dialogue and diplomacy and spoke up for an early end to the conflict. Hon. Chairman, Sir, I am

Contents Page

confident that the House joins me in expressing our sorrow at the loss of lives. ...*(Interruptions)*...

Hon'ble Chairman, Sir, while any development that negatively impacts peace and security in the world is deeply troubling, this ongoing conflict is an issue of particular concern for India. We are a neighbouring region and, understandably, have obvious stakes that West Asia remain stable and peaceful. ...*(Interruptions)*... There are almost one crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study or for employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. ...*(Interruptions)*...

Hon'ble Chairman, Sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for about USD 200 billion annually. The House is also aware that in the last decade, there have been significant investments from the region into the Indian economy. ...*(Interruptions)*...Therefore, the serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are serious issues. ...*(Interruptions)*... Furthermore, these include attacks on merchant shipping where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost two Indian mariners and one remains missing in such incidents. I know that the House joins me in condoling their deaths. ...*(Interruptions)*...

Hon'ble Chairman, the Government has been assessing the situation in West Asia continuously since the 12-day war in June, 2025. We noted the indications of growing tension and cautioned the Indian community in Iran accordingly. On 5th January, 2026, Indian nationals were advised by the Ministry of External Affairs to avoid non-essential travel to Iran. ...*(Interruptions)*... Those already resident there were urged to register with the Embassy, exercise due caution and monitor the Embassy website and social media handles. A second advisory was issued on 14th January, 2026, reiterating this advice to avoid travel in even stronger terms. ...*(Interruptions)*... The Directorate General of Shipping, Mumbai, in parallel, issued its own advisory on 14th January, 2026, for Indian seafarers asking them to follow Embassy advisories and avoid unnecessary movement ashore. Recruitment and shipping companies were asked not to deploy or send Indian seafarers to Iran. ...*(Interruptions)*...

Reflecting our assessment of the evolving situation, the Indian Embassy in Tehran issued another advisory on 14th February, 2026, urging Indian nationals

Contents Page

including students, pilgrims, businesspersons and tourists to leave Iran by all available means of transport, including commercial flights. …*(Interruptions)*… They were asked to contact the Embassy for any assistance and provided with 24x7 helplines. This was again reiterated in strong terms through another advisory on 23rd February, 2026. Some heeded these advisories and left the country; however, many others have disregarded them and remained in Iran. We were also in touch with our fishermen who operate out of Iran. …*(Interruptions)*… This was the situation till 28th February, 2026.

Once the conflict commenced, the Indian Embassy has facilitated the relocation of several Indian students in Tehran to places outside Tehran. An advisory update with emergency contact helplines was issued on 3rd March, 2026. Similarly, facilitation was extended to pilgrims for their internal movement. …*(Interruptions)*… Indian nationals, who were in Iran for business reasons, were assisted to cross over to Armenia and return home. The Embassy in Tehran remains fully operational, in fact, on the highest alert. They are totally committed to supporting the Indian community in this difficult movement and in assisting Indian nationals who may wish to cross international borders. …*(Interruptions)*… Where seafarers are concerned, the Directorate General of Shipping through an order of 2nd March, 2026, has constituted a Quick Response Team for immediate response, coordination and support functions. …*(Interruptions)*… This will function on a 24x7 basis.

Sir, I would also like to inform the House, through you, that every Indian Embassy in the region has similarly issued advisories. …*(Interruptions)*… The Embassy in Israel did so on 28th February and 1st March, UAE on 28th February and 05th March, Bahrain on 28th February, Qatar on 28th February, Kuwait on 28th February and 5th March, Saudi Arabia on 28th February and 8th March, Oman on 28th February, and Iraq on 28th February and 5th March. The MEA has set up a dedicated special control room to monitor the situation and respond to queries from those affected, as well as their families. …*(Interruptions)*…

MR. CHAIRMAN: I will come back to you. Let him complete his statement. …*(Interruptions)*… Let him complete his statement. …*(Interruptions)*… You are not allowing him to make the statement; that is not correct. …*(Interruptions)*… Kharge*ji*, that is not correct. …*(Interruptions)*… I allowed you to speak. Let him complete the statement. I will come back to you. …*(Interruptions)*… Let him complete the statement, please.

SHRI S. JAISHANKAR: The MEA's latest update on this was issued on 7th March. Hon. Chairman, Sir, our diplomats have also worked hard to assist stranded transit passengers in hubs like Dubai, Doha and Abu Dhabi. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman and from Qatar, Kuwait and Bahrain to Saudi Arabia. ...(*Interruptions*)... Wherever there has been a partial opening of air space, we have approved and undertaken commercial flights including non-scheduled flights to enable the return of Indian passengers. Our estimate is that about 67,000 of our nationals have done so. ...(*Interruptions*)...

(At this stage, some hon'ble Members left the Chamber.)

Sir, today, I was informed of a handout of information put out by the Ministry of Civil Aviation and this tells us of the efforts Government is making. Yesterday, there were 15 inbound flights operated by Indian carriers which arrived in India, on the 7th March. On the 8th March, there were 49 flights and on the 9th March, there are 50 flights. So, I want to assure the House that every effort is being made. Those who are stuck in the region, those who are transit passengers who are there, those who need to come back urgently from this region, we are making every effort for them to do so.

Hon'ble Chairman, Sir, throughout this period, Government maintained close contact with the relevant countries. Hon. Prime Minister himself has spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host Government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries.

Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister, Araghchi, on 28th February and 5th March, 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. The House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side requested permission on 28th February for three ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1st March. IRIS LAVAN actually docked on 4th March in Kochi. The crew are, currently, in Indian naval facilities. We believe that

this was the right thing to do and the Iranian Foreign Minister has expressed his country's thanks for this humane gesture.

Hon. Chairman, Sir, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully, taking into account the availability, costs and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavours of our energy enterprises in this volatile situation.

Hon. Chairman, let me conclude by highlighting the three guiding factors of our approach: (i) India is in favour of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint and ensuring the safety of civilians. (ii) The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the Governments of the region towards that end. And, (iii) Our national interest, including energy security and trade flows, will be paramount. I am confident that the Government has the full support of this august House on this matter. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Now, hon'ble Leader of the House.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री; तथा सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा): आदरणीय सभापति जी, माननीय विदेश मंत्री जी ने middle east में वर्तमान परिस्थिति के बारे में बहुत तफसील में वक्तव्य दिया है और सरकार की मंशा तथा सरकार ने इस crisis में किस तरीके से अपने आपको आगे इन सारी चीजों को address किया है, उसको बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में रखा है। अपोजिशन की तरफ से एनर्जी के बारे में भी जो प्रश्न था, उस पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है और यह बताया है कि सरकार किस तरीके से सारी चीज़ों पर सजग भी है, एक्टिव भी है, उनको एड्रेस भी कर रही है। उन सभी समस्याओं के साथ, भारत की जनता को और भारत की आवश्यकता को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है, वह बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना है और निंदनीय भी है। इसकी जितनी निंदा की जाए, वह कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है। इनका इंटरेस्ट anarchy पैदा करने में है।

सर, आज आपने Leader of the Opposition को 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़कर अन्य matter पर चर्चा करनी शुरू कर दी। उनको यह मालूम था कि विदेश मंत्री जी को इन सारी चीजों की विस्तृत रूप से चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया। फिर, आपने रूलिंग दी कि 'I will come back to you on this matter, I will give a thought और इस पर डिस्कशन के लिए व्यवस्था करेंगे।' इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। यह अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इनका इंटरेस्ट शोर

मचाने में है, अव्यवस्था फैलाने में है। मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने एसआईआर के बारे में बहुत शोर किया। आपने electoral reforms के बारे में चर्चा का मौका दिया। 9 और 10 दिसम्बर, 2025 को चर्चा हुई और वह चर्चा लगभग 18 घंटे चली। दुःख की बात यह है कि electoral reforms की सारी चर्चा के बाद ये तब वॉकआउट कर गए, जब हमारी तरफ से जवाब देने की बारी आई। उसी तरीके से, जब special discussion regarding "India's first astronaut aboard the International Space Station and the critical role of space programme for a Viksit Bharat by 2047" पर 18 अगस्त, 2025 को चर्चा हो रही थी, तो अपोजिशन ने इस चर्चा में भाग लेने से अपने आपको अलग रखा। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ और इनका रिकॉर्ड आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत शोर किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करो, पहलगाम के अटैक पर चर्चा करो। उस पर 16 घंटे डिबेट चली और जब गृह मंत्री जी के जवाब देने की बारी आई तो यह विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। यह इनका रिकॉर्ड है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए।

इसी तरीके से, जब वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट रखी गई, तो उस समय भी इन्होंने लोक सभा में वॉकआउट किया। यानी, देश के इंटरेस्ट में कोई भी काम होता है, तो उसमें इनका यही रोल होता है। 2025 के बजट पर डिबेट के बाद जब निर्मला जी जवाब देने के लिए खड़ी हुईं, तब भी इन्होंने वॉकआउट किया। इस समय भी, 2026-27 के बजट पर इन्होंने सबको सुना, लेकिन जब निर्मला जी बोलने के लिए खड़ी हुईं, जब उनको जवाब देने की बारी आई, तो अपोजिशन वॉकआउट करके चला। यह इनका कच्चा चिट्ठा है, इसको हमें याद रखना चाहिए। इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट आत्मनिर्भर भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े, इसमें नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा, वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, यह ध्यान में रखें।

MR. CHAIRMAN: Now, Matters raised with Permission; Shrimati Rekha Sharma.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need for permanent conversion of Train No. 09639/09640 Madar (Ajmer)-Rohtak Special into a Daily Intercity Superfast Express

SHRIMATI REKHA SHARMA (Haryana): Thank you hon. Chairman Sir for letting me speak on this important issue regarding Train number 09639/09640 Madar (Ajmer)-Rohtak Special presently operated as special service between Rajasthan and Haryana. This train provides crucial direct rail connectivity between Ajmer in Rajasthan and key districts in Haryana including Rewari, Narnaul, Jhajjar and Rohtak. It is

extensively used by daily commuters like students, employees, traders and pilgrims, travelling to prominent religious destinations in Rajasthan.

However, Sir, due to its operation under 'special category', passengers face uncertainty regarding its long-term continuity and reservation facility remains limited. In the absence of permanent daily service on this route, passengers are often compelled to change multiple trains leading to increased travel time, inconvenience and financial burden. The consistent demand, high occupancy levels and strategic inter-State importance clearly justify the conversion of this service into a permanent daily train. Therefore, I urge the Government to permanently convert Train No.09639/09640 into a Daily Intercity Superfast Express with suitable LHB rake composition ensuring adequate General Second Sitting, Sleeper and AC Chair Car coaches to meet passengers' demand. This step will, significantly, strengthen regional connectivity between Haryana and Rajasthan, facilitate educational, commercial and religious travel and enhance railway revenue. I request the hon. Minister of Railways to take immediate and favourable action in this matter. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shrimati Rekha Sharma: Shri Ryaga Krishnaiah (Andhra Pradesh), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shri Gulam Ali (Nominated), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Subhash Barala (Haryana), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Narayanasa K. Bhandage (Karnataka) and Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh).

Shriman Ramji Lal Suman*ji*; not present. Shriman Ashokrao Shankarrao Chavan.

Demand for a direct new rail line from Nanded to Latur

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण (महाराष्ट्र): आदरणीय सभापति जी, नांदेड़ और लातूर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण शहर हैं। ये शहर मराठवाड़ा के साथ-साथ कर्णाटक और तेलंगाना के कई जिलों के लिए कृषि, शिक्षा और व्यापार के बड़े केंद्र हैं, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच अभी तक सीधा रेल मार्ग नहीं है। अभी नांदेड़ से लातूर जाने के लिए ट्रेन परभणी और पलड़ी के रास्ते से जाती है। इस मार्ग की दूरी लगभग 212 किलोमीटर है और यात्रा में करीब छह घंटे लगते हैं जबकि नांदेड़ और लातूर के बीच सड़क मार्ग से दूरी लगभग 144 किलोमीटर है। इसलिए इस मार्ग पर अधिकतर यात्री और माल परिवहन सड़क से ही होता है। इसी कारण नांदेड़ और लातूर के बीच सीधी रेल लाइन बनाना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में प्राथमिक अध्ययन

किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों शहरों के बीच नई रेल लाइन की लंबाई लगभग 104 किलोमीटर होगी और यह दूरी लगभग सवा घंटे में तय की जा सकेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना के खर्च में 50 परसेंट कंट्रीब्यूशन देने का फैसला पहले से कर लिया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है और इस परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे भी हाल ही में पूरा हो गया है। अगर केंद्र सरकार इस रेल लाइन को मंजूरी देती है, तो इससे केवल नांदेड़ और लातूर के बीच ही दूरी कम नहीं होगी, बल्कि महाराष्ट्र के पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ — इन तीनों क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क भी बेहतर होगा। यह एक महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक है। इसके बनने से नागपुर और मिराज जैसे बड़े जंक्शनों के बीच की दूरी लगभग 991 किलोमीटर से घटकर 807 किलोमीटर रह जाएगी, यानी लगभग 184 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस रेल लाइन के बनने से विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बिलासपुर तथा जबलपुर जैसे शहरों को पश्चिमी तट की ओर जाने के लिए छोटा और सुविधाजनक रेल मार्ग मिलेगा। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The hon'ble Member, Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh) associated herself with the issue raised by the hon. Member, Shri Ashokrao Shankarrao Chavan.

Shrimati Rajani Ashokrao Patil*ji*; not present. Dr. Medha Vishram Kulkarni*ji*.

Concern over the increasing incidence of road accidents caused by drunk driving

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र)**:** माननीय सभापति महोदय, मैं इस शून्य काल के माध्यम से देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की समस्या की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 2024 में 1,80,000 से भी अधिक लोगों की सड़क दुर्घटनाओं की वजह से मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र में वर्ष 2024 में 36,000 सड़क दुर्घटनाओं में 15,400 लोगों की मृत्यु हुई। पुणे पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, पुणे में 1,404 सड़क दुर्घटनाओं में 320 लोगों की मृत्यु हुई और 1,320 लोग घायल हुए। यह स्थिति स्पष्ट रूप से इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती है। इन रोड एक्सीडेंट्स में 60 प्रतिशत पीड़ित या बाधित 18 से 34 साल की आयु के हैं, जो देश की सबसे उत्पादक और ऊर्जावान आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु के कारणों में तेज गति, लापरवाही, नशे में गाड़ी चलाना, ट्रांसपोर्ट के बड़े व्हीकल्स की 15 साल की आयु खत्म होने के बाद भी उन गाड़ियों को सड़क में उपयोग में लाना तथा ऐसे कई कारणों के साथ ही नए ट्रेंड में रील चलाना और फोटो शूट करना, जिससे ध्यान भंग हो जाता है, ऐसे भी कारणों का समावेश है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत नशे में वाहन चलाना लापरवाही और दंडनीय अपराध है, तथापि अनेक घटनाओं में नियम का अनुपालन न करने के बावजूद भी आसानी से अपराधी छूट जाते हैं। सड़क पर नशे में गाड़ी चलाना अपराध माना गया है, लेकिन दारू की दुकानों को महामार्गों के नज़दीक आधे किलोमीटर पर परमिशन दी जाती है, तो इससे संभावना और भी बढ़ जाती है। स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के लिए निर्धारित आयु से

पहले गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। पुणे में पोर्शे कार एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें कम उम्र की आयु के बच्चे ने नशे में गाड़ी चलाकर कई लोगों को कुचला था। मेरी मांगें ये हैं कि महामार्ग के नज़दीक बार और दारू बेचने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। नशे में ड्राइविंग और हार्श ड्राइविंग पर कठोर दंड होने चाहिए। एआई आधारित स्पीड डिटेक्शन सिस्टम, ब्रेथ एनालाइज़र और सीसीटीवी का व्यापक विस्तार होना चाहिए। एक्सप्रेस हाइवेज की सड़क सुरक्षा का ऑडिट होना चाहिए। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को और परिवारों को तत्काल पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। स्कूल-कॉलेजों में व्यापक जनजागृति होनी चाहिए। आजकल एआई टेक्नोलॉजी और एडवांस सीसीटीवी मशीनरी का इस्तेमाल...

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Dr. Medha Vishram Kulkarni,: Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Gulam Ali (Nominated), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Dr. Bhim Singh (Bihar), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Kanad Purkayastha (Assam), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana) and Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat).

Shriman Ashok Singh; not present. Shriman Sanjay Raut; not present. Shriman Govindbhai Laljibhai Dholakia.

Demand for conferment of the Bharat Ratna (Posthumous) on Late Shri Ratan Naval Tata

श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया (गुजरात): माननीय सभापति महोदय, मैं श्लोक से शुरुआत करना चाहता हूँ:

"*प्रयाणकाले मनसाऽचलेन*
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥"

माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को स्वर देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं भारत सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योग देने वाले पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मान किया जाए। श्री रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं थे। वे भारतीय उद्यम जगत के नैतिक मार्गदर्शक थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ईमानदारी और सफलता एक साथ चल सकते हैं। वैश्विक व्यापार की चुनौतियों के बीच भी उन्होंने टाटा मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा कैंसर अनुसंधान, शिक्षा

Contents Page

और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित किया। उन्होंने हाशिए पर खड़े नागरिकों के जीवन में उजाला फैलाया। 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और अटूट साहस ने देश को प्रेरित किया। सामान्य लोगों के लिए सस्ती कार का सपना हो या नए स्टार्टअप के लिए दिया गया प्रोत्साहन हो। ये हमेशा कल के भारत के निर्माण में निवेशित रहे। श्री रतन टाटा जी को भारत रत्न देना मात्र एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम की उस भावना का सम्मान होगा, जिसे उन्होंने जीकर दिखाया। यह हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश होगा कि चरित्र, विनम्रता और सेवा ही सफलता के वास्तविक मानक हैं। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार से यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिर्वक विचार किया जाए। माननीय सभापति जी, मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by hon'ble Member, Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia: Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Dr. Ajeet Gopchade (Maharashtra), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Dorjee Tshering Lepcha (Sikkim), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), Shri Khiru Mahto (Bihar), Dr. Bhim Singh (Bihar), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Kanad Purkayastha (Assam), Sri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh) and Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh).

Dr. Sumer Singh Solanki.

Demand for implementation of Reservation Policy in Government Departments for outsourced and contractual employment

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मुझे सदन में अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, नमदे हर! माननीय सभापति महोदय, मैं शून्य काल के माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर एवं संवैधानिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह विषय हमारे देश की सामाजिक न्याय व्यवस्था से जुड़ा है और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अधिकारों से संबंधित है। देश और लगभग सभी राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से की जा रही सरकारी कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, आदिवासी भाइयों-बहनों तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 की भावना के विपरीत है। इन नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था नहीं है, जो कि सदन एवं देश के लिए चिंता का विषय है। आज स्थिति यह है कि सफाई कर्मी, डेटा एंट्री

Contents Page

ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, तकनीकी सहायक, यहाँ तक कि क्लर्क और इंजीनियर जैसे पद भी आउटसोर्सिंग या ठेका के माध्यम से भरे जा रहे हैं, जहाँ न आरक्षण है, न पदोन्नति है, न सामाजिक सुरक्षा है, न रोजगार की स्थिरता है और न ही आजीविका की स्थायी गारंटी है। देश के युवाओं के भविष्य की चिंता करना हमारा नैतिक दायित्व है। संविदा, आउटसोर्स या ठेका पद्धति देश में बंद होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसका सीधा प्रभाव हमारे अनुसूचित जाति एवं आदिवासी युवाओं पर पड़ रहा है। वे न तो स्थायी रोजगार पा रहे हैं और न ही उन्हें आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। इसलिए इन वर्गों में निराशा एवं चिंता व्याप्त है। यह स्थिति न केवल सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है, बल्कि हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के विज़न के विपरीत भी है। चूँकि उनका एक ही सिद्धांत है – अंत्योदय और अंत्योदय।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बार-बार यह चिंता व्यक्त की है कि आउटसोर्स और संविदा की नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो रही है। मैं माननीय सभापति महोदय और इस सदन के माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि आउटसोर्स और संविदा भर्ती प्रक्रिया में SC/ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए, वर्तमान में चल रही ऐसी सभी भर्तियों की भी समीक्षा की जानी चाहिए और इस विषय पर एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति का भी गठन किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ और सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि देश में आउटसोर्स और संविदा भर्ती पर आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए, ताकि हमारे भारत की भावी युवा पीढ़ी पर इसका निराशाजनक असर न पड़े और वे अपने भविष्य को सुरक्षित मानें। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है और निवेदन है। जय हिंद, नमदे हर!

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Sumer Singh Solanki: Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Gulam Ali (Nominated), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shri Surendra Singh Nagar (Uttar Pradesh), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Ratanjit Pratap Narain Singh (Uttar Pradesh), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Dorjee Tshering Lepcha (Sikkim), Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat), Shri Kanad Purkayastha (Assam), Shri Khiru Mahto (Bihar),

Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Shri Madan Rathore (Rajasthan) and Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh).

Prof. Manoj Kumar Jha — not present. Shrimati Sangeeta Yadav.

Need to strengthen the *'Prashasan Gaon Ki Ore'* initiative for empowering rural women

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ और सदन को प्रणाम करती हूं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार, विशेष रूप से कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को 'प्रशासन गाँव की ओर अभियान' जैसे संवेदनशील और दूरदर्शी पहल के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। यह अभियान प्रशासन को गाँव तक ले जाकर सुशासन को आम नागरिकों के और निकट लाने का एक सराहनीय प्रयास है। आज देश में सुशासन की जो नई संस्कृति विकसित हुई है, उसका श्रेय माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है। उनके मार्गदर्शन में सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि शासन केवल दफ्तरों तक सीमित न रहे, बल्कि सीधे जनता के द्वार तक पहुंचे। 'प्रशासन गाँव की ओर' उस केंद्रीय सोच का प्रतिबिंब है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, जो कि सामाजिक संकोच, जानकारी के अभाव तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण अपनी समस्याएं सामने रखने में हिचकिचाती हैं। ऐसे में यह अभियान उनके लिए संवाद, विश्वास और सहभागिता का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए मैं सरकार से कुछ आग्रह करना चाहती हूँ, कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। मैं यह सुझाव देना चाहती हूँ कि महिला शासन सहयोगी की व्यवस्था की जाए, जिसके अंतर्गत स्नातक तथा स्थानीय स्वयंसेवी युवतियों को प्रशिक्षित कर पंचायतों के साथ जोड़ा जाए, ताकि वे प्रशासन और ग्रामीण महिलाओं के लिए सूचना सेतु के रूप में कार्य कर सकें। इसके साथ ही, मिशन विश्वास नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को प्रशासनिक प्रक्रियाओं, शिकायत निवारण तंत्र और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। इन मॉड्यूल्स में सरल और स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाए, ताकि महिलाएं सहज रूप से जानकारी प्राप्त कर सकें। माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर महिला अधिकारियों और स्वयंसेविकाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके भी इस योजना का लाभ गाँव-गाँव तक पहुँचाया जा सकता है। महिला केंद्रित शिविरों का आयोजन किया जाए। गोपनीय एवं सरल शिकायत व्यवस्था विकसित की जाए तथा ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों का उपयोग किया जाए, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं तक यह पहल पहुँच सके।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि इन सुझावों पर विचार किया जाए और इस पहल को एक सतत, महिला संवेदनशील और परिणाम देने वाली प्रक्रिया के रूप में विकसित किया जाए, ताकि ग्रामीण महिलाओं का विश्वास प्रशासन में और अधिक सुदृढ़ हो और उनकी

Contents Page

भागीदारी बढ़े। इससे सुशासन की अवधारणा वास्तव में जमीनी स्तर पर साकार होगी और 2047 तक भारत को विकसित बनाने में महिलाओं की भूमिका अग्रणी होगी।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Sangeeta Yadav: Shri Devendra Pratap Sigh (Chhattisgarh), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shri Harsh Mahajan (Himachal Pradesh), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated) and Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat).

Shri Javed Ali Khan; not present. Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade.

Demand for Government intervention to curb the spread of fake low-denomination currency notes affecting the National Economy

डा. अजित माधवराव गोपछड़े (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में अत्यंत विनम्रता के साथ एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देश में जाली भारतीय मुद्रा का धीरे-धीरे बढ़ता प्रसार, विशेषकर 200, 100, 50 और 20 जैसे छोटे मूल्य वर्गों में, ये जाली नोट अब छोटे शहरों, कस्बों, गाँवों और स्थानीय बाजारों में चुपचाप फैल रहे हैं, जिससे आम आदमी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृढ़, साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व को नमन करता हूँ। वर्ष 2016 में उच्च मूल्य वर्ग की मुद्रा को प्रचलन से हटाने का ऐतिहासिक निर्णय केवल एक आर्थिक कदम नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय भी था। माननीय सभापति महोदय, आज जालसाजों की रणनीति बदल गई है। अब बड़ी मात्रा में नहीं, बल्कि छोटी-छोटी संख्या में जाली नोट बाजारों में डाले जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और मध्यम वर्ग को होता है, जो आज भी नकद लेनदेन पर निर्भर हैं। सबसे दुखद स्थिति तब आती है, जब कोई ईमानदार नागरिक अनजाने में जाली नोट लेता है और जब वह उसे बैंक या पुलिस को देता है, तो उसका पूरा पैसा जब्त हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन से यह कहना चाहता हूँ कि अगर ईमानदार नागरिक को सुरक्षा देनी है, तो यदि कोई नागरिक खुद नकली नोटों की सूचना दे, ऐसे में उसका नुकसान न हो। उसे सरकारी कोष से 100 प्रतिशत रिफंड मिले, ताकि लोग बिना डरे रिपोर्ट करें। सूचना देना भी नागरिक का धर्म है। नकली नोटों की जानकारी देना हर भारतीय का संवैधानिक कर्तव्य बने, इसके लिए बैंकों में बेहद सरल और तेज रिपोर्टिंग सिस्टम हो।

एक देश और एक जाँच - जाली नोट केवल स्थानीय अपराध नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा का मामला है। इसकी जाँच केवल गृह मंत्रालय की केंद्रीय एजेंसी करे, ताकि इस नेटवर्क का अंत हो। इसमें सुरक्षा एजेंसियों का संगम भी बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीआई, एनआईए और ईडी की

एक स्थायी टास्क फोर्स बने। ये तीनों मिलकर पैसे के पीछे छिपे असली चेहरों और आतंकियों को बेनकाब करें। अगर हर दशक में नये नोट आते हैं, तो हमें जालसाजों से दो कदम आगे रहने के लिए हर आठ या दस सालों में नोटों के सुरक्षा फीचर्स, जिन्हें हम सिक्योरिटी फीचर्स बोलते हैं, वे बदल जाएं।

कठोरतम दंड - जाली नोट के धंधे को देशहित और संगठित राष्ट्रीय अपराध माना जाए। इसकी सजा इतनी सख्त हो कि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे। स्मार्ट डिजिट बॉर्डर होने चाहिए और सीमाओं पर एआई आधुनिक स्कैनिंग होनी चाहिए। सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में सरकार इस चुनौती का प्रभावी समाधान निकालेगी और इस जालसाजी नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करके, इस सशक्त राष्ट्र को महासत्ता की ओर ले जाने का एक अच्छा कदम होगा। इससे गरीबों को फायदा होगा, दुकानदारों को फायदा होगा, छोटे मध्यमवर्गीय लोगों को फायदा होगा और हमारा देश खुशहाली की तरफ जाएगा।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade: Shri S. Selvaganabathy (Puducherry), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur) and Shri Khiru Mahto (Bihar).

Dr. John Brittas; not present. Dr. Sandeep Kumar Pathak; not present. Shri Shaktisinh Gohil; not present. Shri Pramod Tiwari; not present. Dr. Fauzia Khan; not present. Dr. Meenakshi Jain.

Concern over theft and smuggling of India's Cultural Heritage and Antiquities

DR. MEENAKSHI JAIN (Nominated): Sir, I wish to draw attention to the rampant smuggling and theft of our national heritage that is posing a real threat. All former colonies have had the painful experience of symbols of their cultural heritage being taken to the land of the coloniser. India is no exception. Recently, we heard of the Piprahwa Relics, the remains of Buddha. They were unearthed from Uttar Pradesh in 1898 and a major portion of them have been taken to England by the excavator at that site. After independence, smugglers have posed a serious challenge to our cultural heritage. Icons and images are stolen from shrines and archaeological sites and sold to museums and art galleries abroad. Smugglers sometimes also gift these stolen items to earn goodwill and protection.

Contents Page

Though UNESCO Convention seeks to prevent a thriving market in antiquities, it cannot be regarded a great success. Given the money involved, museums and galleries are reluctant to return the artefacts. They demand proof that the artefacts were stolen. In a small number of cases, where the proof was provided, the items were returned. What then constitutes the proof? It could be photographs of the objects in their original setting, or maybe a temple or an archaeological site. Given that the literary heritage of India is being digitalised, mapping of heritage sites and their holdings could be presented as proof of their ownership and mitigate the threat to our civilisational heritage. Stolen arts, stolen images and artefact images are now called heritage crimes. Among the most notable images that have returned home is the tracking of the journey of a Nataraja from a village in Tamil Nadu to finally England. This is called the Simon Norton Nataraja. He was the last owner. I think, given the seriousness of the situation, may we request the hon. Minister to initiate mapping of heritage sites and their contents? Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Meenakshi Jain - Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Ujjwal Deorao Nikam (Nominated), Dr. M. Dhanapal (Tamil Nadu), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra) and Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh).

Now, Shrimati Maya Naroliya.

Concern over the rising levels of anaemia and malnutrition among adolescent girls in Madhya Pradesh

श्रीमती माया नारोलिया (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, आपने ज़ीरो आवर में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

"त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे,
नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे"।

महोदय, मैं इस सदन का ध्यान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में किशोरियों के बीच एनीमिया और कुपोषण की गंभीर स्थितियों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। NFHS-5 के आकड़ों और हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा की गई सूचनाओं के अनुसार, नर्मदापुरम क्षेत्र में 55-60 प्रतिशत से अधिक किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हैं, जो राष्ट्रीय औसत लगभग 65

प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसी महत्वपूर्ण पहलों के बावजूद, जमीनी रिपोर्ट दर्शाती है कि आवश्यक पोषण सहायता प्रणालियों, जैसे पोषण ट्रैकर, टेक-होम राशन तथा साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लिमेंट का प्रभावी रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है। जागरूकता की कमी, आपूर्ति में बार-बार व्यवधान और आधारभूत संरचनाओं की चुनौतियां इन पहलों की प्रभावशीलता को सीमित कर रही हैं। किशोरियों में एनीमिया की यह लगातार उच्च दर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, शैक्षणिक उपलब्धियों और भविष्य की उत्पादकता के लिए एक गंभीर विषय है। साथ ही किशोरावस्था के बाद मातृत्व में प्रवेश के दौरान इसके कारण प्रतिकूल गर्भावस्था संबंधी परिणामों की संभावना भी बढ़ जाती है।

अत: मैं सरकार से विनम्र आग्रह करती हूँ कि इस मुद्दे को तत्काल प्राथमिकता दी जाए, निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जाए, ताकि नर्मदापुरम की कोई भी किशोरी पोषण के अभाव में न रहे।

नर्मदे हर! जय नर्मदा मैया!

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Maya Naroliya - Shri Rajib Bhattacherjee (Tripura), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Kanad Purkayastha (Assam), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat) and Shrimati Kiran Choudhry (Haryana).

MR. CHAIRMAN: Shri Neeraj Dangi - not present. Now, Question Hour.

12.00 Noon

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Special irrigation support to drought-prone areas

*166. SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA: Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

(a) whether Government is providing any special financial assistance for development of irrigation projects in drought-prone regions;

(b) if so, details of the number of project proposals received and approved for special irrigation projects in drought-prone regions during the last three years, State-wise and district-wise, particularly for the State of Andhra Pradesh;

Contents Page

(c) the details of funds sanctioned and disbursed for such irrigation projects during the said period, district-wise; and

(d) the details of the areas brought under cultivation through these projects during the last three years, in the State of Andhra Pradesh, district-wise?

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI C R PATIL): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Yes. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) was launched during the year 2015-16, with the aim to enhance physical access of water on farm and expand cultivable area under assured irrigation, improve on-farm water use efficiency, introduce sustainable water conservation practices etc.

Ninety-Nine (99) ongoing Major/Medium Irrigation projects (and 7 phases) were identified and included under Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) component of PMKSY during 2016-17, in consultation with States, to be completed in phases. Out of them fifty-nine (59) projects benefit drought prone areas in the country, including seven (07) projects benefitting drought prone areas of Andhra Pradesh.

To address the issue of development of irrigation in water scarce drought prone areas in India, special provisions were made in criteria for selection of projects and central funding ratio during implementation of PMKSY during 2021-26. Eligibility criterion of having at least fifty percent (50%) physical progress for inclusion of projects under PMKSY-AIBP relaxed for the projects having more than 50% command falling in drought prone area. Further, the prevailing funding pattern of 25 (Centre) : 75 (State) for projects in general category states also enhanced to 60 (Centre) : 40 (State) for projects benefitting drought prone area in proportion to their drought prone command area.

Nineteen (19) major and medium irrigation projects have been taken up for funding under PMKSY-AIBP after approval of implementation of PMKSY for the period of 2021-26. Out of them five (05) projects benefit drought prone

Contents Page

areas. Fourteen (14) clusters comprising 1731 Surface Minor Irrigation (SMI) projects have been included under Har Khet Ko Pani (HKKP) Component of PMKSY during 2021-26. Out of them three (03) clusters comprising 214 SMI schemes benefit drought prone regions. However, no project of Andhra Pradesh has been included under PMKSY-AIBP/ HKKP in last three years.

In addition, a Special Package scheme for completion of 8 Major and Medium and 83 Surface Minor irrigation projects to address agrarian distress in Vidarbha and Marathwada and other chronically drought prone areas of rest of Maharashtra has also been approved by Government of India in July, 2018.

State wise, district wise details, central assistance provided and irrigation potential created through these projects in last three years are given at **Annexure**.

Annexure

Annexure - A

Details of Irrigation Projects benefitting drought prone areas included under PMKSY-AIBP since 2021-22

S. N.	State	Project Name	Districts Benefitted	Central Assistance released in Rs Crore			Mother sanction issued	Irrigation Potential Created in Th. Ha
				2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	
1	Maharashtra	Jihe Kathapur Project	Satara	32.54	26.81	141.92	19.80	9.99
2		Bodwad Parisar Sinchan Yojana Stage-I	Jalgaon, Buldhana	-	-	-	60.20	-
3		Lower Tapi Stage-1 Project	Jalgaon	-	-	-	27.25	-
4	Rajasthan	Parwan Multipurpose project	Baran, Jhalawar, Kota	-	154.88	203.4	76.32	20.7
5	Tamil Nadu	Kannadian channel*	Tirunelveli, Thoothukudi	25.7	-	-	-	7.6

*Project completed

Contents Page

Annexure - B

Details of Completed Irrigation Projects benefitting drought prone areas included under PMKSY-AIBP during 2015-16

S. N.	State	Project Name	Districts Benefitted	Central Assistance provided since 2016-17 in Rs. Crore	Irrigation Potential Created since 2016-17 in Th. Ha
1	Bihar	Durgawati	Rohtas, Kaimur	72.42	32.20
2	Chhattisgarh	Maniyari Tank	Bilaspur	3.62	0.30
3	Karnataka	Sri Rameswar Irrigation	Belgaum	0	0.82
4		Bhima LIS	Gulbarga	41.46	2.95
5		Karanja	Bidar	35.15	4.15
6		NLBC System Project	Bijapur, Gulbarga	929.40	99.70
7	Madhya Pradesh	Indira Sagar Project Canal Phase - I & II	Khandwa, Khargaon	23.68	8.60
8		Indira Sagar Project Canal Phase - V (Khargone Lift)	Khandwa, KhargaonBarwani	9.51	22.61
9		Bansagar Unit 2	Rewa, Satna, Sidhi, Shahdol	68.02	5.67
10		Mahi Project	Dhar, Jhabua	5.97	5.96
11		Omkareshwar Project Canal Phase-II	Khandwa, Khargaon, Dhar	16.91	15.80
12		Omkareshwar Project Canal Phase-III	Dhar	31.93	2.62
13		Indira Sagar Project Canal Phase - III	Badwani	110.33	15.09
14		Indira Sagar Project Canal Phase - IV	Barwani	85.47	10.20
15	Maharashtra	Lower Panzara	Dhule	15.62	3.22
16		Dongargaon	Chandrapur	5.88	0.79
17		Nandur Madhmeshwar Ph-II	Aurangabad	17.24	16.52
18		Upper Kundalika	Beed	10.92	2.70
19		Khadakpurna	Buldhana	40.16	8.57
20		Dhom Balaakwadi	Pune / Satara	51.06	7.88
21		Krishna Koyana Lift	Solapur, Sangli	303.86	66.20
22		Tarali	Satara	72.06	8.57
23		Sangola Branch Canal	Solapur,	32.43	5.20

Contents Page

24		Bembla	Yavatmal (V)	307.17	12.43
25		Upper Pen Ganga	Yavatmal (V), (Nanded(M), Hingoli	241.96	10.64
26	Odisha	Upper Indravati	Kalahandi	18.00	0.56
27		Rukura-Tribal	Sundargarh	25.12	7.65
28		RET irrigation	Kalahandi	96.12	8.50
29		Telengiri	Koraput	199.44	15.18
30		Lower Indra	Nuapada, Balangir	104.85	19.84
31		Subernarekha	Mayurbhanj	603.42	36.51
32	Rajasthan	Narmada Canal	Jalore&Barmer	427.82	6.71
33	Telangana	Gollavagu Project	Mancherial	4.78	1.83
34		Rallivagu project	Mancherial	0	0.20
35		Mathadivagu Project	Adilabad	5.34	0.65
36		Sri Komaram Bheem project	Komaram Bheem Asifabad	0	5.18
37		Peddavagu @ Neelwai project	Mancherial	0	3.65
38		SRSPSt.II	Warangal (Rural), Memboobabad, Khammam, Nalgonda, Jangaon and Suryapet	39.29	13.25
39	Uttar Pradesh	Bansagar Canal	Allahabad, Mirzapur	143.51	100.13

Annexure - C

Details of Ongoing Irrigation Projects benefitting drought prone areas included under PMKSY-AIBP during 2015-16

S. N.	State	Project Name	Districts Benefitted	Central Assistance provided since 2016-17 in Rs. Crore	Irrigation Potential Created since 2016-17 in Th. Ha
1	Andhra Pradesh	Gundlakamma	Prakasham	11.79	4.98
2		Tadipudi LIS	W.Godavari	0	1.62
3		Thotapally	Srikakulam, Vijayanagram	0	14.93
4		Musurumilli	E.Godavari	7.40	0.15
5		Pushkara LIS	E.Godavari, Vishakhapatnam	0	1.93
6		Yerracalva	W.Godavari	0	0.41
7		TarakaramTeertasagaram	ViJayanagaram	3.42	0

8	Bihar	Punpun	Patna, Arwal, Jehanabad	37.82	0
9	Gujarat	Sardar Sarovar Project	Narmada, Vadodra, Bharuch, Chhota Udepur, Panchmahel, Ahmedabad, Gandhinagar, Kheda, Anand, Mehsana, Surendranagar, Morbi, Botad, Bhavnagar, Kachchh, Banskantha, Patan	4545.56	614.90
10	Karnataka	Upper Tunga Irrigation Project	Haveri, Simoga, Davengere	184.04	9.24
11	Maharashtra	Waghur	Jalgaon	195.02	16.07
12		Lower Pedhi	Amravati, Akola	20.69	0
13		Gosikhurd (NP)	Nagpur, Bhandara,Chandrapur	905.43	141.24
14	Odisha	Kanupur	Keonjhar	133.91	15.24
15	Telangana	Palemvagu Project	Jayashankar Bhoopalapally	0	0.16
16		Rajiv Bheema L.I. Scheme	Mahaboobnagar, Wanaparthy & Nagarkurnool	64.75	56.25
17		Peddavagu @ Jagannathpur	Komaram Bheem Asifabad	2.29	0
18		Indiramma Flood Flow Canal	Rajanna Sircilla, Karimnagar, Siddipet, Warangal Urban, Jangaon, Jagtiyal & Peddapally	0	21.20
19		J. Chokha Rao LIS	Hanamkondla, Jayashankar Bhoopalpally, Jangaon, Siddipet, Yadadri, Suryapet and Karimnagar, Warangal, Mahboobabad, Mulugu	865.03	93.44
20	Uttar Pradesh	Arjun Sahayak	Mahoba, Hamirpur, Banda	116.57	57.64

Contents Page

Annexure - D

Details of SMI Schemes benefitting drought prone areas included under PMKSY-HKKP since 2021-22

S. N.	State	Schemes	Districts Benefitted	Central Assistance released in Rs Crore			Mother sanction issued	Irrigation Potential Created in Th. Ha
				2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	
1	Karnataka	138 SMI Schemes of 2022-23	Kalaburagi, Yadagir	30.00	37.50	37.50	80.54	9.593
2		50 SMI Schemes of 2024-25	Dharwad	-	-	-	9.16	-
3		26 SMI Schemes of 2024-25	Tumkur	-	-	-	21.835	-

Annexure -E

Details of Projects under Special Package scheme to address agrarian distress in Vidarbha and Marathwada and other chronically drought prone areas of rest of Maharashtra

S.N.	Project Name	Districts Benefitted	Central Assistance provided during 2018-25 in Rs. Crore	Irrigation Potential Created during 2018-25 in Th. Ha
1	Tembhu LIS	Satara, Sangli, Solapur	297.15	96.32
2	Urmodi Project	Satara	38.25	22.98
3	Sulwade Jamphal Kanoli L.I. Scheme	Dhule	464.15	0
4	Shelgaon Barrage Medium Project	Jalgaon	135.26	11.40
5	Ghungshi Barrage LIS	Akola	37.72	6.66
6	Purna Barrage No.2 (Nerdhamana)	Akola	16.55	0
7	Jigaon Project	Buldhana, Akola	1176.05	0
8	Warkhed Londhe Project	Jalgaon	88.79	0

Contents Page

9	83 Surface Minor Irrigation Projects	Amaravati, AkolamWashim, Yavatmal, Buldhana, Wardha districts of Vidarbha and Aurangabad, Jalna, Naded, Latur and Beed districts of Marathwada	770.04	54.26

MR. CHAIRMAN: First supplementary; Shri Masthan Rao Yadav Beedha.

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA: Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me opportunity to ask supplementary question. Sir, I commend the Government of India's efforts under the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) to restore and rejuvenate water bodies, which is vital for improving irrigation efficiency and groundwater recharge, particularly in drought-prone regions. Here, I would like to mention about Andhra Pradesh. Andhra Pradesh has a large number of minor irrigation tanks and traditional water bodies, particularly, in drought-prone regions of Rayalaseema and parts of coastal Andhra, which require urgent restoration. Under the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) and the Repair, Renovation, and Restoration (RRR) of Water Bodies scheme, restoration of such tanks can, significantly, enhance ground water levels. In this context, through you, Sir, I would like to ask the hon. Minister whether the Government proposes to expand or strengthen the PMKSY and the RRR scheme by approving more proposals from drought-prone districts of Andhra Pradesh and whether additional financial assistance or priority consideration will be given to States facing recurring drought conditions. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री सी.आर. पाटिल: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने आंध्र प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछा है, तो पीएमकेएसवाई के अंदर 2015-16 में करीब 99 योजनाओं को चिह्नित करके उनके ऊपर काम शुरू किया गया था। उनमें जो 59 योजनाएं थीं, वे सूखा-प्रवण क्षेत्र की थीं और उनमें से जो 7 योजनाएं थीं, वे आंध्र प्रदेश के अंदर पूर्ण की गई हैं। अभी पिछले तीन सालों में आंध्र प्रदेश में कोई योजना शुरू नहीं की गई है। यह जो सूखा-प्रवण क्षेत्र विस्तार का प्रस्ताव बनाया जाता है, उसे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से चिह्नित किया जाता है। जब सरकार उसका डीपीआर बना कर भेजती है, उसके बाद हमारे यहां जब हमारी टेक्निकल टीम तय करती है, उसके बाद उसको लेना है या नहीं लेना है, वह तय होता है।

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Second Supplementary; Shri Masthan Rao Yadav Beedha.

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA: Sir, while thanking the hon. Minister for the reply, I would like to say that in Andhra Pradesh, many farmers depend heavily on groundwater through bore wells, particularly, in drought-affected regions where groundwater levels are very steadily declining. However, Andhra Pradesh was not included in the first phase of the Atal Bhujal Yojana. In this regard, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering launching the next phase or expanding the Atal Bhujal Yojana. If so, whether drought-prone States like Andhra Pradesh with declining groundwater levels will be included in that along with the technical and financial support for groundwater recharge and water use efficiency.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री सी.आर. पाटिल: माननीय सभापति जी, जो अटल भूजल योजना थी, उसको अभी हमने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उसकी समय मर्यादा पूरी हो गई है। मगर माननीय प्रधान मंत्री, मोदी साहब के निर्देश के अनुसार मनरेगा से जो पैसा मिलता है, उसके अंदर सभी राज्यों में, जहां पर सूखा प्रबंधन है या ड्राउट जोन है, उसके अंदर उनको 65 परसेंट अमाउंट कंपल्सरली जल संचय के लिए यूज़ करना है। इसी प्रकार जो सेमी ड्राउट ज़ोन है, वहां पर भी उनको मनरेगा का 40 परसेंट पैसा जल संचय के लिए यूज़ करना है और जो सामान्य जिले होते हैं, वहां पर उनको मनरेगा का 30 परसेंट पैसा जल संचय के लिए यूज़ करना है। इसके अंदर अपने-अपने स्टेट के अंदर उनको पैसा मिला है। अभी इस साल भी माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश के अनुसार कृषि मंत्री जी ने 32 हज़ार करोड़ रुपए दिए हैं। हर राज्य में इसके अंदर काम भी चल रहा है। 31 मार्च तक हमें यह काम पूरा करना है। इसलिए माननीय सदस्य अपने स्टेट में भी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अगर वे अपने जिले में भी कोशिश करेंगे, तो उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shri Ryaga Krishnaiah.

SHRI RYAGA KRISHNAIAH: Sir, in Andhra Pradesh, particularly, the Rayalaseema area is a drought-hit area. In that area, people depend on borewells. Some farmers are digging 4-5 borewells also because there is no proper technology available for finding water resource. So, my question to the hon. Minister is: Is there any development in underground water technology in a drought-hit area?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री सी. आर. पाटिल: माननीय सभापति जी, वाइजैग की तरह पूरे देश के अंदर, सभी गाँवों में, कहाँ पर बोर करना चाहिए, कहाँ पर पानी उपलब्ध होगा, उसके बारे में सभी जिला कलेक्टर्स को

सूचित कर दिया गया है। उसके आधार पर, जैसे 'जल जीवन मिशन' में भी हमें कहीं सोर्स कम पड़ रहा है, तो उसके लिए भी उन्हें कहा था कि जहाँ पर सोर्स कम पड़ रहा है, वहां पर वाइजैग की तरह बताई हुई जगह पर अगर बोर किया जाएगा, तो वहां पानी का सोर्स जो कम पड़ा है, वह मिल जाएगा।

माननीय सदस्य को भी पता होगा कि कलेक्टर को उसकी पूरी लिस्ट दी गई है, तो उसके आधार पर अगर वहाँ पर बोर करेंगे, तो जरूर उनको वहाँ पर पैसा मिलेगा। अभी भी अलग-अलग क्षेत्रों के अंदर, MCAD के द्वारा भी जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, हमने 22 राज्यों में 4 से 5 हजार हेक्टेयर जमीन में भी उनको पानी का सोर्स ढूंढते हुए, सभी किसानों को खेत में पानी मिले, फोर्स के साथ मिले और क्वालिटी के साथ मिले, उसके लिए वहां पर प्रबंधन किया जा रहा है। 6 महीने के अंदर यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने विशेष रूप से 1,600 करोड़ रुपये देते हुए, यह जो पायलट प्रोजेक्ट दिया है, वह 6 महीने में पूरा हो जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Fourth Supplementary. ...*(Interruptions)*...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, LoP...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the LoP wants to say something. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let Question Hour be over. I will consider it. ...*(Interruptions)*... I will come back to you. ...*(Interruptions)*...I will, definitely, come back to you. Please allow Question Hour to run. ...*(Interruptions)*... Fourth Supplementary, Shri Satnam Singh Sandhu.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, you are not allowing him to speak.

MR. CHAIRMAN: No. I have allowed him. He had gone out. What do I have to do? ...*(Interruptions)*... Again, I have given him the mike. You can't blame like this. I will come back to you after Question Hour. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. I will, definitely, come back to you. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, ...(**व्यवधान**)... पूरी जनता जान रही है।

MR. CHAIRMAN: You cannot disturb the Business of the House like this. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: यह आपके हित में था। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I will come back to you after Question Hour. ...*(Interruptions)*... Now, fourth Supplementary, Shri Satnam Singh Sandhu.

श्री सतनाम सिंह संधू : चेयरमैन सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सप्लीमेंटरी सवाल पूछने का अवसर दिया है। ...(**व्यवधान**)... चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...(Interruptions)... Nothing will go on record except the question and answer.

श्री सतनाम सिंह संधू: सर, मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने पंजाब राज्य में 100 परसेंट 'हर घर जल योजना' को पूरा करने का काम मुकम्मल करके हर घर में जल पहुंचाने का काम किया। ...(**व्यवधान**)... लेकिन चेयरमैन साहब, आज मैं पंजाब के ग्राउंड वॉटर को लेकर, वॉटर इमरजेंसी का मुद्दा सदन में रखना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No, no; this is not correct. Go back to your seats. *...(Interruptions)...* This is not correct. I allowed him to speak. *...(Interruptions)...* You cannot be allowed whenever you want to speak. *...(Interruptions)...* You please go back to your seat. *...(Interruptions)...* Nothing will go on record except the question and answer.

श्री सतनाम सिंह संधू: चेयरमैन साहब, पंजाब में ग्राउंड वॉटर इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई है। ...(**व्यवधान**)... धान की खेती की वजह से पंजाब के 19 डिस्ट्रिक्ट्स में पानी का जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसके चलते हमारे वे 19 डिस्ट्रिक्ट्स हाइली एक्सप्लॉयटेड हैं और ग्राउंड वॉटर के 62 परसेंट से भी ज्यादा पानी में यूरेनियम की मात्रा पूरे देश से ज्यादा है। ...(**व्यवधान**)...उसमें यूरेनियम की मात्रा ज्यादा है तथा उसके और बढ़ने का संभावना बनी हुई है। ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या पंजाब को 'अटल भूजल योजना' के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसमें पंजाब अभी तक शामिल नहीं है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I will consider it later. *...(Interruptions)...*

श्री सतनाम सिंह संधू: साथ ही, क्या पंजाब के डार्क जोन को पुनर्जीवित करने के लिए कोई स्पेशल योजना लाई जा सकती है, क्योंकि पंजाब में ग्राउंड वॉटर की इमरजेंसी हो गई है? बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

माननीय सभापति जी, मैंने पहले भी बताया है कि 'अटल भूजल योजना' को बंद कर दिया गया है। ...(**व्यवधान**)... उसकी जगह पर माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I will come back to you after Question Hour. *...(Interruptions)...*

श्री सी. आर. पाटिल: हर जिले में डार्क जोन को रिचार्ज के लिए पैसा दिया गया। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I will come back to the Leader of the Opposition after Question Hour. *...(Interruptions)...*

श्री सी. आर. पाटिल : उसको 65 पैसे को डार्क जोन के रिचार्ज के लिए कंपल्सरी यूज करना है। ...(**व्यवधान**)... मैंने पहले भी बताया कि जो सेमी-डार्क जोन है, वहाँ पर 'मनरेगा' का जो ब्याज है, उसका 40 परसेंट पैसा उसको कंपल्सरी यूज करना है और 30 परसेंट पैसा सभी सामान्य जिले के अंदर खर्च करना है। ...(**व्यवधान**)...'अटल भूजल योजना' बंद करने के बाद एक बहुत बड़ी अमाउंट के साथ यह काम शुरू हुआ है, क्योंकि 'अटल भूजल योजना' में सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए था। ...(**व्यवधान**)... यहाँ पर इसी साल में 32,000 करोड़ रुपए जल संचय के लिए आवंटित किया गया है। ...(**व्यवधान**)... माननीय प्रधान मंत्री मोदी साहब ने जल संचय के लिए एक बात कही थी। ...(**व्यवधान**)... उन्होंने कहा था कि जल संचय को जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... उसके कारण करीब 44 लाख स्ट्रक्चर्स लोगों के सहयोग से बने हैं। ...(**व्यवधान**)... इनको सीएसआर से बनवाया गया। ...(**व्यवधान**)... लोगों ने इनको अपने पैसे से बनाया। ...(**व्यवधान**)... माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए सहयोग करना चाहिए और उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए कई लोगों ने इस स्कीम को सपोर्ट किया। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please go back to your seat and I will call him. *...(Interruptions)...* Fifth supplementary; Shri Ayodhya Rami Reddy Alla. Hon. Member, a little louder, please. *...(Interruptions)...*

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Could the Minister clarify how climate change induced variabilities in rainfall patterns are being incorporated into planning and design of irrigation projects in drought-prone areas? *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please go back to your respective seats. I am listening to everyone. *...(Interruptions)...* It is I who listen to him, you are not listening to him. *...(Interruptions)...*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे:* हम walkout करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the question and the answer. *...(Interruptions)...* Every time you are walking out. What can I do? I am ready to listen to him after Question Hour. *...(Interruptions)...* You cannot disturb the

* Not recorded.

Business of the House like this. You cannot disturb the Business of the House like this. *...(Interruptions)...* There must be some discipline. Hon. Member, please repeat your supplementary question. Hon. Minister, let him repeat his supplementary question.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Could the Minister clarify how climate change induced variabilities in rainfall patterns are being incorporated into planning and design of irrigation projects in drought-prone areas?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री सी. आर. पाटिल: माननीय सभापति जी, पानी राज्य का विषय होता है और जो सूखा प्रदेश होता है, अगर वहाँ पर उसको टेक्निकल या फाइनेंशियल रूप से केंद्र की सहायता की आवश्यकता होती है, तो जब वह उसका डीपीआर बना कर हमारे पास भेजती है, तो हम जरूर उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अभी उन्होंने पर्टिकुलर किसी के लिए बात नहीं की है, मगर मैंने पहले भी बताया कि पीएमकेएसवाई में 2015-16 में माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा ऐसे करीब 99 प्रोजेक्ट्स चिन्हित किए गए और उन पर काम शुरू किया गया और उनमें से 59 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र के थे और उनमें से 7 आंध्र प्रदेश के थे। आज भी उनके ऊपर काम चल रहा है। करीब 69 प्रोजेक्ट्स, जो दशकों से लटके हुए थे, उनको खत्म करके 27 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी दिया गया है। सिस्टम के आधार पर काम होता है, तो जब भी सूखा प्रभावित क्षेत्र से संबंधित कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उसके ऊपर ध्यान देकर काम किया जाता है।

MR. CHAIRMAN: Q.No.167.

Strengthening of the UMEED Portal

*167. SHRIMATI SANGEETA YADAV: Will the minister of MINORITY AFFAIRS be please to state:-

(a) whether any assessment has been undertaken to evaluate the effectiveness of the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development (UMEED) Portal in improving transparency, efficiency and timeliness in scholarship disbursement;

(b) if so, the key performance indicators used for such assessment;

(c) the findings of the assessment with respect to reduction in processing time and pendency;

(d) whether any corrective measures have been initiated based on these findings; and

Contents Page

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI GEORGE KURIAN): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) A statutory portal, namely the UMEED Central Portal—2025, has been developed in accordance with Section 3(ka) of the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995, and was launched by the Ministry on 06.06.2025 for uploading details of existing waqf and the property dedicated to the waqf, which also automate entire lifecycle of waqf properties, including registration, verification, survey by the Collector, mutation, annual account updates, audit, leasing and monitoring,ensuring transparency, efficiency and effective management and faster grievance redressal. However, the said portal does not have any provision for disbursement of scholarships.

(b) to (e) does not arise.

श्रीमती संगीता यादवः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे प्रश्न का आंसर अच्छे से दिया है। मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि अब तक UMMEED portal पर कितने पंजीकरण हुए हैं तथा उनमें से कितनों को स्वीकृति प्रदान की गई है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI GEORGE KURIAN: Sir, it is a very good question. About 6,34,055 were initiated, 2,93,380 were approved and 37,533 were rejected. This is the information.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Shrimati Sangeeta Yadav.

श्रीमती संगीता यादवः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि UMMEED portal के शुभारंभ से पूर्व भारत सरकार द्वारा किस प्रकार के क्षमता निर्माण के उपाय किए गए थे? साथ ही, क्या सरकार को UMMEED portal के संचालन के संबंध में लाभार्थियों या राज्य वक्फ बोर्ड्स से कोई प्रतिक्रिया या शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI GEORGE KURIAN: Sir, to ensure smooth implementation, the Ministry undertook extensive consultation and capacity building exercise prior to the launch of

this portal. Two rounds of consultative meetings were held on 28th February, 2025 and 8th May, 2025. A national workshop-cum-training programme was organised on 26th and 27th May, 2025. 140 master trainers from various States and Wakf Boards were trained. Master trainers were subsequently tasked with imparting training to *Mutawallis* and district level officers. Separate meetings with State and UT Wakf Boards were also held as and when required. Six zonal meetings were conducted with participating States and Wakf Boards, and 10 ground review meetings with officials of States and UTs were held. Comprehensive user manual and demonstration videos have also been uploaded on the portal. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shri Sandosh Kumar P; not present. Then, Shri Sat Paul Sharma.

श्री सत पाल शर्मा: माननीय चेयरमैन सर, UMMEED का जो central portal है, उसके विषय में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। जम्मू-कश्मीर में बहुत-सी existing wakf properties हैं और ancillary properties dedicated to Wakf हैं। जम्मू-कश्मीर की लैंग्वेज़ उर्दू है। वहाँ काफी समय पूर्व वाकिफ के माध्यम से, donors के माध्यम से कुछ properties दी गई थीं। जब मैं जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस विषय को थोड़ी गंभीरता से लें। वहाँ की बहुत सारी properties पर ऐसी डेट्स हैं, जिनकी origination नहीं है। काफी समय पूर्व donors ने properties दी हैं, जिनमें dates mentioned नहीं हैं। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी हमें जम्मू-कश्मीर के विषय में जानकारी दें और वहाँ जो बड़ी properties हैं, उनकी डेट्स भी हमें mention कराई जाएँ।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI GEORGE KURIAN: Sir, the concerned party can approach the hon. Tribunal. The Tribunal will allow and give time to upload these matters. It is already stated by our Cabinet Minister. It is also published. It is happening in other States. Now, there won't be any problem.

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Shrimati Darshana Singh.

श्रीमती दर्शना सिंह: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार का यूनिफाइड वक्फ पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदनों की वास्तविक टाइम ट्रैकिंग तथा स्वचालित सूचनाओं जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि जवाबदेही को और बेहतर बनाया जा सके?

SHRI GEORGE KURIAN: Regarding the question about tracking of students and other things, no provision is there. It is passed by the Parliament.

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Dr. Bhim Singh.

डा. भीम सिंह: सभापति महोदय, यह प्रश्न वक्फ से संबंधित है। वक्फ की निगरानी के लिए एक अच्छा कानून भी पिछले वर्ष लाया गया था। महोदय, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद जिला अधिकारियों द्वारा उन वक्फ संपत्तियों का भौतिक सर्वेक्षण भी किया जाना है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि देश में अब तक कितनी वक्फ संपत्तियों का भौतिक सर्वेक्षण किया गया है और बिहार में उन वक्फ संपत्तियों की कितनी संख्या है? सर्वेक्षण में कितनी संपत्तियों पर अवैध कब्जा पाया गया है? यदि अवैध कब्जा पाया गया है, तो उसे हटाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और कितने वक्फ बोर्ड अपनी ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI GEORGE KURIAN: The entire life cycle of the Waqf property is monitored by this portal. That is why all these answers will be available in the portal after the completion of the registration.

MR. CHAIRMAN: Q.No.168. The questioner is not present. Now, supplementaries.

*168. *[The questioner was absent.]*

Low airport density in the country

*168. SHRI S NIRANJAN REDDY: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that India has only 0.11 airports per million population, compared with 47.35 in the United States and 0.39 in China, as highlighted by the Economic Survey 2026-27;

(b) if so, whether Government agrees that such low airport density poses constraints on regional connectivity, air passenger growth and logistics efficiency;

(c) steps taken by Government to address this infrastructure gap, including details of new airport projects, greenfield and brownfield expansions and timelines thereof; and

(d) manner in which public and private investment, including PPP models, is being leveraged to expand airport capacity across the country?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Contents Page

Statement

(a) to (c) At present, there are 164 operational airports in the country. India is one of the fastest-growing aviation markets in the world and is currently the third-largest domestic aviation market. In order to address the growing demand and emerging challenges in the sector, the Government of India has undertaken several initiatives, the major ones being as under:

(i) The National Civil Aviation Policy was issued by the Ministry of Civil Aviation in 2016 with the objective of creating a conducive ecosystem for the overall growth of the aviation sector in a harmonised manner, covering all sub-sectors including airlines, airports, Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), and Flying Training Organisations (FTOs).

(ii) The Government has launched the Regional Connectivity Scheme (RCS)-UDAN scheme in October, 2016 to facilitate / stimulate regional air connectivity by reviving unserved and underserved airports in Tier-2 & Tier-3 cities, for making air travel affordable to the masses. Since the commencement of the RCS-UDAN scheme, a total of 663 routes have been operationalised, connecting 95 unserved and underserved aerodromes. To further enhance regional connectivity, the Government has announced the modified UDAN Scheme to connect 120 new destinations across the country, catering to 4 crore passengers in the next 10 years.

(iii) Under Greenfield Airports (GFA) Policy, 2008, Government of India (GoI) has accorded "InPrinciple" approval for setting up of 24 Greenfield Airports across the country. Out of these, 13 Greenfield airports at Durgapur, Shirdi, Kannur, Pakyong, Kalaburagi, Orvakal (Kurnool), Sindhudurg, Kushinagar, Itanagar, Mopa, Shivamogga, Rajkot (Hirasar) and Navi Mumbai have been operationalised.

(iv) The total passenger handling capacity of all the operational airports in the country has increased from approx. 200 million passengers per annum (MPPA) in 2014 to more than 570 MPPA at present.

Further, the expansion and modernisation of airports is a continuous process undertaken by Airports Authority of India and other airport operators from time to time, depending upon passenger demand forecasts, operational requirements, and demand from airlines, availability of land, financial viability, statutory and regulatory

Contents Page

clearances and other site-specific factors. Accordingly, timelines for completion vary depending on these factors.

(d) Public Private Partnership (PPP) models are being leveraged for expansion of airport capacity in the country for both brownfield as well as greenfield airports. In the case of brownfield airports, AAI has leased out eight of its airports namely, Delhi, Mumbai, Lucknow, Ahmedabad, Mangaluru, Jaipur, Guwahati and Thiruvananthapuram for operation, management and development on a long-term lease basis. The Concessionaire of these airports are obligated to implement the Master Plan and Development Works as stipulated in the Operation, Management & Development Agreement (OMDA) and Concession Agreement, as applicable. Further, eleven airports of AAI, comprising five major airports clubbed with six smaller airports, have also been identified for their operation, management and development under Public Private Partnership (PPP). In addition, the development of greenfield airports such as Navi Mumbai International Airport and Noida International Airport is also being done through PPP mode.

To improve the airport infrastructure in the country, AAI and PPP Partners have incurred CAPEX of more than Rs. 96000 crore during FY 2019-20 to FY 2024-25.

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri Surendra Singh Nagar.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है, उसका ज़िक्र किया है, जिसका फाउंडेशन स्टोन देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने रखा है और यह लगभग बनकर तैयार है और एरोड्रम लाइसेंस भी मिल गया है, जिसके लिए माननीय मंत्री जी के भी प्रयास हैं, उसके लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पहली यात्री उड़ान इस एयरपोर्ट से कब शुरू होगी?

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, I am also again very happy to announce that the aerodrome license by the DGCA has been given after thorough consultation with other institutions like BCAS, Airport Authority of India, a couple of days back only. To start the operations at the airport, there is a usual time, that we keep, of 45 days to two months. Once the airlines get the airport aerodrome license, they plan their schedules. So, this is the usual time. Now, we are approaching airlines and

asking them to start planning their schedules. Then, we would approve the schedules because people have to purchase the tickets. The most important thing for any operations to start is the aerodrome license. Now that this is cleared, it is only procedural and it will take up to 45 days. We are also planning a big inauguration in between so that will also promote the whole Jewar Airport in Uttar Pradesh.

MR. CHAIRMAN: Next supplementary, Dr. John Brittas, not present. Shri Raghav Chadha, not present. Dr. Vikramjit Singh Sahney, not present. Shri Rajinder Gupta, not present. Shri Brij Lal.

श्री बृजलाल: चेयरमैन सर, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में एक जगह है - कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। अभी यह काफी न्यूज़ में रहा, जब 7 मई, 2025 को भगवान बुद्ध के अवशेषों को, जो 1898 में निकाले गए थे, सिंगापुर में ऑक्शन होने जा रहे थे। मैंने भी इस संबंध में एक पत्र लिखा था। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ कि उनके प्रयास से वह relics का ऑक्शन रुक गया और उन्हें यहाँ राय पिथौरा फोर्ट में सम्मानपूर्वक स्थापित किया गया।

महोदय, वह स्थल बुद्धिस्ट सर्किट पर है और नेपाल की सीमा के पास स्थित है। वहाँ एक विश्वविद्यालय भी है और एयरपोर्ट के लिए जगह भी उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में एयरपोर्ट बनाने की कोई योजना है, जिससे वहाँ छोटे विमान चलाए जा सकें और जिससे बुद्धिस्ट टूरिस्टों को आने में सुविधा हो सके।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Mr. Chairman, Sir, the intention of the Government of India has always been to build more airports in the country. It is exactly with this vision, our hon. Prime Minister has launched the RCS-UDAN Scheme through which, if you look at the last 12 years, we have been able to increase the number of airports in the country from 74 in 2014 to 166 today. This is a number which no other country is able to match at the speed at which we are constructing airports. We are not stopping here. We want to build more airports. We want to extend our air connectivity to the remotest parts of the country. I am very happy to see when I am engaging with Members of Parliament from both the Houses, no matter which part they come from. And, even if they are coming from Kashmir or Andaman or any State where it was once a dream or a big impossible task for them to have aviation connectivity, today, they are aspiring that we want to have an airport. Similarly, we have seen that the hon. Member has asked for an airport in Kapilvastu. I would request him that he approach the State Government and the State Government writes a letter to us considering that the land is a State Subject, and it always originates from the State Government that they want to have an airport here. And,

Contents Page

then, we will do the feasibility study and the site clearance for that. So, if the process starts from the State Government, we will, definitely, support the idea of having an airport there.

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Shriman Ravi Chandra Vaddiraju.

श्री रविचंद्र वद्दीराजू: सभापति महोदय, मैं तेलुगु में भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं हिंदी में बोलना चाहता हूं। महोदय, कोठागुडेम एयरपोर्ट का काम चालू है, हम उसके बारे में सुन रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि फिजिबिलिटी है और कई बोल रहे हैं कि फिजिबिलिटी नहीं है। तेलंगाना में वह एयरपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह एयरपोर्ट कब तक चालू हो जाएगा? दूसरा, ममनूर एयरपोर्ट के बारे में पूछना चाहता हूं। यह तेलंगाना स्टेट में बहुत पुराना एयरपोर्ट है। उसके लिए 2.5 किलोमीटर का रनवे बना रहे हैं, उसके बारे में अखबार और टीवी में सुन रहे हैं। वह बहुत पुराना एयरपोर्ट है, तो क्या वहां बड़ी फ्लाइट्स के लैंड होने का चांस है या नहीं है? वहां से शिरडी, तिरुपति, बेंगलुरु और मुंबई जाने वाले लोग ज्यादा हैं। ममनूर एयरपोर्ट पर इतना लंबा रनवे बनाने के लिए जगह भी है और chance भी है। उस पर थोड़ा concentrate करना चाहिए। यह हमारा prestigious है। वारंगल, तेलंगाना में सेकेंड मेजर सिटी है और कोठागुडेम एयरपोर्ट की भी जरूरत है। उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कब तक चालू होगा?

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, regarding the airport development in Telangana, let me just start by saying that the only airport that is functional in Telangana is the Hyderabad Airport. Then, back in the days when Chandrababu Naidu Garu was Chief Minister of erstwhile Andhra Pradesh, he envisioned to have a much bigger airport and the first Greenfield Airport of its kind. That is when Shamshabad Airport came into place and that became the major operational airport for Telangana and the city of Hyderabad. And, for a long time! It is because this area of Telangana is also quite huge and the demand was there from multiple areas that we need to have more airports in Telangana also. Let us start with the Mamnoor airport which is in Warangal. Mamnoor airport is one of the oldest airports in the country. It was the pre-British era. This was a very solid operational airport until 1983--if I am not wrong about the date or the year--there was Vayudoot also operating. It is with the Airport Authority of India and we have approximately 700 acres of land. But, with the orientation of the area available with us, we can only have a length of around 1800 meters. We had a vision that if we want to make the airport operational, we want to have a much bigger runway so that wide-body aircraft can also have international flights. We have requested the State Government that an additional 250 acres is

Contents Page

required. I would like to thank the State Government also. They have taken it up on a very war-footing basis and they have given us land. Now, the Airport Authority of India is ready with the planning stage. Procedural due diligence is happening right now and, very soon, we want to lay the foundation stone. After that, we are seeing a time of two years until which the Mamnoor Airport is going to be operational. It is going to be a big airport where wide-body aircrafts are also going to operate and it is up to 140 Kilometer nautical distance from Shamshabad Airport and the NOC has also been given for that. So, there seems to be no other limitations for having operations from the Mamnoor Airport. Other than that, there are two other locations that we are actively looking, in correspondence with the State Government. One is the Kothagudem area. In Kothagudem, one site was already identified and when we went for site clearance, there were a couple of limitations and obstacles. There were two hills on one side of the site that was mentioned. So, an alternate site was also proposed. For the site clearance process, some weather data was requested from the State Government which is still pending. We are still requesting the State Government to send that data. Once that is given, once the feasibility study is properly done, once it looks totally safe for us to operate from that field, then, site clearance will be given for the State to take up that project. The third site that I would like to mention is the Adilabad airport. With regard to Adilabad airport, there was once a defence field. We have been consulting the Ministry of Defence also so that we can start civil aviation operations there. They have also agreed to give in-principle approval so that we can have a much bigger area field there. Additional land is required at the Adilabad airport. The State has been requested to give the additional land that is required. Once that is there, Adilabad also will be looked into. Likewise, at Peddapalli also, there seems to be a requirement. We are exploring the idea of having more airports in Telangana and it is becoming a reality also. Mamnoor, definitely, is a reality now. With regard to the other airfields, as I have said that land has to be given by the State Government for us to start the project, the State Government has been requested to provide that land. Once the information and land is provided to us, we will take the projects forward.

MR. CHAIRMAN: Question No. 169. The questioner is not present. Now, supplementaries.

*169. *[The questioner was absent.]*

Contents Page

Utilization of funds under Smart Cities Mission

*169. DR. V. SIVADASAN: Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total amount of funds allocated by the Central Government under the Smart Cities Mission (SCM) since its inception, year-wise;

(b) the amount of funds, if any, that have remained unutilised or lapsed under the Mission, year-wise, along with the reasons therefor;

(c) the total number of cities selected under the SCM and the names of such cities, State/UT-wise; and

(d) the number of Smart Cities in which projects have been fully completed, the number of cities where projects are near completion and the number of cities where projects are still pending?

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI MANOHAR LAL): (a) to (d) The Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Under Smart Cities Mission (SCM), out of Central Government's allocation of ₹48,000 Cr, the 100 cities selected under the mission have been able to claim central financial assistance of ₹47,458 crore (i.e. 99% of the total Central share allocation for cities). As reported by the States/ UTs, as on 01.03.2026, amount of ₹46,326 Cr has been utilized (i.e. 97% of the total Central Share released for cities).

As reported by the States/ UTs as on 01.03.2026, in the 100 cities selected under SCM, out of a total 8064 projects amounting to ₹ 1,64,811 Cr, 7,784 projects (97% of total projects) amounting to ₹1,56,159 Cr have been completed and the remaining 280 projects amounting to ₹8,652 Cr at implementation stage in 68 cities.Among the 68 cities where projects are at the implementation stage, 59 cities have achieved more than 80% financial progress, while 6 cities have achieved financial progress between 50 % to 80%. In the remaining 3 cities, financial progress is below 50%. Additionally, 32 cities have completed all their projects.

State/UT-wise Central Financial Assistance claimed & utilized by 100 Smart Cities and status of projects since inception of the Mission is at **Annexure.**

Contents Page

Annexure

State/UT wise Central Financial Assistance claimed & utilized by 100 Smart Cities and status of projects since inception of the Mission

(Amount in Rs. Cr)

Sl. No.	City Name	State/UT Name	Status of GoI Funds		Total Projects		Completed Projects		At implementation stage	
			GoI funds claimed	GoI funds utilized	No. of Projects	Cost of Projects	No. of Projects	Cost of Projects	No. of Projects	Cost of Projects
1	Port Blair	Andaman Nicobar Islands	306	245	18	511	9	72	9	439
2	Amaravati	Andhra Pradesh	488	488	19	903	14	746	5	157
3	Kakinada	Andhra Pradesh	490	485	92	1,908	80	1,731	12	177
4	Tirupati	Andhra Pradesh	392	388	104	2,083	92	1,649	12	433
5	Visakhapatnam	Andhra Pradesh	490	479	65	1,695	63	1,613	2	82
6	Itanagar	Arunachal Pradesh	488	408	32	521	25	422	7	99
7	Pasighat	Arunachal Pradesh	490	485	43	512	41	458	2	53
8	Guwahati	Assam	490	490	21	755	20	746	1	9
9	Bhagalpur	Bihar	490	486	27	1,504	26	1,494	1	10
10	Biharsharif	Bihar	433	418	61	1,449	57	1,252	4	197
11	Muzaffarpur	Bihar	490	445	30	860	26	747	4	112
12	Patna	Bihar	488	485	34	1,430	34	1,430	-	-
13	Chandigarh	Chandigarh	490	490	97	2,694	97	2,694	-	-
14	Atal Nagar	Chhattisgarh	488	476	52	944	52	944	-	-
15	Bilaspur	Chhattisgarh	429	403	126	1,765	118	1,605	8	161
16	Raipur	Chhattisgarh	453	453	342	1,745	336	1,639	6	106
17	Silvassa	Dadra and Nagar Haveli	392	389	29	853	12	416	17	437

Sl. No.	City Name	State/UT Name	Status of GoI Funds		Total Projects		Completed Projects		At implementation stage	
			GoI funds claimed	GoI funds utilized	No. of Projects	Cost of Projects	No. of Projects	Cost of Projects	No. of Projects	Cost of Projects
18	Diu	Daman and Diu	386	386	52	1,148	43	1,093	9	55
19	NDMC	Delhi	343	317	127	997	121	884	6	113
20	Panaji	Goa	490	470	51	1,051	50	1,043	1	8
21	Ahmedabad	Gujarat	490	490	70	2,655	69	2,626	1	29
22	Dahod	Gujarat	417	414	36	984	36	984	-	-
23	Gandhinagar	Gujarat	490	463	43	1,046	42	846	1	200
24	Rajkot	Gujarat	490	488	71	2,184	71	2,184	-	-
25	Surat	Gujarat	490	490	87	2,694	87	2,694	-	-
26	Vadodara	Gujarat	490	489	52	1,943	52	1,943	-	-
27	Faridabad	Haryana	490	490	44	929	35	763	9	166
28	Karnal	Haryana	490	432	117	1,207	105	801	12	406
29	Dharamshala	Himachal Pradesh	490	477	80	656	76	605	4	50
30	Shimla	Himachal Pradesh	488	478	211	896	208	840	3	56
31	Jammu	Jammu and Kashmir	489	455	127	2,969	125	2,940	2	29
32	Srinagar	Jammu and Kashmir	452	441	161	3,634	157	3,532	4	103
33	Ranchi	Jharkhand	490	490	26	1,847	26	1,847	-	-
34	Belagavi	Karnataka	490	490	217	2,780	212	2,722	5	58
35	Bengaluru	Karnataka	488	456	57	1,054	56	1,031	1	23
36	Davanagere	Karnataka	490	490	128	1,976	127	1,947	1	30
37	Hubballi-Dharwad	Karnataka	490	444	81	1,950	79	1,835	2	115
38	Mangaluru	Karnataka	490	457	105	2,579	98	2,484	7	95

Sl. No.	City Name	State/UT Name	Status of GoI Funds		Total Projects		Completed Projects		At implementation stage	
			GoI funds claimed	GoI funds utilized	No. of Projects	Cost of Projects	No. of Projects	Cost of Projects	No. of Projects	Cost of Projects
39	Shivamogga	Karnataka	490	490	112	1,381	112	1,381	-	-
40	Tumakuru	Karnataka	490	490	217	2,099	217	2,099	-	-
41	Kochi	Kerala	490	490	98	1,761	96	1,734	2	27
42	Thiruvananthapuram	Kerala	488	474	79	1,242	77	1,179	2	64
43	Kavaratti	Lakshadweep	183	45	12	289	8	11	4	278
44	Bhopal	Madhya Pradesh	490	490	82	2,791	82	2,791	-	-
45	Gwalior	Madhya Pradesh	490	490	84	1,633	81	1,416	3	217
46	Indore	Madhya Pradesh	490	490	231	3,751	231	3,751	-	-
47	Jabalpur	Madhya Pradesh	490	490	130	2,197	130	2,197	-	-
48	Sagar	Madhya Pradesh	490	489	80	1,782	78	1,607	2	175
49	Satna	Madhya Pradesh	490	483	86	1,363	83	1,262	3	101
50	Ujjain	Madhya Pradesh	490	490	95	1,613	93	1,589	2	24
51	Aurangabad	Maharashtra	490	490	47	2,835	45	2,690	2	145
52	Kalyan-Dombivali	Maharashtra	490	490	19	1,245	16	721	3	523
53	Nagpur	Maharashtra	490	490	47	1,768	40	1,588	7	180
54	Nashik	Maharashtra	444	444	53	3,197	52	3,026	1	172
55	Pimpri-Chinchwad	Maharashtra	490	490	25	1,304	24	1,172	1	132
56	Pune	Maharashtra	490	490	55	3,333	55	3,333	-	-
57	Solapur	Maharashtra	490	490	49	1,587	49	1,587	-	-
58	Thane	Maharashtra	490	490	52	1,712	50	1,402	2	310
59	Imphal	Manipur	398	348	27	513	23	346	4	167
60	Shillong	Meghalaya	490	445	13	517	10	453	3	64

Contents Page

Sl. No.	City Name	State/UT Name	Status of GoI Funds		Total Projects		Completed Projects		At implementation stage	
			GoI funds claimed	GoI funds utilized	No. of Projects	Cost of Projects	No. of Projects	Cost of Projects	No. of Projects	Cost of Projects
61	Aizawl	Mizoram	490	419	45	508	33	290	12	218
62	Kohima	Nagaland	490	475	40	689	40	689	-	-
63	Bhubaneswar	Odisha	490	490	32	2,072	31	2,057	1	15
64	Rourkela	Odisha	490	490	75	1,517	73	1,370	2	147
65	Puducherry	Puducherry	343	338	80	595	70	328	10	267
66	Amritsar	Punjab	490	484	44	1,911	42	1,805	2	106
67	Jalandhar	Punjab	490	445	78	1,186	74	1,023	4	163
68	Ludhiana	Punjab	490	490	82	1,389	74	1,320	8	68
69	Ajmer	Rajasthan	490	490	179	2,224	178	2,209	1	15
70	Jaipur	Rajasthan	490	484	170	2,545	168	2,483	2	63
71	Kota	Rajasthan	490	484	87	2,154	86	2,139	1	14
72	Udaipur	Rajasthan	490	490	143	1,717	143	1,717	-	-
73	Gangtok	Sikkim	488	447	29	744	28	735	1	9
74	Namchi	Sikkim	490	464	26	917	24	781	2	136
75	Chennai	Tamil Nadu	490	490	49	1,104	48	1,097	1	7
76	Coimbatore	Tamil Nadu	490	490	72	1,455	72	1,455	-	-
77	Erode	Tamil Nadu	490	486	55	1,304	55	1,304	-	-
78	Madurai	Tamil Nadu	490	490	16	1,900	16	1,900	-	-
79	Salem	Tamil Nadu	490	490	114	1,861	114	1,861	-	-
80	Thanjavur	Tamil Nadu	490	488	103	996	102	989	1	8
81	Thoothukudi	Tamil Nadu	490	482	75	1,038	75	1,038	-	-
82	Tiruchirappalli	Tamil Nadu	490	489	83	1,548	83	1,548	-	-

Contents Page

Sl. No.	City Name	State/UT Name	Status of GoI Funds		Total Projects		Completed Projects		At implementation stage	
			GoI funds claimed	GoI funds utilized	No. of Projects	Cost of Projects	No. of Projects	Cost of Projects	No. of Projects	Cost of Projects
83	Tirunelveli	Tamil Nadu	490	480	81	1,817	81	1,817	-	-
84	Tiruppur	Tamil Nadu	490	489	28	2,833	28	2,833	-	-
85	Vellore	Tamil Nadu	490	489	53	2,096	52	2,083	1	13
86	Greater Warangal	Telangana	377	377	119	1,800	103	1,499	16	302
87	Karimnagar	Telangana	429	429	49	1,094	40	1,022	9	73
88	Agartala	Tripura	490	490	77	808	77	808	-	-
89	Agra	Uttar Pradesh	490	490	62	2,369	62	2,369	-	-
90	Aligarh	Uttar Pradesh	490	488	52	1,830	51	1,730	1	100
91	Bareilly	Uttar Pradesh	490	485	88	1,476	88	1,476	-	-
92	Jhansi	Uttar Pradesh	490	490	78	1,868	78	1,868	-	-
93	Kanpur	Uttar Pradesh	490	489	91	3,060	91	3,060	-	-
94	Lucknow	Uttar Pradesh	490	490	103	2,126	102	2,115	1	11
95	Moradabad	Uttar Pradesh	490	490	41	1,503	41	1,503	-	-
96	Prayagraj	Uttar Pradesh	490	489	146	2,295	145	2,250	1	45
97	Saharanpur	Uttar Pradesh	490	488	115	1,292	113	1,235	2	57
98	Varanasi	Uttar Pradesh	490	490	117	3,342	117	3,342	-	-
99	Dehradun	Uttarakhand	490	484	33	1,144	32	939	1	204
100	New Town Kolkata	West Bengal	490	486	226	1,460	225	1,435	1	25
	Total		47,320	46,203	8,064	1,64,811	7,784	1,56,159	280	8,652
	Non-Selected Smart Cities		18	18						
	Sultanpur Lodhi		120	105						

Contents Page

Sl. No.	City Name	State/UT Name	Status of GoI Funds		Total Projects		Completed Projects		At implementation stage	
			GoI funds claimed	GoI funds utilized	No. of Projects	Cost of Projects	No. of Projects	Cost of Projects	No. of Projects	Cost of Projects
	Grand Total		47,458	46,326						

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Ms. Swati Maliwal.

सुश्री स्वाति मालिवाल: 'स्मार्ट सिटी मिशन' के तहत सिर्फ एनडीएमसी का एरिया, जो कि दिल्ली का केवल 43 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया है, उसको शामिल किया गया था। यह एरिया पहले से ही काफी ऑर्गनाइज्ड और क्लीन है। दिल्ली का एमसीडी का एरिया, जो कि 1,400 स्क्वेयर किलोमीटर है, उसमें गंभीर समस्याएं हैं, जैसे कि टूटी हुई सड़कें, हर जगह गंदगी ही गंदगी, ग्रीन बेल्ट का अभाव, ट्रैफिक जाम इत्यादि। इससे 2 करोड़ से ज्यादा निवासियों की जिंदगी हर दिन प्रभावित होती है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या बाकी दिल्ली को कैपिटल होने के नाते 'स्मार्ट सिटी मिशन' में जोड़ा जाएगा?

श्री मनोहर लाल: सभापति महोदय, 'स्मार्ट सिटी मिशन' इस प्रकार का एक वन टाइम प्रोग्राम था, जिसमें प्रदेश सरकारों को तीन प्रकार की योजनाएं दी गई थीं। इसमें वे या तो किसी एक छोटे पार्ट को और उसमें अलग-अलग प्रकार की जो सेवाएं हैं, उनको सुधार लें अथवा यदि किसी शहर का एक्सपेंशन करना है, तो वह एक्सपेंशन 50 स्क्वेयर किलोमीटर में किया जा सकता है। क्योंकि उसकी राशि सीमित थी, शहरों का चयन भी एक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था और सौ शहरों में इस प्रयोग को करना था, तो चूँकि उस समय दिल्ली में जो सरकार थी, उन्होंने जिस एरिया का चयन करना था, उस चयन में उन्होंने एनडीएमसी का एरिया चयनित किया था, इसीलिए एनडीएमसी के एरिया को ही इसमें लिया गया, क्योंकि राशि सीमित थी और काम निश्चित थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य शहरों में इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। यह इस प्रकार का एक वन टाइम प्रोग्राम था और एनडीएमसी का एरिया ही उसके अंतर्गत आता था, इसलिए 'स्मार्ट सिटी मिशन' में अन्य एरिया शामिल नहीं था।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Shri Ratanjit Pratap Narain Singh.

श्री रतनजीत प्रताप नारायन सिंह: सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सदन में अपना प्रश्न पूछने का अवसर दिया है। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अंतर्गत सौ शहरों के लिए जो 99 परसेंट फंड एलोकेट हुआ था, उन्होंने उसका पूरा इस्तेमाल किया है। यह एक ऐसी योजना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। मैं मंत्री जी से साफ तौर से पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने

Contents Page

स्पेशल पर्पजज व्हिकल्स के भविष्य और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए अब तक कौन-से कदम उठाए हैं?

श्री मनोहर लाल: सभापति महोदय, हर शहर के लिए एक स्पेशल परपज व्हिकल बनाया गया था। जब तक 'स्मार्ट सिटी मिशन' का यह काम पूर्ण होता है, तब तक स्पेशल परपज व्हिकल उसके लिए काम करेगा। अब चूँकि वह काम लगभग समाप्ति पर है, इसलिए स्पेशल परपज व्हिकल का जो रिपरपज है, उसको भी गाइडलाइंस के माध्यम से प्रदेशों को बता दिया गया है। उसमें जो ICCC बने हैं, उनको मैनेज करने का काम अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी या डिपार्टमेंट के माध्यम से सिटी लेवल पर किया जाएगा। जो भी अन्य प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी शहर योजना बनाना चाहते हैं, वे इसे एसपीवीज़ के माध्यम से बनाएंगे। इन एसपीवीज़ के खर्च के लिए आईसीसीसी के माध्यम से जितने प्रोजेक्ट्स रेवेन्यू अर्न करेंगे, उसका एक हिस्सा एसपीवीज़ को दिया जा सकता है। एसपीवीज़ अर्बन मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का भी काम करेंगे, कन्सल्टिंग सपोर्ट देंगे, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई इनोवेशन है, तो नये प्रकार के शहरों का विकास करने में इनकी सहायता ली जा सकती है। एसपीवीज़ स्टेट की प्रॉपर्टी हैं, तो वे उन्हें अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से जैसे भी यूज़ करना चाहें, कर सकते हैं।

श्री कार्तिकेय शर्मा: सभापति महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रश्न की बड़ी विस्तृत जानकारी दी है। मैं जानना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी मिशन में एडवान्स्ड, यानी कि उन्नत टेक्नोलॉजीज़ के उपयोग के माध्यम से सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो विषय है, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए, उन्हें बेहतर बनाने का काम किस प्रकार से किया गया है?

श्री मनोहर लाल: सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन में आईसीसीसी और विशेष तौर पर सीसीटीवी कैमराज़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया। मैं बताना चाहता हूँ कि 100 स्मार्ट सिटीज़ में 83 हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमराज़ लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमराज़ के माध्यम से अपने आप में सुरक्षा का एक तंत्र खड़ा किया जाता है। विशेष तौर पर ये महिलाओं की सुरक्षा के उपयोग में आए हैं। स्ट्रेटिजिक पब्लिक लोकेशन पर 1,884 इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी लगाए गए हैं। उनका उपयोग मिलने वाली बहुत सी शिकायतों के लिए किया जाता है। उसमें तीन हजार से ज्यादा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए हैं, ताकि लोगों को वार्निंग देने के लिए इसका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन सेंटर्स और ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्निशन के लिए भी इन कैमराज़ और आईसीसीसी का उपयोग किया गया है, ताकि कोई वाहन गुम होता है, तो उसे शहर में कम से कम समय में डिटेक्ट किया जा सके। इसमें व्यक्तियों का फेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है। अगर किसी व्यक्ति को ढूंढ़ना है, वह शहर में कहीं भी घूम रहा है, तो फेस डिटेक्शन से उनकी पहचान की जा सकती है। ऐसे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से और इन सीसीटीवी कैमराज़ के माध्यम से जो सर्विलांस का काम किया गया है, इसका बहुत बड़ा उपयोग सेफ्टी के लिए किया गया है।

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No. 170. The questioner is not present. Now, supplementaries.

*170. *[The questioner was absent.]*

Safety of air operations and DGCA oversight

*170. SHRI A. D. SINGH: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the number of air safety incidents reported during the last three years and major causes leading to such incidents;

(b) whether the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) faces shortage of trained technical manpower; and

(c) steps taken by Government to strengthen inspection, certification and flight safety oversight systems?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU): (a) to (c) A statement is laid on the table of house.

Statement

(a) From 2023 to 2025, 40 incidents involving aircraft from scheduled airlines, non-scheduled operators, private operators, and state governments were recorded. The investigation on these incidents are carried out under Rule 13(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules. The majority of incidents occurred due to System component failure, pilot handling, non-adherence to Standard Operating procedures (SOPs), loss of situational awareness and breach of standard separation between aircraft.

(b) The total number of sanctioned posts of Group 'A' Technical Officers in Directorate General of Civil Aviation (DGCA) is 1063. Out of 1063 posts, 426 posts have been created during the period 2022 to 2024 keeping in view of future expansion of civil aviation as part of restructuring of DGCA.

In last few months, following steps have been taken to strengthen technical manpower in DGCA:

(i) 22 Group 'A' Technical Officers and 14 FOIs (total 36 officers) have joined DGCA since June, 2025.

(ii) Offers of appointment have been issued to 106 candidates.

(iii) Offers to other selected 58 candidates are under scrutiny and likely to be issued.

(iv) Replacement of 42 candidates (Airworthiness Officers) from reserve panel has been requested from UPSC.

(v) DR Proposal for 82 posts of different technical cadres for vacancy year 2026 is at various stages of process.

(vi) 50 Group 'A' Technical officers have been promoted

(vii) DPC proposal for 18 posts at various stages (DPC held for 08 and for 10 posts at various stages).

To meet requirements in the interregnum, vacancies are managed by recruiting persons through short terms contractual hiring.

The above measures will further enhance the functioning of DGCA.

(c) DGCA has put in place measures based on technology, operational procedures, and regulations to strengthen the safety oversight system. These include the following:

(i) "Track the Tail" digital service, hosted on the e-Governance for Civil Aviation (e-GCA) platform, enables continuous tracking of aircraft health and component performance, enabling early detection of safety issues and strengthens aviation safety standards.

(ii) The repetitive Minimum Equipment List (MEL) items and repetitive snags/defects are being monitored through "Delay Defect Meetings" and "Reliability Meetings" conducted by the concerned organisation under supervision of regional DGCA offices followed with periodic high level review at DGCA Headquarters.

(iii) A random second level "Desk review" of field inspections and surveillance/audit findings for their quality and classification is being undertaken by senior DGCA officials periodically.

(iv) Additionally, General Circular 1/2025 dated 19th June 2025 has been implemented for comprehensive special audit to assess aviation on ecosystem and strengthen aviation safety architecture.

(v) The systematic safety oversight process of DGCA for monitoring the compliance of rules and Civil Aviation Requirements (CARs) includes

Contents Page

regulatory audits, surveillances inspections, spot checks and special audits as per the risk perceived. The Annual Surveillance Plan (ASP) is published on DGCA website and each directorate conduct surveillance/spot checks in their respective technical areas as per the ASP. Findings of these inspections are followed up with the concerned operator for compliance. Further the compliance of the action taken by the operator is verified during the audit/surveillance. In case of any violations/ non-compliance to regulations detected during audit/surveillance, enforcement action including financial penalty is imposed by the DGCA.

(vi) Certification of Operators is carried out in accordance with Civil Aviation Requirements (CAR), Section 3 - Air Transport, Series C, under Part II (for Scheduled Operators) and Part III (for Non-Scheduled Operators) and other relevant CARs following a five phase process consistent with the International Civil Aviation Organization (ICAO) guidance.

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri Milind Murli Deora.

SHRI MILIND MURLI DEORA: Sir, the question is about the safety of air operations and DGCA oversight. The Foreign Minister made a very good statement about the crisis in West Asia. I have two very specific questions through you, Sir. One is: Has the Ministry of Civil Aviation, through DGCA, other agencies, issued any advisories to airlines, to passengers who are travelling to or through West Asia, given the crisis that is happening right now? The second issue is something which is on everyone's mind, people in this House, people outside as well. It has been several months since the unfortunate accident that happened on the Air India flight from Ahmedabad to London. When can we expect the final report and the final findings on that matter? Thank you very much.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Hon. Chairman, Sir, regarding the West Asia situation and the safety, considering the safety aspect of civil aviation operations, the DGCA has immediately engaged with the airlines and issued them circulars or you can say that they have had multiple meetings with them, so that they can only operate when they ensure that 100 per cent safety is there when they are operating to these airports in the West Asia. And also, the airlines have given special circulars or travel advisories to the passengers to ensure whether the connections are happening or not, if they are cancelled or not, so that there is no confusion in the travel that is expected. But from the Ministry side, I can tell the House that whatever best we can do in terms of having safe operations and making people travel from those

destinations back to India, we are able to do with the help of airlines. They have also been very considerate, even though there is an active field in the airspace of the West Asia. They have been thoroughly looking at these slots where they are safe to operate and when the airports are open and they are trying to operate to these destinations. Sir, till now around 90,000 people have been able to travel in the last one week itself and we are seeing the situation might get better in days forward, so that more people can also travel through flights.

With regard to the AI 171 crash that happened in June last year, the investigation is going at a very good pace and all the resources that are required for AIB, which is the primary agency looking into the investigation, the Ministry is providing that and I would say that very soon, before the completion of this year, the report should be out.

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Dr. Medha Vishram Kulkarni.

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी: माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि पिछले तीन वर्षों में पुणे, लोहेगांव तथा बारामती हवाई अड्डों पर हुई वायु सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का विवरण क्या है, जिनमें पक्षी टकराव, कम दृश्यता की परिचालन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। इन घटनाओं के बाद डीजीसीए द्वारा सुरक्षा ऑडिट और निगरानी सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, the hon. Member has asked regarding Pune airport and the Baramati airfield. Pune airport is Indian Air Force air field and Baramati is an uncontrolled airfield where flying training operations are happening. Sir, hon. Member is asking about a very specific data, I will find out and give it to her.

MR. CHAIRMAN: Now, fifth supplementary, Shri Ayodhya Rami Reddy Alla.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Sir, taking the Viksit Bharat goals into consideration, I want to ask the hon. Minister about the strategy and structuring of safety norms and what role the DGCA is going to play around all the stakeholders, whether it is Airport Authority of India or the operators and also the airlines. So, my question is this. What sort of strategy, structuring and deliverables are being planned by the DGCA keeping in view the Viksit Bharat goals. Thank you, Sir.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, when we talk about Viksit Bharat, it is a grand vision that by 100 years of Independence, we become a developed country. I believe, the country believes, hon. Prime Minister believes that when you want to see a developed country, the civil aviation sector should be a priority sector and it is with

Contents Page

that vision, in the last 12 years, we have seen substantial growth in this sector. I can proudly say that the civil aviation has been one of the most progressive sectors in the country and, when compared to other regions, Asia Pacific region, other sectors in the world, our civil aviation stands out as the fastest growing and will continue to grow for the next 20 years. Sir, it is with that vision we have expanded airports. The number of aircrafts in our airspace has also doubled. The number of passengers has also doubled. We are one of those countries where we can count on the fingertips that every day 5 lakh passengers are able to travel domestically other than around 1 to 2 lakh passengers travel internationally. Now, what is our plan for the future? Sir, our plan for the future is that in the next five years, we want to have fifty more airports and, in the next twenty years, we want to have 200 more airports where our overall tally of airports will come to 350. There are three other sectors that we are seeing--one is the regular airport operations, then, we have the sea-plane operations which we are also going to start very soon. We have changed the guidelines to make it much easier to have sea-plane operations in the country and all the coastal areas, all the areas which are open to water bodies, Northeast areas, where there are good reservoirs or good rivers with good length, open up as additional air travel points for us. The third sector that we are actively pursuing is to improve the helicopter operations. So, these are the three sectors which we want to pursue in the next 20-odd years where we see growth of air operations in the country. Sir, when it comes to the safety aspect, DGCA is the main institution, the main authority which looks after the safety of aircrafts in the country and, for that, they have a multi-tier or multi-level process. One is the inspection process. Then, they have the inspection and surveillance. Then, once inspection and surveillance gives them findings, they have a very thorough investigative process. Once all the findings are in front of them after the investigation, they also have a strict enforcement policy. I would also like to let the hon. Member know that the whole safety does not originate locally, but the safety comes from International Civil Aviation Organization. It sits very regularly and gives out circulars on safety management and risk assessments. All these things flow from International Civil Aviation Organization, and we try to follow them 100 per cent without any deviation because aviation ultimately is not only domestic but also international. So, when it comes to that, very thoroughly observing what ICAO is telling us in terms of safety, we prepare our guidelines, programmes and safety plans. So, once the ICAO mentions its safety circulars, accordingly, we prepare our safety plans regarding that and then comes enforcement along with safety inspection and investigation. So, this is a thorough process that we have. But I would like to also mention some of the important activities that our DGCA has taken in the recent

months to improve our standards in a much better way, which is, involvement of digital operations. So, we have made 'track by tail programme' where each and every aircraft is tracked digitally. All the safety monitoring which was usually done on paper is now tracked digitally to see that all the compliances by the aircraft and the airlines are done on time. And, then, they have added another layer of inspection from the DGCA, which includes not only what happens at the ground level but up to the central headquarters also. So, there is double verification on whatever safety inspections that are happening. On top of that, safety wise, circulars that are given, we are assessing what is already there and also trying to see how better we can implement them on the ground. So, we are taking a thorough feedback from the existing processes involving all the stakeholders, like you mentioned, the airlines, the Airport Authority of India, BCAS and also public. On many aspects, we are looking at the public feedback also and trying to integrate it so that we come out with the best safety norms and standards in the country. And if you look at it globally, ICAO rates us as one of the safest countries in the world when it comes to civil aviation travel. But we want to try for much better standards and we will keep trying for that.

MR. CHAIRMAN: Question No. 171.

National SC/ST Hub Scheme

*171. SHRI GOLLA BABURAO: Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the aims and objectives of National SC-ST Hub Scheme being implemented for SC/ST entrepreneurs;

(b) whether it is not a fact that Government has mandated to procure 4 per cent from SC/ST Micro and Small Enterprises under Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises; and

(c) if so, the details of percentage of procurement from SC/ST enterprises since implementation of the mandated 4 per cent procurement, with a particular reference to the State of Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI JITAN RAM MANJHI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Contents Page

Statement

(a) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is implementing National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub (NSSH) Scheme since October, 2016, with the objective to promote entrepreneurship amongst SCs/STs and to fulfill the mandated 4% of procurement from SC/ST MSEs under the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises of Government.

(b) and (c) Yes Sir. The Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 mandates 25% annual procurement from MSEs by Central Ministries/Departments/Central Public Sector Enterprises (CPSEs), including 4% from MSEs owned by SC/ST MSEs. 'MSME SAMBANDH' portal launched on 8th December, 2017 monitors the procurement by Ministries/Departments and Central Public Sector Enterprises (CPSEs) from MSEs including enterprises owned by SC/ST. Procurement data on Sambandh portal is maintained category-wise, but not State-wise. The share of procurement from SC/ST owned MSEs since launch of 'MSME SAMBANDH' portal across the country as on 05.03.2026 is as under:

Year	Procurement from MSEs owned by SC/ST (Value: Rs. crore, Share: in percentage)
2017-18	544.72 (0.48%)
2018-19	824.71 (0.54%)
2019-20	691.43 (0.53%)
2020-21	767.53 (0.55%)
2021-22	1302.50 (0.79%)
2022-23	1546.91 (0.89%)
2023-24	1761.77 (1.03%)
2024-25	3731.95 (1.73%)
2025-26 (upto 05.03.2026)	3364.67 (1.79%)

MR. CHAIRMAN: First supplementary, Shriman Golla Baburao *Garu.*

SHRI GOLLA BABURAO: Sir, could the hon. Minister indicate whether the mandated four per cent procurement target from SC and ST enterprises has been achieved across all Central Ministries and Public Sector Undertakings and the steps being taken where the target has not been met?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री जीतन राम मांझीः महोदय, यह बात सही है कि हमारे जो शैड्यूल्ड कास्ट/शैड्यूल्ड ट्राइब एंटरप्रेनर्स हैं, उनके सामान को खरीदने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, ताकि वे आगे बढ़ सकें। सरकार ने, खास कर नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने यह फिक्स किया है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, कि अब शैड्यूल्ड कास्ट/शैड्यूल्ड ट्राइब की जो उत्पादकता है, उसका 4 प्रतिशत हम निश्चित रूप से खरीदेंगे। जहां तक उनकी खरीद के ब्यौरे की बात है, अभी तक हमारे पास जो डाटा है, उसमें यही कहा गया है और यह कोशिश की गई है कि हम लोग उसको अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें और उनको इसका लाभ दे सकें। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब इस योजना को शुरू किया गया था, उस समय हमने इसको लगभग ज़ीरो परसेंट से शुरू किया था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हम 1.79 परसेंट प्रोक्योरमेंट के लिए उनको यह सुविधा दे रहे हैं। यह बात सही है कि यह 4 परसेंट फिक्स किया गया है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसमें स्थिति यह है कि जो प्रोक्योरमेंट होता है, उसमें शैड्यूल्ड कास्ट के अलावा अन्य लोग जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, वे हाई में चले जाते हैं और हमारे लोगों का प्रोक्योरमेंट कम रहता है, वैसी परिस्थिति में इनका प्रोक्योरमेंट लो रहता है। लेकिन तब भी, अभी हम लोग लगभग 2 प्रतिशत के हिसाब से उनका प्रोक्योरमेंट कर सके हैं। यह एक उल्लेखनीय बात है, क्योंकि जब इसको शुरू किया गया था, तब यह लगभग ज़ीरो परसेंट था, उसके बाद बढ़ते-बढ़ते 4-5 साल में हम लोग 1.79 परसेंट प्रोक्योरमेंट कर सके हैं। शैड्यूल्ड कास्ट/शैड्यूल्ड ट्राइब के मामले में उनसे प्रोक्योरमेंट के लिए हमें जो सामान खरीदना है, उसमें यह एक ग्रेट उपलब्धि है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Shri Golla Baburao.

SHRI GOLLA BABURAO: Sir, my second supplementary is this. Could the Minister indicate whether the targeted initiatives have been undertaken in Andhra Pradesh to increase the participation of SC and ST entrepreneurs in Government procurement and MSME development programmes?

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

श्री जीतन राम मांझीः महोदय, ऐसे तो यह चूंकि श्रेणी-वाइज़ है, इसलिए इसको किसी राज्य के लिए अलग से आँका नहीं जा सकता है, तो हम लोग नहीं आँकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो पोर्टल है, असिस्टेंट पोर्टल है और उद्यम पोर्टल है, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम लोगों को यह देते हैं। उस हिसाब से आंध्र प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवेदनों की संख्या 15 थी और उन मामलों की संख्या, जहां एससीएलसीएसएस सब्सिडी संवितरित की गई थी, वह 15 थी। आगे बढ़ते-बढ़ते 2024-25 में उनके आवेदनों की संख्या 3 हुई है और किसी कारण से अभी तक उसको संवितरित हम लोग नहीं किए हैं। लेकिन इन टोटेलिटी अगर कहा जाए, तो उनकी ओर से आए आवेदनों की संख्या 374 है, जो हमने प्राप्त किए हैं। As against these, 141 लोगों को हम लोगों ने सब्सिडी वगैरह सब देने का काम किया है।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Dr. Kavita Patidar.

डा. कविता पाटीदार: माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार और क्या-क्या कदम उठा रही है?

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

श्री जीतन राम मांझी: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में अभी तक 15 शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स हब्स की स्थापना हम लोग कर चुके हैं। वे 15 हब्स आगरा, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, बोधगया, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मुंबई, पुणे, रांची, सिंधुदुर्ग और सूरत में हैं। इन 15 शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स हब्स के माध्यम से हम लोग शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरप्रेन्योर्स को हर तरह के इंसेंटिव्स देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उनको ट्रेनिंग देने के बाद, उनको ऋण लेने के संबंध में जो सारी प्रक्रियाएं हैं, उनमें हम उनकी मदद करते हैं। इसलिए उनकी संख्या जो पहले कम थी, अब बहुत आगे बढ़ रही है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स से संबंधित जो कार्यक्रम है, उसको हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और अभी जैसा कहा, सारे देश में लगभग 15 शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स हब्स के माध्यम से हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Shri Mayankkumar Nayak.

श्री मयंककुमार नायक: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एससी और एसटी समुदायों के लिए आपने विशेष जगह रखी है, मगर ओबीसी में आने वाले घुमंतू समाज, जो एनटी और डीएनटी समाज है, उनके जो उद्यमी लोग हैं, उनके लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की ओर से कोई स्पेशल कैटेगरी आइडेंटिफाई करके - ताकि वह समाज रोजगार करके मुख्य धारा में आए और उनके समाज के लोग जो इंडस्ट्री डालें, उनके लिए क्या हमारे मंत्रालय की तरफ से कोई योजना है? धन्यवाद, सर।

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

श्री जीतन राम मांझी: महोदय, उनका यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार निश्चित रूप में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ-साथ ओबीसी के विकास के लिए भी कार्य कर रही है और जिस प्रकार की सुविधा शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को देती है, उसी प्रकार से ओबीसी के लिए भी व्यवस्था रखी गयी है। ओबीसी के जो भी इंटरप्रेन्योर्स आते हैं और उनको जिस प्रकार की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की या उनके मार्केटिंग की, इसमें उनके लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो 4 प्रतिशत का लक्ष्य दिया है, लेकिन ओबीसी को भी हम उसमें समाहित करके उनके जितने

भी प्रोक्योरमेंट्स हैं, उनमें हम उनकी मदद कर रहे हैं। हम ओबीसी को भी as par शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में ट्रीट करते हैं। उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, यह भारत सरकार की नीति है।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary — Dr. Ajit Gopchade.

डा. अजित माधवराव गोपछड़े: सभापति महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो entrepreneurs हैं, इनमें जो procurement की बात की गई है, हमारी बहन ने महिलाओं के बारे में स्पेशली उसका जिक्र किया था और हमारे एक और सदस्य जी ने ओबीसी के बारे में भी जिक्र किया था, इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी वर्ग की गरीब महिलाएँ, जो हमारे गांव-गांव में काम करती हैं और छोटी-छोटी बचत के माध्यम से स्वयं रोजगार उत्पन्न करती हैं, उनके लिए क्या एमएसएमई के माध्यम से कोई विशेष प्रावधान है या सरकार भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाना चाहती है?

श्री सभापति: ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री जीतन राम मांझी: महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का फोकस शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी के साथ-साथ महिलाओं पर है और हमने एमएसएमई के माध्यम से उनको लगभग 39 परसेंट हर तरह की सुविधाएँ दे रखी हैं। इसके लिए 'यशस्वी योजना' वगैरह हैं। उसके अलावा हम उनको और सब चीजों में भी मदद करते हैं। महिलाएँ लेफ्ट-आउट नहीं हों, इसलिए उनके लिए हर तरह की ट्रेनिंग है, हर तरह से उनको सुविधा दी जाती है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम महिला को भी उसी रूप में मान कर चलते हैं, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी के लोग होते हैं। हम इनको weaker section के रूप में ही मान करके चलते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम हैं, वे हम लोग करते हैं। अगर वे विशेष डेटा या कुछ budgetary provision के बारे में जानना चाहेंगे, तो मैं यह उनको उनके आवास पर या उनके कार्यालय में भेज दूँगा।

MR. CHAIRMAN: Question No. 172. The questioner is not present. Now, supplementaries.

*172. *[The questioner was absent.]*

Completion status of housing projects under PMAY-U

*172. DR. ASHOK KUMAR MITTAL: Will the Minister of Housing and Urban Affairs be pleased to state:

(a) the reason for several housing projects under PMAY-U remaining incomplete in major cities, the details thereof;

(b) the major reasons causing the delays in central assistance, the details thereof;

(c) the number of houses still pending under the 2022-25 target and the steps Government is undertaking to meet the target; an

(d) the steps taken to ensure accountability of implementing agencies, the details thereof?

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI MANOHAR LAL): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) has been implementing Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U) since 25.06.2015 with an aim to provide all weather pucca houses with basic civic amenities to all eligible urban beneficiaries across the country. Based on the learnings from the experiences of implementation of PMAY-U, MoHUA has revamped the scheme and launched PMAY-U 2.0 'Housing for All' Mission with effect from 01.09.2024 for implementation in urban areas across the country to construct, purchase and rent a house by 1 crore additional eligible beneficiaries at affordable cost in next five years. PMAY-U 2.0 is implemented through four verticals i.e., Beneficiary Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing (ARH) and Interest Subsidy Scheme (ISS).

As per the Scheme Guidelines of PMAY-U, Central Assistance is released to States/Union Territories (UTs) in three instalments of 40%, 40% and 20%. The release of Central Assistance is incumbent upon fulfilment of mandatory compliances by the concerned States/UTs viz. submission of Utilisation Certificates (UCs), Aadhaar seeding of beneficiaries, Action Taken Report (ATR) on the recommendations of Third Party Quality Monitoring Agencies (TPQMA), Geo-tagging of progress of construction stages of houses/projects, registration of Affordable Housing in Partnership (AHP)/In-Situ Slum Redevelopment (ISSR) projects under Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA), etc. and other instructions issued by Ministry of Finance. Due installments are released to States/UTs based on compliances as per PMAY-U Guidelines. The scheme period of

PMAY-U has been extended up to 30th September 2026 for completion of under-construction houses and release of funds through SNA-SPARSH module. At present sufficient funds are available under SNA-SPARSH module.

Based on the project proposals submitted by States/UTs, a total of 125.15 lakh houses, including 13.67 lakh under PMAY-U 2.0, have been sanctioned by the Ministry, so far. Out of which, 116.57 lakh houses have been grounded and 97.30 lakh are completed/delivered to the beneficiaries across the country as on 02.03.2026. Central Assistance of 1.77 lakh crore has been released to States/UTs/implementing agencies against the total sanctioned Central Assistance of 2.09 lakh crore.

The timeline for completion of houses/projects varies from State to State and it generally takes 12-36 months in different verticals of the scheme and as per Detailed Project Reports (DPRs) of respective projects. The completion timeline for houses depends on various factors like availability of encumbrance free land, statutory compliances for start of construction, arrangement of funds by beneficiaries, availability of State share etc.

To ensure transparency and accountability, the Mission uses various measures in implementation of the scheme. A comprehensive and robust MIS system has been developed which helps all stakeholders to seamlessly manage information pertaining to physical and financial progress. The MIS is equipped with Geo-tagging features and integrated with BHUVAN Portal of National Remote Sensing Centre (NRSC) and BHARAT MAP of National Informatics Centre (NIC) for monitoring the progress of construction of houses. MIS has also been integrated with UMANG Mobile App, NITI Aayog Dashboard and DBT Bharat Portal for dissemination of information. To ensure that benefits go only to the genuine beneficiaries, various linkages have been placed such as UIDAI for Aadhaar validation of beneficiaries and GIS based Central MIS etc.

The Ministry conducts regular review with the States/UTs on progress of the scheme including timely submission of compliances by States/UTs for subsequent release of Central Assistance and its utilization for completion of the sanctioned houses within the stipulated timeline. The progress of the scheme can also be accessed on the PMAY-U dashboard (https://dashboard.pmay-urban.gov.in).

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri Madan Rathore.

श्री मदन राठौड़: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि अनेक जरूरतमंद लोग इससे वंचित रह जाते हैं, इसलिए केवल वास्तविक लाभार्थी तक लाभ पहुँचे,

Contents Page

इसका सत्यापन किस प्रकार किया जाता है? अनेक जरूरतमंद, वास्तविक लाभार्थी भूमिहीन भी होते हैं, तो उन्हें पट्टा वितरण किस प्रकार संभव है?

श्री सभापतिः ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री मनोहर लालः सभापति महोदय, वैसे यह बात ठीक है कि मकान की आवश्यकता सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति को ही रहती है, लेकिन वहीं दूसरी कठिनाई यह है कि 'पीएमएवाई-यू' की जो भी शर्तें हैं, उन शर्तों पर बहुत-से लोग पूरा नहीं उतर पाते, किसी के पास जमीन नहीं होती है, किसी के पास उसके ऊपर और जो साधन लगाने की आवश्यकता पड़ती है, वह नहीं होती है। हमने इसके लिए एक सेलेक्शन क्राइटीरिया बनाया हुआ है, उसको पोर्टल के ऊपर अपलोड कराया जाता है और फिर उसके बाद उनका चयन किया जाता है तथा उसमें सर्वे किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी श्रेणी के परिवारों के लिए अलग-अलग पात्रता है। ईडब्ल्यूएस के लिए पात्रता के लिए वार्षिक आय तीन लाख रुपए तक है, एलआईजी के लिए पात्रता के लिए वार्षिक आय तीन लाख से छः लाख रुपए तक है और एमआईजी के लिए पात्रता के लिए वार्षिक आए छः लाख से नौ लाख रुपए तक है। इस प्रकार से, इसका चयन करने के बाद संबंधित सरकारें जितना उसमें अपनी डिमांड करती हैं, उस डिमांड के हिसाब से हम उनको अलॉट करते हैं। उस अलॉटमेंट में उनको जिस-जिस प्रकार के मकान चाहिए, वे उनको दिए जाते हैं। उनको चार श्रेणियों के मकान दिए जाते हैं। एक बीएलसी, यानी बेनिफिशरी लेड स्कीम, जिनके पास जमीन अपनी होती है, वे इसका लाभ उठाते हैं। उनको डेढ़ लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से और एक लाख रुपए प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है और कुल मिलाकर ढाई लाख रुपए की राशि की सहायता दी जाती है। इसी प्रकार, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है। यह भी उनके लिए उपलब्ध होती है। इसके साथ ही Interest Subvention Scheme है। जो लोग बैंक से लेकर अथवा उधार लेकर बनाना चाहते हैं, उनको Interest Subvention Scheme का लाभ दिया जाता है।

ऐसे ही, हमने एक रेंटल हाउसिंग स्कीम भी शुरू की, क्योंकि बहुत लोग अपना मकान नहीं ले पाते हैं, तो उनको रेंटल हाउसिंग के माध्यम से मकान उपलब्ध हो। इस प्रकार से, इसमें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का भी लाभ दिया गया है। हम चाहते हैं कि अगर प्रदेश सरकारें जमीन उपलब्ध करा दें, तो उनको बीएलसी के तहत ज्यादा-से-ज्यादा लाभ दिया जा सकता है और बहुत-सी प्रदेश सरकारें इसको कर भी रही हैं। चूँकि यह काम प्रदेश सरकार से संबंधित है, इसलिए उनको ही आगे आना होगा ताकि हर गरीब परिवार को मकान मिल सके, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Statement by Minister correcting answer to Question; Shri Sanjay Seth.

STATEMENT BY MINISTER CORRECTING ANSWER TO QUESTION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): Sir, I rise to lay a Statement (in English and Hindi) correcting the answer to Unstarred Question No.1013 given in the Rajya Sabha on the 9th February, 2026, regarding 'Cadre Review in EME Corps'.

Statement

I beg to correct the reply of part (a) to (c) given in the answer to Unstarred Question Number 1013 in Rajya Sabha on 09th February, 2026 regarding "Cadre Review in EME Corps" as follow:-

Part of the Question answered	For	Read
(a) to (c)	The Cadre review of Artisan staff of Corps of Electronics and Mechanical Engineers (EME) is undertaken in a phased manner from time to time. The recruitment Rules of artisan staff were last published vide SRO No 54 dated 21.08.2024.	The cadre review of Artisan staff of Corps of Electronics and Mechanical Engineers (EME) is undertaken in a phased manner from time to time. The recruitment rules of artisan staff were last published vide SRO No 54 dated 21.08.2014.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 2.00 p.m.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials]

The Hosue then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at one minute past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Discussion on the Working of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Shri Ghanshyam Tiwari to raise the Discussion on the Working of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): माननीय उपसभापति महोदय, आज हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो विश्व का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यहाँ हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि जब सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भारत की ओर से श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी गए थे। चार दिन तक लोगों के भाषण होने के बाद, चौथे दिन पी.वी. नरसिम्हा राव जी को बोलने का अवसर मिला था। उस समय उन्होंने एक मंत्र पढ़ा था, जिसे मैं भी पढ़ रहा हूँ:

"ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥"

जब उन्होंने यह मंत्र पढ़ा, तो विश्व के अर्थ सम्मेलन में इसे मूल भाव के रूप में स्वीकार कर लिया गया और कहा गया कि चार दिन तक हम बहस करते रहे थे और आपने चार दिन बाद यह बात बोली है। आज दुर्भाग्य यह है कि हम जो पर्यावरण को ठीक करना चाहते हैं, जलवायु परिवर्तन को ठीक करना चाहते हैं, किंतु आज जो राजनीतिक रूप से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वह इस सदन में भी बार-बार दिखाई देता है। आज हमारे माननीय नेता सदन ने भी उदाहरण देकर कहा कि पर्यावरण की शुद्धि के साथ-साथ जो राजनीति का प्रदूषण हो रहा है, उसकी शुद्धि की भी आवश्यकता है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए।

माननीय उपसभापति महोदय, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति और जिसका धर्म आदि पूरी तरह प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता कि कोई तपस्या करके गंगा को 2400 किलोमीटर तक लेकर चला जाए। यह भारत देश है, जहाँ भागीरथ पैदा हुए और उन्होंने गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक गंगा को प्रवाहित करने का कार्य किया। यह हमारी नदियों के बारे में है।

Contents Page

इसी प्रकार का भागीरथी प्रयत्न आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए भागीरथी प्रयत्न कर रही है। हमारे यहाँ शुरू से है। हमारे यहां धर्म की उत्पत्ति नदियों से हुई है। नदियों के किनारे हमारी सभ्यता का विकास हुआ है। हमारे सारे तीर्थ स्थान पहाड़ों पर बने हुए हैं या समुद्र के किनारे हैं या नदियों पर हैं। इतना ही नहीं, हमने यजुर्वेद में "माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः" कहा है। पृथ्वी हमारी माता है। जिस प्रकार से माता का संरक्षण करना चाहिए, उसी प्रकार से उसका संरक्षण करना चाहिए। यहां तक कहा कि पृथ्वी के अगर पैर भी स्पर्श करते हों, तो माफी मांगो। कहते हैं — "विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे।" हे विष्णु पत्नी, मैं नींद से उठ रहा हूं, तुमको पैर से छू रहा हूं, तो मुझे माफ करना। इतना आदर करते हैं। उसी प्रकार से द्युलोक और भूलोक है। द्युलोक का मतलब आकाश है। आकाश को पिता माना है और भूलोक को माता माना है। जिस प्रकार से माता और पिता का संरक्षण करना चाहिए, उसी प्रकार से प्रकृति का भी संरक्षण करना चाहिए। यह हमारे प्राचीन काल के वेदों से लेकर आज तक चला आ रहा है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं। सारी औषधियां कहाँ होती हैं? उसके बारे में कहा गया है - "विश्वं मातरम औषधि नमः।" पृथ्वी समस्त वन औषधियों की माता है और पृथ्वी हमारे लिए शुद्ध जल प्रदान करती है। इस प्रकार से हमें इस पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारी प्रकृति में है।

माननीय उपसभापति महोदय, हम प्रकृति पूजक तो हैं ही, इसके साथ-साथ पेड़, वनस्पति के भी पूजक हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। चरक, जो विश्व के प्रथम फिजिशियन थे, उन्होंने अपने यहां 5,500 औषधियों का वर्णन किया। अब उनके गुण दोष कैसे लिखें? उन्होंने कहा कि वे उस औषधि के पास गए और जाकर कहा कि मैं मानव कल्याण के लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूँ, तो आप बताओ की आप क्या काम आ सकते हो। हे अश्वगंधा, आप बताओ कि आप क्या काम आओगे? जितनी औषधियां थीं, उनके बारे में उन्होंने बिना लेबोरेटरी के लिखा। इसका मतलब आप समझिए कि वनस्पति से भी हमारा कितना प्रेम रहा है। प्रेम तो रहा ही है, इसके साथ-साथ हमने वृक्षों का भी पूजन करने का काम शुरू किया। हमारे यहां पीपल की पूजा, बड़ की पूजा होती है। हमारे यहां इनके नाम से तिथि तय कर दी। आंवला नवमी के बारे में है। तुलसी के लिए कहा कि "अकाल मृत्यु हरणं सर्व व्याधि विनाशनं।" ऐसा करके इन सारी औषधियों का भी वर्णन किया।

मैं भूमिका के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारे इस देश में, जिस देश में आज हम भारत की संसद में इस पर चर्चा कर रहे हैं, वह प्रकृति प्रेम और प्रकृति के बारे में है। परिस्थितियां बदली, औद्योगिकरण आया, वाहनों की आवाजाही होने लगी, युद्धों का विस्तार हो गया, जनसंख्या का बोझ बढ़ने लगा, वनों की संख्या कम होने लगी, वन्य जीवों की संख्या कम होने लगी, वायुमंडल में सांस लेने में दिक्कत होने लगी, पॉल्यूशन बढ़ने लगा, कचरा बढ़ने लगा, तो ये सारे काम होने से मानव सभ्यता के सामने और मानव जाति के सामने एक संकट पैदा हुआ। अब इस संकट के निवारण के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने महत्वपूर्ण काम किए हैं। मैं उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यूपीए के 2012-13 में पर्यावरण मंत्रालय को 2,430

Contents Page

करोड़ रुपये दिए गए। अब मोदी जी की सरकार ने इस साल 2026-27 के बजट में 3,759.46 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह केवल मौद्रिक विस्तार नहीं है, यह नीतियों का भी विस्तार है। जो नीतियाँ और योजनाएं लागू की हैं, उन पर जो खर्च हो रहा है, यह उसका ही परिणाम है। मैं आपको एक उदारहण देना चाहता हूँ कि ईरान में रामसर नामक एक स्थान है। उस रामसर स्थान पर 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसमें वेटलैंड के बारे में, आर्द्र भूमियों के बारे में एक समझौता किया गया था कि इनका विकास किया जाना चाहिए और इनका विकास करके इन्हें ठीक किया जाना चाहिए। यह 1971 में हुआ था और भारत ने इसे स्वीकार किया। 2014 में भारत में केवल 26 रामसर साइट्स थीं। सिर्फ 26 ऐसी जगहें थीं, जहाँ पर बाहर के पशु-पक्षी आते थे, विदेशी बर्ड्स आती थीं और आकर रहती थीं। उनके लिए सुरक्षा थी - भारत में इस प्रकार के कूप बने हुए थे। आज, 2026 में ऐसी 98 साइट्स हैं, जहाँ पर रामसर वेटलैंड्स विकसित किए गए हैं। वहाँ पर सारी दुनिया से पक्षी आते हैं, बर्ड्स आती हैं, वहाँ रुकती हैं। यह पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है - उसका विकास इस दृष्टि से किया गया है। यह मोदी जी की सरकार ने किया है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने केवल यही नहीं किया, बल्कि इन दिनों उदयपुर को भी विश्व पटल पर लाए हैं। महोदय, विश्व में सबसे पहले इंदौर, उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी घोषित कर दिया था। उदयपुर, राजस्थान में और इंदौर, मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार से वेटलैंड के काम किये गए हैं।

महोदय, वन आच्छादन और वनों का संरक्षण करना भी एक बहुत बड़ा काम है। इस काम को करने से 2023 में वन वृक्ष आच्छादन में वृद्धि हुई है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि 2025 में भारत दुनिया में वनों के विकास में नौंवे स्थान पर है और तीसरे नंबर पर हम वार्षिक वृद्धि में खड़े हैं। मोदी जी के आने के बाद मौद्रिक के साथ-साथ जो नीतिगत विस्तार हुआ है, उसी का यह परिणाम हुआ है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।

महोदय, इसी प्रकार से शहरों में फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने 654 करोड़ रुपये से 620 शहरी वन योजनाएं प्रारंभ कीं। ये शहरों के बीच वन क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, फेफड़े लगा रहे हैं, ताकि साँस लेने में लोगों को आराम मिल सके। इस प्रकार का एक विस्तार किया जा रहा है। जैसे हमें जीने का अधिकार है, मकान का अधिकार है, खाने का अधिकार है, कपड़े पहनने का अधिकार है, उसी प्रकार से स्वच्छ साँस लेने का भी अधिकार है। वह स्वच्छ साँस मिले, इसके लिए शहरी वन विकास कार्यक्रम को माननीय मोदी जी के नेतृत्व भारत सरकार ने बड़े शहरों में प्रारंभ किया है। यह काम 620 बड़े शहरों में प्रारंभ हो गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए भारत सरकार बहुत-बहुत धन्यवाद की पात्र है।

महोदय, प्रदूषण की निगरानी भी एक बहुत बड़ा काम है। हम बार-बार दिल्ली के प्रदूषण के बारे में सुनते हैं, और सबके बारे में भी सुनते हैं। इस समय, 2025 तक प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए काम किया गया है। महोदय, पहले की सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया था, लेकिन भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और भूपेन्द्र यादव जी के नेतृत्व में भी 1600 स्टेशन्स विकसित किए हैं। वे वायु प्रदूषण पर अपनी निगरानी रखते हैं। निगरानी रखने का यह काम भारत

Contents Page

सरकार ने शुरू किया है। इसका यह परिणाम आया है कि 103 शहरों में जो पीएम 10 होता है, उसमें कमी हुई है और 25 शहरों में 40 परसेंट तक की गिरावट आई है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रदूषण निगरानी के इस काम के लिए 2026-27 के बजट में 1,091 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का भारत सरकार ने प्रावधान किया है, ताकि लोगों को शहरों में स्वच्छ साँस मिल सके। भारत सरकार पर्यावरण के लिए किए गए काम के लिए भी धन्यवाद की पात्र है। माननीय उपसभापति महोदय, इसके साथ ही परिवेश 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें एकीकृत क्लीयरेंस, पर्यावरण परीक्षा और रियल टाइम ट्रैकिंग का काम होता है। इसमें सारे काम, चाहे वे एनओसी को लेकर हों, लाइसेंस को लेकर हों, औद्योगिक नीति को लेकर हों, वे सब एक जगह जाने पर होंगे और इस प्रकार से इस काम को भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है।

माननीय उपसभापति महोदय, वन क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी। जो आदिवासी वन क्षेत्र में रहते हैं, उनके रहने की, उनके पट्टों की बहुत बड़ी समस्या थी। उसे दूर करने के लिए एफआरए में 25 लाख दावें आए हैं। एनडीए की सरकार ने 50 लाख दावों में से 25 लाख पट्टे दिए थे। इस प्रकार से आदिवासी, जिन्होंने पीढ़ियों से वनों का संरक्षण किया है, उन्हें वनों में रहने का पैतृक अधिकार भारत सरकार ने प्रदान किया है। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। भारत सरकार ने यह काम यूपीए से 60 परसेंट अधिक किया है। इसके लिए भी भारत सरकार धन्यवाद की पात्र है।

माननीय उपसभापति महोदय, कहना और अभियान चलाना, दोनों में बहुत फर्क है। वृक्षारोपण को लेकर कई बार अभियान चलाए गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने एक भावनात्मक अपील की। एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अभियान शुरू किया गया। अपनी माँ तो सबको ही प्रिय है और एक माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए, माँ के प्रति भाव व्यक्त करने के लिए एक पेड़ लगाते हैं, तो इससे बड़ा कोई और काम नहीं हो सकता है। यह अभियान बन गया, क्योंकि मोदी जी ने इसे भावनात्मक रूप से चलाया। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज तक 262.4 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। यह आज तक का सबसे बड़ा अभियान है, जिससे आम आदमी वृक्षारोपण में जुड़ गया। उन्होंने यह सबसे बढ़िया काम किया है। साथ ही, मिशन लाइफ में 6 करोड़ लोगों ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया।

दूसरी बात, पर्यावरण को खराब करने का जो सबसे बड़ा कारण था, उस कचरे के प्रबंधन का काम किया गया। यह कचरा सब क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। इसका प्रबंधन करना ही पड़ेगा। पहले शहरों में जो कचरा बिखरा हुआ है, उसका प्रबंधन, फिर जो भ्रष्टाचार रूपी कचरा है, उसका प्रबंधन और फिर राजनीति में जो कचरा है, उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। कचरा प्रबंधन में मोदी जी बहुत होशियार हैं। वे बहुत तरकीब से काम करते हैं। जहाँ-जहाँ कचरा होता है, उसका वहीं प्रबंधन करते हैं। हमारे कचरे का प्रबंधन चालू है। साहब, यह काम कई जगहों पर हो रहा है। अब आने वाले समय में भी हो जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप विषय पर बोलिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: यह कचरा प्रबंधन है। इसका प्रबंधन कर दिया है। महोदय, 372.11 लाख टन कचरे का रीसाइक्लिंग किया गया है और रीसाइक्लिंग करके, वेस्ट को वेल्थ में बदल दिया गया है। पर्यावरण सुधार के लिए यह बहुत बड़ा काम किया गया है।

इसी प्रकार, एक बायो ई3 नीति है। 2030 तक 300 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था हो जाए, भारत सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है। मैं इसके लिए भी भूपेन्द्र यादव जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये भी कचरा प्रबंधन में बहुत होशियार हैं। मैंने उन्हें बोलते हुए देखा है। वे बहुत शांति से रहते हैं, धीरे-धीरे बोलते हैं, लेकिन गहरी बात बोलते हैं।

"सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर।
देखन में छोटे लगै, घाव करें गम्भीर।"

ये भी गम्भीर घाव करते हैं। इन्होंने इस कचरे का ठीक प्रबंधन किया है। कैम्पा योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने राज्यों को 47 हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं। वे पहले कचरे के रूप में ही पड़े रहते थे। इसका मतलब कि वे कचरा प्रबंधन में भी होशियार हैं। ये रुपये वहां एक साथ पड़े हुए थे। इनको कोई नहीं दे रहा था। भारत सरकार ने राज्यों को ये रुपये उपलब्ध करवाए हैं। कौन आया, देखो कौन आया, कौन आया, शेर आया, शेर आया - ये नारे मोदी जी के लिए लगते रहे हैं और बहुत बार लगते हैं। इस प्रकार से ही बाघ संरक्षण का, टाइगर्स संरक्षण करने का काम भारत सरकार ने किया है। 2010 में 1,706 बाघ थे और उनकी संख्या 2022 में बढ़कर 3,682 हो गई। विश्व के 75 परसेंट बाघ आज भारत में रह रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भारत एकदम आगे बढ़ रहा है। भारत में शेर ही बढ़ रहे हैं, तो भारत भी शेर की तरह ही आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत शेरों को भी बढ़ा रहा है और भारत के शेर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा इस काम के लिए पंचामृत प्रतिज्ञा मोदी जी ने कराई। उस पंचामृत प्रतिज्ञा के अंतर्गत 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा, 50 परसेंट नवीकरणीय ऊर्जा, एक अरब टन उत्सर्जन कटौती, 45 प्रतिशत कार्बन तीव्रता में कमी और 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य है। 2025 तक 50 परसेंट गैर-जीवाश्म का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। यह बहुत बड़ा काम है।

माननीय उपसभापति महोदय, वाहनों आदि से होने वाले उत्सर्जन को रोकने का काम किया गया है। हमने 2025 तक 50 परसेंट लक्ष्य हासिल कर लिया। यह बहुत बड़ा काम है। जैव विविधता का संरक्षण किया गया है, स्वच्छ वायु और प्रदूषण के लिए बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उनमें एक पीएम कुसुम योजना है, जो किसानों के लिए चालू की गई। वे इसके अंतर्गत सोलर एनर्जी लगाएंगे। सोलर एनर्जी लग रही है। 2014 में 78 गीगावाट से अब 2023 में 174 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त हुई है। पीएम उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन से बायोमास ईंधन की कटौती हुई है। वह काम चालू किया है। इसी प्रकार 2024 से आगे बढ़कर जैव प्रौद्योगिकी से 300 अरब की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। इसी प्रकार डिजिटल सुधार का काम भी किया है। परिवेश के हिसाब से, कैम्पा के हिसाब से, वेस्ट टू वेल्थ के हिसाब से कार्य किया गया है।

Contents Page

माननीय उपसभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने और बहुत योजनाएं शुरू की हैं। मिशन लाइफ शुरू किया है। पर्यावरण के अनुसार जीवन शैली चलाने के लिए मिशन लाइफ शुरू किया है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक जन-आंदोलन है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक इससे आम आदमी नहीं जुड़ेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। सारा प्रकल्प निकाल रहे हैं। उसी प्रकार से मिशन मौसम शुरू किया गया है। आज कहीं भी वर्षा होती हो, ओलावृष्टि होती हो, आंधी आती हो, बाढ़ आ रही हो, इसकी सूचना सबको हो जाती है। यह बहुत बड़ा सिस्टम भारत सरकार ने बनाया है। इसकी एक्यूरेसी 99 परसेंट होती है। यह आज का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उसी प्रकार से रेडियो समुद्री स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना शुरू की गई है। यह भारत में एक बहुत बड़ा काम है। भारत में रेलवे का 99 परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। पहले कोयले आदि से चलने वाली सारी ट्रेनें थीं, लेकिन अब पर्यावरण को ठीक करने का बड़ा काम हुआ है। उसी प्रकार से ई-वाहन है। आप शहरों में जहां भी जाइए और देखिए कि ये जो ऑटो रिक्शा आदि चलते हैं, वे पहले बहुत पॉल्यूशन करते थे। अब वे बैटरी से चलने लगे हैं। ये हर जगह आपको सैकड़ों और हजारों की संख्या मिलेंगे। इसी प्रकार, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 10,900 करोड़ के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन और यहां तक कि बसों का भी प्रावधान किया गया है। दिल्ली में भी अभी 500 इलेक्ट्रिक बसों का एक बेड़ा चालू किया गया है। यह एक बहुत बड़ा अभियान है। इस तरह से भारत सरकार ने यह काम किया है।

इसी प्रकार, एक इथेनॉल ब्लेंडिंग का कार्यक्रम है। यह इथेनॉल से पेट्रोलियम बनाने का काम है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी बैठे हैं। यह 18 परसेंट तक पहुंच गया है। 20 परसेंट तक मिश्रण प्राप्त करने का इसका लक्ष्य है। इससे भी बहुत बड़ा काम होगा। इससे एक तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। माननीय उपसभापति जी, मैं तो कह रहा हूं कि सुबह ये सुन लेते, हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी बैठे थे, वे वैसे ही वहां से बोल रहे थे कि भाव बढ़ गए हैं। कौन से भाव बढ़ गए हैं! पाकिस्तान ने एक साथ 55 रुपए बढ़ाए, वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, जिसका ये बार-बार नाम लेते रहते हैं। हमारे यहां तो एक पैसा नहीं बढ़ा! कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक यह नहीं बढ़ा है। हमने एनर्जी की इतनी बड़ी सुरक्षा की है। अब भी इन्होंने सुरक्षा कर ली कि फारस की खाड़ी वाला वह रूट बंद हो रहा है, तो हमने दूसरे रास्ते खोज लिए हैं। यह भारत सरकार है, यह सब प्रकार के रास्ते खोजना जानती है और सब प्रकार के काम करना जानती है। इसके नेता नरेन्द्र मोदी जी हैं, इसलिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत की जनता की चिंता भारत सरकार कर रही है और कुछ भी बढ़ेगा नहीं। अगर युद्ध होगा, तो होगा, युद्ध रोकने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध से भी पर्यावरण बिगड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं! यह उनकी जिम्मेदारी है।

इसी प्रकार, हमने ग्रीन इंडिया मिशन चलाया। ये जो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वे सारे कार्यक्रम भारत सरकार कर रही है। इससे पर्यावरण भी ठीक होगा और हम इससे जलवायु परिवर्तन का असर भी रोक पाएंगे।

इसी प्रकार, कार्बन बाजार है। भारत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली विकसित कर रहा है। इससे उद्योगों को उत्सर्जन कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय सौर मिशन के जरिए पहली बार सोलर एनर्जी के आधार पर भारत सरकार कितना बड़ा काम कर रही है। वह भी ग्रीन एनर्जी के लिए काम कर रही है। उससे भी पर्यावरण बचेगा।

इसी प्रकार, भारत सरकार यातायात में, रेल में, पर्यावरण में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कई काम कर रही है। भारत सरकार पेड़ लगाने में, वनों का संरक्षण करने में, वनों का आच्छादन बढ़ाने में कई तरह के काम कर रही है। मैंने प्रारंभ में कहा था कि गंगा को लाने का काम भगीरथ ने किया था, यहां मोदी जी जलवायु परिवर्तन से इसको बचाने के लिए भागीरथ प्रयत्न कर रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः बहुत धन्यवाद, माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी जी। इस परिचर्चा, यानी "Discussion on the Working of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change" में भाग लेने के लिए जिन माननीय सदस्यों ने नाम दिए हैं, मैं उन नामों को पुकारता हूं। माननीय श्री नीरज डांगी जी, उपस्थित नहीं। माननीय श्री साकेत गोखले जी, not present. माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला जी।

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Thank you Deputy Chairman, Sir. I am very happy to be here speaking on this important subject. हमारे देश, भारत में हमारे लिए nature and environment भगवान है। इस परंपरा से यह देश सदियों से इसको प्रैक्टिस करता आ रहा है। आज की स्थिति में, when we talk about this Department, you have to see the past, present and future. From today onwards to the future, our Prime Minister has put a clear goal for our nation. By 2047, we have to be a Viksit Bharat – developed nation. If we have to achieve those goals, हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि पहले हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं। I have seen when the Hon. Minister, Shri Bhupender Yadav talks about his Ministry. दिल से बोलते हैं कि यह same concern है। This country is not only for people, but also for पशु-पक्षी आदि। यह nature जो है, जो आदमी दिल से ऐसा है, वैसा आदमी इस देश का मंत्री है। I can see that what he talks is coming out of his heart. I mean, clear goals are kept for this Ministry under his leadership, as I understand. Regarding past issues, when I see, if we have to achieve our *Viksit Bharat* goals, certainly, the Ministry of Environment, Forest And Climate Change should shift its mandate from isolated pollution control or conservation efforts or clearance-granting to integrated environmental protection and sustainable economic enablement. This is very important if we have to be a *Viksit Bharat*. But, Sir, in the past, if you see, we were just 176^{th} out of 180 countries in Yale Environmental Performance Index. We were 177^{th} in Air Quality, 172^{nd} in Projected

Contents Page

Emissions, and 171st in Ecosystem Vitality. Only in Climate Change Policy, we have performed a bit better which came into effect only after the Modi Government came into functioning from 2014. We are performing a little better on that. But, that is also due to massive focus on renewable energy. The present system needs a minimum of USD 160 billion per year, in addition to climate change mitigation investments, to achieve our stated goals for sustainability. Currently, investment flows cover roughly one-quarter of USD 10 trillion needed by 2070. But, I think, actually, our country is pre-poning these goals to 2050, which means we have to bring in more money. The estimates shows that environmental degradation cost for India is around 5.7 per cent of our annual GDP--exceeding Rs. 15 lakh crore at current economic size. This is not future risk; it is a present burden. With 18 per cent of world's population and only 4 per cent usable fresh water, the NITI *Aayog* is projecting a water crisis affecting 60 crore people that could cost 6 per cent GDP by 2050. It means, we have to be very clear. Water security is inseparable from environmental governance. We must really put in the best effort on this.

Next point is about the strategic opportunity around environment as an engine of fix in *Viksit Bharat*. We have to consider this around that. The green economy can unlock 1.1 trillion US dollars in annual market value by 2047. It generates 48 million full-time equivalent jobs and attracts 4 trillion US dollars in cumulative investments. The research shows that this is the possibility of green economy. Green sectors can abate approximately 2.3 billion metric tonnes of carbon dioxide annually-roughly 77.6 per cent of India's total carbon emissions as of 2024.

Sir, India achieved 50 per cent non-fossil fuel installed electricity capacity by mid-2025. I must compliment this Government. This is five years ahead of its Paris Agreement NDC target of 2030. Yet *Viksit Bharat*'s vision of a USD 30-40 trillion economy, at 7 to 10 per cent annual growth, will be fundamentally undermined without a parallel environmental transformation. Achieving developed-nation status requires decoupling economic growth from environmental degradation. These are not competing objectives. They are inseparable. I think, we have a very clear opportunity around environment, which we have to take it very seriously as of today, focusing and making the foundation for future.

To achieve this future focus set by the Ministry, me and my party see that we have some structural deficits. That is the reason we really have to relook as to why we have to restructure ourselves. This is imperative; we have no other option.

Contents Page

Sir, MoEF's budget allocation for the year 2026-27 is Rs.4,413 crore which is less than 0.1 per cent of the Union Budget. For a Ministry tasked with India's air, water, biodiversity, forest, climate change and waste management, this is very small and very miniscule. We need to really look at this. So we need to bring this structural change around the investment. With regard to the knowledge and skill that this Department has to possess, certainly, a detailed strategy has to be there. हमें 25 साल आगे की सोच कर strategy बनानी पड़ेगी। For that, one of the implementing agencies of the Ministry is CPCB. When I see Central Pollution Control Board, it has approximately 500 full-time employees for a nation of 1.4 billion people. Comparable agencies in developed nations have minimum 10 to 30 times of this capacity relative to population. Sir, I think this is very important and CPCB needs to be strengthened a lot. The Ministry was last conceptually restructured in 2014 when 'climate change' was added to its name. But no comprehensive strategic review of its mandates, structure or capabilities has been conducted. This also needs to be completely re-looked. The Ministry operates in thematic silos--forests *versus* wildlife *versus* pollution *versus* climate change--rather than through functional convergence. It lacks dedicated verticals for circular economy, just transition, climate finance, critical minerals, environmental technologies and sustainable solutions. Because of all these things, the Ministry needs a structural transformation and restructuring. I also want to say that there are some bottlenecks, federal bottleneck, that is, strong laws and weak implementation. India possesses one of the most comprehensive environmental legislative frameworks in the developing world—EPA, 1986; Air Act, 1981; Water Act, 1974; NGT, Biodiversity Act, Forest Conservation Act and extensive EPR and waste management rules. We are very good at making laws. Yet enforcement is characterized by a dual-structure paradox. Policy is driven centrally, but enforcement is State-led. The State Pollution Control Boards handle thousands of industrial consents but are plagued by acute technical manpower shortage, legacy technology, political economy pressures and varying fiscal capacity. Sir, I had worked closely with State Boards, Central Board and the Ministry and I found that the Government of India really wants to do, but there is a pressure on the States where States are not getting ready to really take this as a mission. And for that, we really need to ensure that the implementation programs must be made mandatory with the money that is going to flow from the Government of India. If you do not link these programs with those deliverables, it is going to be very difficult. An environmental policy is only as effective as its enforcement at the municipal and State-level. Especially, at municipalities, there are a lot of problems relating to air pollution, solid waste management, water and wastewater. At municipal levels, our system is not effective.

Even though we have strong laws, there is a will and wish to make them happen from the top, and at the lowest level, we are facing many difficulties. Out of 130 NCAP cities in India, only 23 have achieved 40 per cent Particulate Matter reduction target by 2024, 55 have achieved 20 per cent and almost Rs.11,200 crores allocated by the Ministry are yet to be spent and their outcomes are not comfortable.

Sir, then the circular economy and the informal sector imperative is the need of the hour. India must transition decisively from a linear take-make-dispose model to a circular economy. India's urban mining potential is valued at Rs.14 lakh crore by 2030. E-waste is growing at 21 per cent annually, and plastic waste stands at 3.5 million tons per annum. There is a huge opportunity around the circular economy in most of these areas. While an EPR framework exists for plastics, e-waste, batteries and tyres, the ecosystem for tracing, verifying, and recycling waste relies heavily on an informal sector that remains largely unregulated. India's waste-recycling informal economy employs an estimated 4 million people. Formalizing these networks into a scaled and systematic eco-parks industrial setting is critical to moving from paper compliance to physical compliance. For that, Sir, a dedicated national authority for circular economy and resource recovery must be established.

Sir, I have some four recommendations to the Ministry. First point is a comprehensive strategic review. सर, जैसा मैंने कहा, compared to most countries in the world, we are blessed, हमारे देश में हर जगह यह मान्यता है कि भगवान हमारे साथ है और हम nature को भगवान मानते हैं। इसलिए हमें एक comprehensive strategic review करना चाहिए कि हम अपने देश में जिन five elements को भगवान मानते हैं, उनको कैसे protect किया जाए। How to protect these five elements of our country? For that, we must commission a formal, time-bound independent strategic review, within a maximum of 12 months, of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, covering its mandate, structure, capabilities and programmes, with very clear deliverables, इन 5 सालों में हम क्या करेंगे और हमने कितना किया है? उसके लिए एक comprehensive strategy होनी चाहिए, which is a must. Recast the mandate. Shift the MoEFCC from purely a regulatory and clearance-granting body to an economic, enabling and resource-security body. Its mandate must explicitly include driving the circular economy. Sir, the entire Government's environmental architecture must need a change. We must establish a national environmental coordination council chaired by the hon. Prime Minister, the hon. Minister or the Cabinet Secretary, with representation from the Ministries of Power, Agriculture, Urban Affairs, Commerce and Industry, Finance, Rural Development and Environment. We also need structural reorganization. We are working in unsiloing. We must move away from working in

silos—from thematic divisions such as forest vs. wildlife vs. pollution vs. climate change—towards functional convergence. For this, a national authority for circular economy and resource recovery, a division of climate finance and a dedicated chief technology office, must be established within the Ministry. Sir, we must bring about radical capacity expansion. The MoEFCC Budget should be raised to 0.5 per cent of the Union Budget by 2030. I would like to point out, we already have the polluter-pays principle. Therefore, raising such a Budget is achievable. Polluters must pay and people are willing to contribute for a better environment. The Ministry should take into consideration, especially the Finance Ministry must come out, work closely with the Environment Ministry to see how this sort of a Budget is provided for—not from cash flows, but the Department itself can provide for that. Further, expand the Central Pollution Control Board five-fold and bring in global subject-matter specialists. This is one thing which we must bring in. For every State, every city, every river and every forest, we must develop model projects that will provide direction not only to the sector but also to the entire country. Others can emulate and follow these models. Such initiatives must be pursued with a very aggressive approach. For that purpose, we should create a national environmental service cadre of specialized professionals, coordinators and stakeholders. Then, Sir, we also have to see as to how to bridge the federal Government enforcement gap.

We say that State is not doing this, cities are not doing this, but we must work on this without complaining. Sir, we should establish Center-State environmental compact with minimum capability standards, direct funding, training and audit mechanism for all State Pollution Control Boards. We must create a national environmental performance dashboard with State-wise rankings. There should be national digital environmental infrastructure. We should deploy Artificial Intelligence and satellite-enabled real-time monitoring, a unified block chain enabled digital compliance platform connecting Central Pollution Control Board, all State Pollution Control Boards, National Green Tribunals, NGOs and all the users. There should be automated complaints verification among all the stakeholders, drone-based monitoring and citizen facing environmental services must be brought in.

Also, Sir, we have to build market-based mechanism capabilities. We have to ensure that deep financial and economic capabilities are built within the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. They have to manage domestic carbon markets, green taxonomy, Sovereign Green Bonds, their deployments and also the green credit program at scale. They must work closely with the Ministry of Finance to

Contents Page

ensure that the market-based mechanism and capabilities must be brought under this.

Sir, there is the National Green Economy Mission. To capture 1.1 trillion dollar economic opportunity, we must educate and support the people, business houses and the Government itself to see that a circular economy at scale, bio-economy and nature-based solutions at scale, green hydrogen and sustainable agriculture and green finance ecosystem development must be encouraged and put in with a clear strategy and deliverable.

We have to formalize the informal waste economy. Sir, this is another very, very important area where the Ministry must bring in one particular agency to work within this field. We have to create a dedicated policy to integrate, regulate and industrialize the estimated 4 million informal waste workers into the formal EPR and circular economy architecture.

Then, Sir, there should be national environmental literacy mission. We have to start from our schools and at home as to how to integrate environmental science into education at all levels. We must train two to three million environmental professionals by 2035. We must expand Mission LiFE through citizen engagement, leveraging digital public infrastructure.

Sir, finally, this is my twelfth point that we must bring in a cultural transformation. We have to bring in from policing to partnering transformation with the people. We must instill a culture where compliance is automated and frictionless for public, the local bodies, industries, who all are acting in good faith. There should be transition of the bureaucratic mindset from policing to partnering for sustainable industrial and urban designing. We must establish an independent environmental performance commission for credible non-partisan accountability.

Sir, finally, if we do not act fast, we are going to lose heavily. We want the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to be ready for next 25 years and we want to become a 30-40 trillion dollar economy. But, if we do not transform ourselves, we will have unbreathable air, we will have undrinkable water and we will have irreversible biodiversity loss till that time. Sir, we must focus on transforming ourselves as we cannot afford to give this to our children. We will also lose out India's position in global environmental ranking, sovereign ESG ratings, foreign investment attractiveness and also international credibility. We will lose all this if we do not gear up to face the future challenges. Sir, this is not merely an environmental issue. It is a

national security issue, an economic competitiveness issue and a generational justice issue. The restructuring of MoEFCC is a necessary precondition for the Viksit Bharat vision.

Sir, finally, I want to tell you, we are at a place where we have one of the best Governments, the best leadership, and clear deliverables. We need to implement, we need to strategize, we need to structure, keeping in mind what our elders have preached us, told us, "*Om Namaha Shivaya*" .

Aum is the power that connects us to the Nature; 'Na', as you all know, Sir, in Sanskrit, it means *bhumi*; 'Ma' means पानी है, 'si' means fire है, 'va' means वायु है and 'ya' means ब्राह्मण है। So, *Aum Nama Sivaya,* if we have to preach and practice, I think these are very imperative changes that we need to bring in. I really want to thank you and the House for giving me this opportunity. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Subhasish Khuntia *ji.*

SHRI SUBHASISH KHUNTIA (Odisha): *Jai Jagannath*! Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the working of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. सर, environment और development के बीच संतुलन बनाना आज हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। Sustainable development की बात हम सब करते हैं, लेकिन ग्राउंड रिएलिटी में कई जगह एनवायर्नमेंट की कीमत पर डेवलपमेंट हो रहा है।

उपसभापति महोदय, मैं अपने ओडिशा राज्य का उदाहरण देना चाहूंगा, जो biodiversity, forest resources और coastal ecosystem के मामले में देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। ओडिशा में स्थित Asia's biggest Chilka Lake सबसे बड़े खारे पानी की झील है। यह लाखों मछुआरों और स्थानीय समुदाय के लोगों की आजीविका का आधार है। हाल ही डॉल्फिन सेंसेस में Irrawaddy Dolphin की संख्या पिछले कई वर्षों से सबसे अधिक दर्ज की गई है। इसके साथ-साथ हज़ारों migratory birds हर वर्ष यहां आते हैं। आप सरकार के हिसाब से नए टूरिस्ट्स को डेवलप कीजिए और शिपिंग को आगे बढ़ाइए। हम सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन सर्वे भी होना चाहिए। इसी प्रकार ओडिशा के समुद्र तट पर हर वर्ष दुनिया के सबसे बड़े nesting phenomena देखने के लिए मिलते हैं, जो लाखों Olive Ridley sea turtles अंडे देने के लिए Gahirmatha Marine Sanctuary में आते हैं।

सर, कोस्टल इकोलॉजी की रक्षा में mangrove forests अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि समुद्र तट पर जो धीरे-धीरे sea erosion हो रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि शहर लुप्त हो जाएगा। ओडिशा में Bhitarkanika National Park और Similipal Tiger Reserve जैसे महत्वपूर्ण इको सिस्टम हैं, इसलिए इन क्षेत्रों के संरक्षण को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इन

Contents Page

ecological treasures के ऊपर आज कई प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं। ओडिशा एक मिनरल रिच स्टेट है। Iron ore, coal और bauxite जैसे खनिजों की प्रचुरता के कारण माइनिंग एक्टिविटीज़ बड़े पैमाने पर हो रही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ environmental degradation तेजी से बढ़ रहा है। कई जिलों में माइनिंग के कारण groundwater contamination बढ़ रहा है, जिससे drinking water scarcity की स्थिति बन रही है।

सर, हमारे राज्य की नदियों की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। कई स्थानों पर नदियां लगभग सूख चुकी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महानदी रिवर है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी वॉटर डिस्प्यूट वर्षों से लंबित है और दुख की बात यह है कि आज केन्द्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तीनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है और ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बाद इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। समय-समय पर समितियां बनती हैं, बैठकें होती हैं। नेता यात्रा करते हैं और फोटो खींच कर आ जाते हैं, लेकिन समाधान का रास्ता नहीं निकलता है। आज climate change और ecological imbalance की एक गंभीर चुनौती है। आज मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। गर्मी के टाइम पर बारिश और बारिश के टाइम पर गर्मी हो रही है। यह केवल agricultural crisis नहीं है, बल्कि यह किसानों पर पड़ रहा है। यह पारिस्थितिक असंतुलन का परिणाम है। अगर वनों, नदियों और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ेगा, तो Extreme Weather Events और बढ़ेंगे, जैसे कि नेचुरल केलेमिटी आती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों और ग्रामीण समाज को उठाना पड़ता है।

महोदय, उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि आज ओडिशा धीरे-धीरे industrial waste disposal zone बनता जा रहा है। आज स्थिति यह है कि ओडिशा dust disposal, slurry disposal, ash disposal और industrial waste disposal का hub बन गया है, जबकि downstream industries राज्य में स्थापित नहीं की जा रही हैं। Mineral यहाँ से निकाला जाता है और सीधे ports के माध्यम से बाहर भेज दिया जाता है, जबकि हमारे राज्य में pollution, dust और slurry ponds ही रह जाते हैं।

महोदय, air pollution भी एक गंभीर समस्या बन चुका है। Industrial belt अंगुल और तालचेर में कई बार AQI देश के सबसे ऊँचे स्तरों में दर्ज किया गया है। Coal mines और thermal power plants के कारण pollution अत्यंत गंभीर स्तर तक पहुँच चुका है। यह समस्या केवल industrial belt तक सीमित नहीं है। हमारी capital city, भुबनेश्वर भी rising AQI और urban pollution की समस्या का सामना कर रही है।

महोदय, एक और गंभीर समस्या है - Environmental clearances. कई स्थानों पर projects को ग्राम सभा की वास्तविक अनुमति के बिना clearance दे दिया जाता है, जबकि forest land diversion के मामलों में स्थानीय समुदायों की सहमति आवश्यक है, जैसा कि Forest Rights Act, 2006 में भी निहित है। Illegal mining और illegal sand mining भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। River beds से अत्यधिक रेत निकासी के कारण नदियों की प्राकृतिक संरचना बदल रही है और कई क्षेत्रों में crocodile habitat पर भी इसका असर पड़ रहा है। Sir,

mining projects और infrastructure development के नाम पर लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है। हमें यह समझना होगा कि plantation और natural forest एक ही चीज नहीं हैं; natural forests को plantation से replace नहीं किया जा सकता। जब habitat नष्ट होता है, तब wildlife को मजबूर होकर human settlements की ओर आना पड़ता है, जिससे man-animal conflict बढ़ता है।

माननीय उपसभापति महोदय, वर्ष 2004 में मेरे नेता श्री नवीन पटनायक जी, जो ओडिशा सरकार में मुख्य मंत्री थे, उनके नेतृत्व में Odisha Rural Infrastructure and Socio Economic Development के लिए प्रयास किया गया था। अब Supreme Court of India ने 25 July, 2024 और 14 August, 2026 को महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि royalty tax नहीं है और राज्य सरकारें mineral तथा mineral-bearing land पर cess लगा सकती हैं। आज इस निर्णय को डेढ़ वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि झारखंड और कर्णाटक जैसे राज्यों में तो इस दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में - जहाँ डबल इंजिन सरकार है, ट्रिपल इंजिन सरकार है, वहाँ अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। अगर यह cess लागू किया जाए तो ओडिशा को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये retrospectively प्राप्त हो सकते हैं। यह पैसा mining-affected districts के development और environmental restoration में लगाया जा सकता है। इसीलिए सवाल उठता है यह निर्णय लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, किसके दबाव में इसे रोका जा रहा है?

माननीय उपसभापति महोदय, development के नाम पर अगर हम forests, rivers और ecosystems को destroy कर देंगे, तो उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। जो कैंपा फंड के बारे में बोल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि Government का सबसे अच्छा initiative यह CAMPA Fund है। यहाँ पर मंत्री जी बैठे हैं, मैं मंत्री जी को अवगत कराने के लिए बोल रहा हूं कि ओडिशा में CAMPA Fund से डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थार गाड़ी खरीद रहे हैं – आप थोड़ा इसको भी देखिए। ओडिशा में प्लांटेशन का काम नहीं चल रहा है। कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए हम अपने forests और ecosystems को जल्दबाजी में नष्ट नहीं कर सकते। हमें ऐसा development model अपनाना होगा जो environment protection और economic progress दोनों के बीच संतुलन स्थापित करे।

हमें आशा है कि सरकार environmental protection और local communities के अधिकारों को प्राथमिकता देगी। जय जगन्नाथ! वंदे उत्कल जननी !

3.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. V. Sivadasan; not present. Shrimati Jaya Amitabh Bachchan; not present. Shri Milind Murli Deora; not present. Shri Mokaria Rambhai.

SHRI RAMJIBHAI HARJIBHAI MOKARIYA (Gujarat): [&]Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this important discussion. I wish to speak in Gujarati language. I rise today in this august House to address the exemplary working of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. I speak in unwavering support of the Government. Under the visionary and steadfast leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, this Ministry has scaled remarkable heights. The Prime Minister has embraced environmental protection as his sacred personal mission—a dedication evident to us all.

Let me begin with our forests, where India's green mantle has flourished steadily. From 2019 to 2023, we expanded forest cover by more than 1,500 square kilometers—a triumph of resolve. The Prime Minister's Green India Mission propels this progress, nurturing trees and safeguarding wildlife. Our state of Gujarat stands at the forefront. The Gir National Park now shelters over 700 Asiatic lions, their numbers ascending through vigilant protection. The Prime Minister graced Gir with his presence, bestowing blessings upon these majestic creatures—his profound care ensuring their enduring legacy. I would also like to thank Shri Bhupendra, hon. Minister of Environment, Forests and Climate Change. My previous speaker spoke about cleaning the garbage. The trash has nearly been cleared. Sir, I am both happy and sad because of the absence of the people on the other side. They do not participate in constructive debates and indulge into self publicity that creates a negative atmosphere.

The Ministry of Environment, Forests and Climate Change also champions mangroves along our coastline, bolstered by the ministry's generous funding. Over 10,000 hectares have been restored in the last five years. These vital green sentinels repel cyclones and shield Kutch's villages. Fishermen reap bountiful harvests, their livelihoods enriched. Thank you, hon. Prime Minister, for this impenetrable emerald shield.

Turning to climate change, our hon. Prime Minister commands global reverence. At COP26 in Glasgow, he unveiled five transformative pledges, including 500 gigawatts of non-fossil energy by 2030—a commitment we are resolutely advancing. Today, India harnesses over 200 gigawatts from solar, wind, and hydro sources. Gujarat gleams brightest with the world's largest solar park at Charanka, illuminating lakhs of homes. The PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana delivers solar

[&] English translation of the original speech delivered in Gujarati.

Contents Page

rooftops to every household; in Surat and Vadodara, families curtail bills while cradling the planet. Hon. Prime Minister Shri Narendrabhai Modi proclaims, "One Sun, one Earth, one Solution"—words that ignite our collective spirit. Gujarat deploys thousands of solar pumps for farmers, vanquishing water scarcity and invigorating crops. This is development where environment reigns at the heart.

Sir, pollution control marks yet another resounding victory. The National Clean Air Programme uplifts 131 cities, with air quality enhanced in 80. Ahmedabad now inhales with ease, PM10 levels plummeting 30 percent since 2019. The Prime Minister's Swachh Bharat Abhiyan purifies streets and rivers. In Gujarat, the Sabarmati has transcended from a fetid drain to a pristine waterway, where people now glide in boats. Namami Gange revives our sacred rivers through over 150 completed projects and numerous sewage treatment plants. The Ganga flows untainted once more, as pilgrims offer gratitude for the Prime Minister's tireless vision and policies. Waste management has soared to new pinnacles. The Ministry advances Swachh Bharat 2.0, with Gujarat pioneering plastic waste recycling—over 90 percent collected and reborn. Villages emerge as zero-waste exemplars. The Prime Minister honours the finest, and Gujarat frequently claims these laurels.

Our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi cherishes trees with unparalleled ardour. He inaugurated Ek Ped Maa Ke Naam, planting over 10 crore trees in a single day last year. Gujarat sowed 2 crore in mere hours, uniting schools and farms. Whenever Government, institutional or party programmes are organized, tree plantation drives are also organized along with. Children dedicate saplings to mothers, stirring souls. Forest cover in Gujarat now graces 11 percent of our land. Tribals steward these realms, empowered by the Forest Rights Act with over 1.5 lakh titles distributed. Van Dhan Yojana elevates their yields of honey, herbs, and fruits, doubling incomes in Dangs and Narmada. The Prime Minister uplifts the poor while fortifying our forests.

Wildlife conservation flourishes vibrantly. Project Tiger spans 53 reserves, with India's tiger population surging to 3,000 from 1,400 in 2014—a milestone the Prime Minister heralded personally. Gujarat's Velavadar Blackbuck Sanctuary safeguards antelopes, while Jamnagar's bird parks draw global admirers. Eco-tourism generates prosperity, channeling revenues back to preservation—this is the Prime Minister's astute alchemy. Sir, on the world stage, India roars with authority. At G20, the Prime Minister championed the green development pact under "One Earth, One Family." Developing nations secure climate funds. India forges its green path, refusing

Western mimicry. Emission intensity has plunged 33 percent since 2005, surpassing Paris commitments ahead of schedule. The world applauds Shri Narendra Modi.

Disaster management has attained mastery. The Ministry's prescient alerts on cyclones and floods, alongside NDMA's orchestration, proved invaluable. During 2024's Cyclone Remal, Gujarat evacuated lakhs of people seamlessly—no grievous losses ensued. The Prime Minister's early warning systems preserve precious lives. Biodiversity receives unwavering stewardship. The National Mission for Sustainable Himalaya shields our peaks; coastal zones stand fortified. Gujarat's Coral Reef project in the Gulf of Kachchh resurrects marine wonders, rewarding fishermen with abundant yields.

Sir, the opposition proffers grand rhetoric, yet past regimes witnessed dwindling forests and unchecked emissions. Under Prime Minister Modi, we pioneer progress. This year's environment budget surges 20 percent; MISHTI project for mangroves commands Rs 1,000 crore, as does Amrit Dharohar for wetlands. Sir, permit me to share an inspiring story from Gujarat. In Banaskantha, a single village planted 50,000 trees, banishing drought and replenishing groundwater. Farmers there hail our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi. Such miracles are unfolding across the nation. In Rajkot district, organizations like Sadbhavana Old Age Homes and Sadbhavana Institution are leading the charge. Sadbhavana Institution has already planted and nurtured 1.2 crore trees—and they are committed to planting 150 crore more. Driving this green revolution is an NRI from London with deep roots in Gujarat. At the very first request, she pledged ₹108 crore; half has already been received. Just a couple of days ago, Rupalaji and I attended a program where this visionary announced an additional ₹251 crore. In total, ₹359 crore has been committed by her for old age homes and tree plantation. This is truly heartwarming—a record for Gujarat and the nation!

Sir, the Prime Minister embodies his ethos—embracing yoga for vitality, championing millets as Shree Anna to shrink carbon footprints. Gujarat's millet cultivation now fuels rising exports. At last, I sincerely thank the Minister of Environment, Forests and Climate Change for his unyielding devotion. India's true steward is our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi. His Government crafts a Viksit Bharat cloaked in green—where forests thicken and skies clear. I implore this august House to endorse the Ministry of Environment, Forests and Climate Change in its noble pursuits. Under Modi ji, India ascends verdantly. Thank you, Sir. Bharat Mata ki Jai! Jai Hind!

Contents Page

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, मोकरिया रामभाई जी। अभी आपके पास समय बचा हुआ था। माननीय श्री संजय राउत जी - not present. माननीय डा. सुमेर सिंह सोलंकी जी।

SHRI RAMJIBHAI HARJIBHAI MOKARIYA: Sir, initially I was allocated nine minutes and thereafter my speech time has been extended to 15 minutes.

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, नर्मदे हर!

माननीय उपसभापति महोदय, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यकरण की चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं।

माननीय उपसभापति महोदय, पृथ्वी हमारी मां है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धरती हमें सब कुछ देती है, बदले में हमसे केवल संरक्षण चाहती है। स्वच्छ पृथ्वी ही स्वच्छ जीवन की नींव है। धरती को बचाना ही भविष्य को बचाना है। पृथ्वी हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। जब हम पृथ्वी की रक्षा करते हैं, तब हम अपने जीवन की रक्षा करते हैं। एक पेड़ लगाइए, पृथ्वी को मुस्कराइए। धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आइए हम सब मिल कर नए कदम के साथ आगे बढ़ें। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर के अंदर पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, भारत एक उभरते हुए लीडर के रूप में, उभरते हुए नेतृत्व के रूप में दुनिया को पर्यावरण के क्षेत्र में एक नया रास्ता खोजने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रहा है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं, जहां सिर्फ सतपुड़ा के घने जंगल हैं और विंध्याचल के जंगल हैं। आदिवासी क्षेत्र के हमारे भाइयों और बहनों के बीच में मध्य प्रदेश के निमाड़ में मेरा जन्म हुआ है। मैं हमेशा से प्रकृति की गोद में रहा हूं और प्रकृति से जुड़ा हुआ रहा हूं। जल, जंगल और जमीन से हमारे जनजातीय भाइयों और बहनों का रिश्ता बहुत नजदीक का रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर पर्यावरण को लेकर निरंतर नए ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। बहुत बार जब हमने उनके भी भाषण सुने हैं, तो उनमें भी उन्होंने कई बार ज़िक्र किया है कि भारत अब दुनिया के अंदर पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपना जो नेतृत्व कर रहा है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और अभिनंदन भी करना चाहूंगा।

माननीय उपसभापति महोदय, अगर मैं बजटीय प्रतिबद्धता और राजकोषीय विस्तार की बात करूं, तो यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2012-13 में पर्यावरण और वन मंत्रालय को लगभग 2,430 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। इसके विपरीत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी सरकार के अंतर्गत, 2026-27 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 3,759

Contents Page

करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। माननीय उपसभापति महोदय, यह अंतर केवल मुद्रास्फीति का परिणाम नहीं है, बल्कि नीतिगत दायरे के विस्तार और कार्यक्रमों के बड़े पैमाने को भी दर्शाता है। आज पर्यावरणीय शासन को वित्तीय रूप से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है, जो यूपीए काल की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और सशक्त नीति दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

माननीय उपसभापति महोदय, रामसर स्थलों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में भारत में केवल 26 रामसर स्थल थे, जिनकी संख्या 2026 की शुरुआत तक बढ़कर, 98 रामसर स्थलों तक पहुंच गई है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह संख्या निरंतर बढ़ रही है और यह संख्या बढ़कर अब चार गुना तक हो गई है, जो पारिस्थितिक कूटनीति और आर्द्र भूमियों की व्यवस्थित पहचान के प्रति सक्रिय नीति दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह दूरदर्शी दृष्टिकोण जलाशयों और आर्द्र भूमियों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना के रूप में देखता है। इसी क्रम में 2025 में मेरे मध्य प्रदेश के इंदौर और राजस्थान के उदयपुर को भारत के पहले रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में नामित किया गया है। यदि यूपीए शासनकाल के दौरान भी आर्द्र भूमियों को समान प्राथमिकता दी गई होती, तो इस प्रकार की तेज प्रगति पहले ही दिखाई देती।

माननीय उपसभापति महोदय, वन कवरेज़ के मामले में भारत ने विश्व में कई पायदान ऊपर अपना स्थान बनाया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2023 के अनुसार, वर्ष 2013 की तुलना में भारत में वन और वृक्ष आच्छादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही Global Forest Resources Assessment, 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में 9वें स्थान पर है और शुद्ध वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। यह अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग दर्शाती है कि पर्यावरणीय उपलब्धियां केवल राजनीतिक दावों पर नहीं, बल्कि मापनीय और प्रमाणित परिणामों पर आधारित हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, इसी के साथ माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए नगर वन योजना के माध्यम से शहरों के पास के स्थानों को पुनर्जीवित करने का कार्य भी तेजी के साथ कर रही है। इस योजना के लिए 654 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 620 शहरी वन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनका उद्देश्य शहरों में green lungs विकसित करना है, जिनसे शहरी नागरिकों के जीवन स्तर और पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार हो सके।

माननीय उपसभापति महोदय, सांस लेने के मौलिक अधिकार की सुनिश्चितता करने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। शहरी वायु प्रदूषण लंबे समय से एक मुख्य संकट बन रहा है, जिसे पूर्ववर्ती शासन के दौरान व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज किया गया है। इसके विपरीत, मोदी सरकार ने डेटा आधारित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के माध्यम से इस चुनौती का समाधान करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इस पहल की सफलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वर्ष 2017-18 की तुलना में 2025 तक 103 शहरों में एमपी-10 के स्तर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जबकि 25 शहरों में इसमें 40 प्रतिशत से अधिक की कमी हासिल की गई है। इस प्रतिबद्धता

को भी मजबूती देते हुए प्रदूषण नियंत्रण मद के अंतर्गत, जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भी शामिल है, 2026-27 के बजट में 1,091 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह दर्शाता है कि सरकार स्वच्छ वायु और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निरंतर वित्तीय और नीतिगत प्राथमिकता दे रही है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं जिस आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, वहां की एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। हमारा आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन हमारा आदिवासी समाज एक धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित करता है, जो कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके के अंदर, इंदल बाबा की पूजा होती है। यह पूजा पूरे तरीके से प्रकृति से जुड़ी हुई है। प्रकृति से जुड़ी हुई पूजा होने के कारण, इसमें आस-पास के पचासों गाँवों के लोग प्रकृति से जुड़ने के लिए और इंदल बाबा की पूजा करने के लिए पहुचते हैं, परन्तु यह पूजा पूरे तरीके से प्रकृति को समर्पित है। इसमें प्रकृति की पूजा होती है और जब इंदल बाबा की पूजा की जाती है, तो साजा के पेड़ की पूजा होती है, सागवन के पेड़ की पूजा होती है और साथ में कलम के पेड़ की पूजा भी होती है। जब पूरा गांव मिल कर कलम के पेड़ को लेने जाते हैं, तब पूरा गांव गीत और संगीत के साथ पहुंचता है और पूरे गांव के साथ आसपास के गांव भी पहुंचते हैं। यह प्रकृति से पूरी तरह से जुड़ने का संदेश हमारा जनजातीय समाज देता है। जब पूरे पेड़ को लाकर घर पर रखा जाता है, तब घर पर भी उसकी रात भर पूजा की जाती है। यही सिद्धांत हमारे जनजातीय समाज के धार्मिक अनुष्ठान इंदल बाबा की पूजा को सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी पूजा के रूप में मान्यता देता है। इस पूजा में जितने पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उन पेड़ों को न तो जलाया जाता है, न उनकी लकड़ी का घरों में इस्तेमाल किया जाता है और न उन पेड़ों को काटने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान किया गया है, बल्कि प्रकृति के इन पेड़ों को संरक्षित करने का काम हमारे जनजातीय समाज ने किया है। जिसके कारण पूरे क्षेत्र के अंदर इन पेड़ों की संख्या बड़ी संख्या में है।

माननीय उपसभापति महोदय, जनजातीय समाज प्रकृति को देवता मानता है, प्रकृति को माँ मानता है और प्रकृति से जितना भी लेता है, चाहे वृक्ष से लेता हो, नदी से पानी लेता हो या सूरज से रोशनी लेता हो, जहां-जहां से भी उसे जो-जो मिलता है, उन सबको हमारा आदिवासी समाज देवता के रूप में पूजने का काम करता है। इंदल पूजा के साथ-साथ प्रकृति के अनेक पेड़ और पौधों को पूजने का काम भी जनजातीय समाज में किया जाता है। मैं यह वृत्तांत इसलिए सुना रहा हूँ, क्योंकि जनजातीय समाज प्रकृति से जुड़ा हुआ है और वह जानता है कि प्रकृति में किन पेड़ों और पौधों का उनके जीवन में कितना महत्व है। जो पेड़-पौधे उनको फल और फूल देते हैं, छाँव देते हैं, उन पेड़-पौधों की अगर सबसे ज्यादा कहीं पूजा, मान और सम्मान और संरक्षण किया जाता है, तो वह जनजातीय समाज के अंदर किया जाता है।

माननीय उपसभापति महोदय, इसी रिश्ते को जोड़ते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 'एक पेड़ माँ के नाम' लगाने का अभियान प्रारंभ किया, लेकिन हमारे देश के भाइयों और बहनों ने एक पेड़ मां के नाम तो लगाया ही लगाया, लेकिन कुछ भाइयों और बहनों ने एक पेड़ पिता के नाम, एक पेड़ भाई के नाम एक पेड़ काका के नाम, एक पेड़ मामा के

नाम, एक पेड़ काकी के नाम, एक पेड़ मामी के नाम और एक पेड़ अपने रिश्तेदारों के नाम लगाया। हमारे जनजातीय समाज ने यह भी रिकॉर्ड कायम किया और ऐसे लाखों पेड़ लगा कर पृथ्वी को फिर से हरियाली से आच्छादित करने का काम किया। यह प्रेरणा अगर कहीं से मिली है, तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के वचनों से मिली है।

उपसभापति महोदय, हमारे जनजातीय समाज हजारों वर्ष से जंगलों में रहते आए हैं। उस समय की तत्कालीन सरकारों ने कभी भी उनको जल, जंगल और जमीन का अधिकार देने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे देश के अंदर जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने पहली बार आदिवासी भाइयों और बहनों को वनाधिकार के पट्टे देने का काम प्रारंभ किया। हमारे आदिवासी भाईयों और बहनों को जंगल में रहने के लिए सिर्फ झोपड़ी हुआ करती थी, जमीन नहीं होती थी, तो उन्हें हमेशा से सरकार के कुछ अधिकारी-कर्मचारी अधिकार नहीं होने से जंगलों से बेदखल कर दिया करते थे, लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद और आज तक हमारी सरकारों ने लाखों की संख्या में वनाधिकार के पट्टे वितरण करने का काम किया है। अगर लाखों की संख्या में वनाधिकार के पट्टे वितरण करने का काम किसी ने किया है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया।

वन अधिकार दावों का विस्तार - यूपीए सरकार ने 2013-14 के दौरान वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत लगभग 40 लाख दावे दायर किए गए थे, जिनमें से 15 से 16 लाख पट्टे वितरित किए गए। इसके विपरीत, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एफआरए, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इसके क्रियान्वयन को करते हुए इसको उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया गया और जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, 28 फरवरी, 2023 तक 50 लाख से अधिक दावे दायर किए जा चुके हैं, जो पहले की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। साथ ही, इन दावों को निराकरण करने का काम किया गया और वहीं 25 लाख पट्टों के वितरण करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जो यूपीए काल की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है। माननीय उपसभापति महोदय, प्रकृति को मां मानने वाला हमारा जनजाति समाज प्रकृति के संरक्षण के लिए हमेशा कटिबद्ध रहा है, प्रकृति के संरक्षण के लिए हमेशा सबसे आगे रहा है। एक पेड़ मां के नाम लगाने का जब हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री ने आह्वान किया, तो हमारा जनजातीय समाज पहाड़ियों में पेड़-पौधे लगाने के लिए तगारी और गैती लेकर निकल पड़ता है। वह जंगलों में पहुंचता है, वहां अपने-अपने स्तर पर छोटे-छोटे पेड़-पौधे जुटाता है और खाली जगहों पर पौधे लगाने का काम अगर किसी ने किया है, तो हमारे जनजातीय समाज ने भारत के अंदर किया है।

माननीय उपसभापति महोदय, एक पेड़ मां के नाम से जो पौधे लगाए गए, मैं उनकी संख्या बताता हूँ। इस अभियान के अंतर्गत, 2025 के अंत तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मेरी लाइफ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल निगरानी की व्यवस्था इस पहल को पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करती है, जिससे यह केवल प्रतीकात्मक वृक्षारोपण कार्यक्रमों से आगे बढ़कर एक प्रभावी जन आंदोलन बन गया है। 6 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने 34 लाख से अधिक

योजनाओं के आयोजनों के माध्यम से मिशन लाइफ - टिकाऊ जीवन शैली को लोगों के दैनिक जीवन के निर्णयों में समाहित करने का प्रयास किया है और उनको प्रकृति से जोड़ने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

माननीय उपसभापति महोदय, वन्यजीव सुरक्षा का नेतृत्व - नैरोबी में, यूएनईए-7 में जंगल की आग के ग्लोबल मैनेजमेंट को मजबूत करने पर भारत के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन के साथ अपनाया गया, जो अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। माननीय उपसभापति महोदय, अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव - इसके तहत अरावली पर्वतमाला के 6.31 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को रिस्टोर करने का प्रस्ताव है, जिसमें से वर्ष 2025 में 36,025 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को पहले ही रिस्टोर किया जा चुका है।

माननीय उपसभापति महोदय, जब स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया, तब मैं सांसद नहीं था। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत मिशन को प्रारंभ किया, तो उससे पहले पूरे देश में कचरा फैला हुआ रहता था, पन्नियां गलियों में उड़ती-घूमती थीं। पशु, पक्षी उन पन्नियों में लिपटे हुए अनाज या कचरे को खाते थे, जिससे उनकी बड़ी संख्या में मौतें होती थीं, लेकिन इसकी भी तत्कालीन सरकारों ने कभी चिंता नहीं की। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जब पहली बार झाड़ू अपने हाथ में ली और सफाई प्रारंभ की, तो पूरे भारत के अंदर एक से बढ़कर एक, सब लोगों ने झाड़ू थाम ली। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अगर पूरे भारत के लोगों की मानसिकता बदलने का काम हुआ, तो वह हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं इंदौर शहर के नजदीक का रहने वाला हूँ। इंदौर ने स्वच्छता में लगातार रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन सिर्फ इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर 23,000 से अधिक पंचायतों में भी स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी और भारत की सरकार ने भी ग्राम पंचायतों में कचरा वाहन उपलब्ध कराकर कचरों के निपटान के लिए उचित प्रबंधन किया है। अगर यह प्रेरणा भी हमें मिली है, तो वह देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 2025 के अंत तक लगभग 375 लाख टन कचरे की औपचारिक तंत्रों के माध्यम से पुनर्चक्रण किया जा चुका है। यह परिवर्तन अनियंत्रित निस्तारण से आगे बढ़कर नियंत्रित और जवाबदेह अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

माननीय उपसभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वर्ष 2024 में बायो ई-थ्री नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी का आर्थिक विकास और उसे पर्यावरणीय रणनीति के साथ एकीकृत करना है। इस नीति के माध्यम से 2030 तक लगभग 300 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है। इस प्रकार, पर्यावरणीय शासन अब नवाचार, जैव सुरक्षा और आर्थिक विकास के साथ जुड़ते हुए भारत को जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक रूप से अग्रणी देशों में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष का

संचालन CAMPA अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक वैधानिक ढांचा स्थापित किया गया। इस वैधानिक ढांचे के स्थापित होने के बाद यूपीए के दौरान अस्थायी व्यवस्था में जमा CAMPA निधियों का नियमानुसार उपयोग संभव हुआ। अधिनियम और नियमों के पहले लगभग 66 हजार करोड़ रुपये CAMPA खाते में अप्रयुक्त पड़े थे। संचालन शुरू होने के बाद केंद्र ने राज्यों को कोष का बड़ा हिस्सा जारी किया। उदाहरण के लिए, लगभग 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि 27 राज्यों को स्थानांतरित की गई, जिसका उपयोग वनीकरण, वन्यजीव प्रबंधन और वन पुनर्स्थापन गतिविधियों में किया जा रहा है।

माननीय उपसभापति महोदय, हमारा देश Make in India का प्रतीक है और Make in India का सिंबल शेर है। शेर की भांति भारत निरंतर सधे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत के जंगली बाघों की आबादी में भी डेढ़ दशक के अंदर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। महोदय, Project Tiger के अंतर्गत निरंतर संरक्षण प्रयासों और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मजबूत निगरानी को दर्शाता है। 2010 के अखिल भारतीय मूल्यांकन में जंगली बाघों की अनुमानित संख्या लगभग 1,706 बताई गई थी, जो 2006 में शुरू हुए सरकार के चतुष्कोणीय सर्वेक्षण चक्र के हिस्से के रूप में बताया गया था। 2018 तक यह आंकड़ा बढ़कर 2,967 हो गया।

माननीय उपसभापति महोदय, 2022 में जारी नवीनतम बाघ जनगणना डेटा से संकेत मिलता है कि भारत में बाघों की आबादी बढ़कर 3,682 हो गई है, जो निरंतर वृद्धि को दर्शाती है। आज विश्व के लगभग 75 प्रतिशत जंगली बाघ भारत में निवास करते हैं। यह दीर्घकालीन संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी की सफलता को दर्शाता है।

माननीय उपसभापति महोदय, नगर वन योजना निश्चित रूप से नगरों के पास के खाली पड़े इलाकों को बदलने का काम किया। मैंने स्वयं नगर वन योजना का भ्रमण किया है और अपने जिले के आस-पास तथा दूसरे जिलों में जाकर देखा है कि नगर वन बहुत सुंदर तरीके से विकसित किए गए हैं। वहाँ सरकारी व्यवस्था के साथ-साथ नगर के प्रबुद्धजन, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक भी पौधारोपण के लिए पहुँच रहे हैं और अपने स्तर पर बगीचों का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। नगर वन योजना निश्चित रूप से हमारे शहरों के नागरिकों को प्रेरित करने वाली योजना है।

माननीय उपसभापति महोदय, पूरी दुनिया के अंदर भारत का पर्यावरण को लेकर अलग दृष्टिकोण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं, वे अद्भुत और ऐतिहासिक हैं। ये ऐतिहासिक कदम निश्चित रूप से भारत में मील का पत्थर साबित होंगे।

माननीय उपसभापति महोदय, सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री कुसुम-अ, प्रधानमंत्री कुसुम-सी के माध्यम से सोलर पंप लगाकर, गाँव-गाँव में सोलर लाइटें लगाकर पर्यावरण को जितनी सुरक्षा प्रदान की जा रही हैं, वह सुरक्षा पहले भी हो सकती थी, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से किसानों को अब सस्ती बिजली भी मिलने लगी है।

Contents Page

माननीय उपसभापति महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ अभी तक कुछ इलाकों में बिजली नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन अब वहाँ भी किसानों को सोलर पंप लगाकर अपने खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। इतना ही नहीं, उनके घर भी अब सौर ऊर्जा से रोशन होने लगे हैं। पूरे गाँव, जो पहले वन ग्राम कहलाते थे, अब राजस्व ग्राम में परिवर्तित हो गए हैं। यह पट्टों के वितरण के कारण संभव हो पाया है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। जिस किसान को पट्टा मिला, जिस आदिवासी भाई-बहन को, जंगल में रहने वाले को पट्टे का वितरण किया गया, उसे केवल पट्टा ही नहीं मिला। उसे बिजली कनेक्शन भी मिला, उसे कुआँ भी मिला, उसे पावती भी मिली, उसे किसान क्रेडिट कार्ड भी मिला, उसे आयुष्मान भारत योजना का कार्ड भी मिला, उसे उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिला और उसके घर तक पहुँचने के लिए सड़क भी बनी। साथ ही उसे खेती-बाड़ी के लिए सिंचाई और पानी की सुविधाएँ भी मिलीं। आज मेरा किसान और मेरा जनजातीय परिवार आर्थिक रूप से सक्षम हुआ है, तो वह FRA के कारण, वनाधिकार के पट्टे हमारी सरकार द्वारा दिए जाने के कारण आज जनजातीय समाज समृद्ध हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस अवसर पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की अनुदान मांगों की चर्चा करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजाति क्षेत्रों का विकास हो रहा है। देश में पर्यावरण के अंदर निरंतर सुधार लाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं की सरकार काम कर रही है, बल्कि भारत के 140 करोड़ भाइयों, बहनों की पृथ्वी के इस संरक्षण में जलवायु और पर्यावरण के संरक्षण में निरंतर मदद मिल रही है और यह अगर हो पाया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया है। भारत दुनिया से कहता है किः

"चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा पल होगा।
दीप जलेंगे आशाओं के, आज से भी सुंदर कल होगा।
एक पेड़ तो लगा कर देखो यारो,
दुनिया पूरी हरियाली से आच्छादित हो जाएगी।"

उपसभापति महोदय, आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri H.D. Devegowda, not present. Dr. Medha Vishram Kulkarni.

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र): माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे पर्यावरण मंत्रालय की इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं और इस बजट को समर्थन देते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इस सरकार का और पर्यावरण मंत्रालय का अभिनंदन करना चाहती हूं कि इनके लगातार प्रयासों की वजह से आज भारत देश की स्थिति बदल रही है और हम आसानी से सांस ले रहे हैं, पेड़ बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस साल भी अच्छी तरह से यह बजट पेश किया है। देखा जाए, तो पिछले कई सालों की तुलना में हम कह सकते हैं कि हजार करोड़ से भी ज्यादा बजट इस साल हमने दिया है। 2014 में जो 26 रामसर स्थल थे, वे अब 98 हो गए हैं। वन कवरेज बढ़ रहा है। लगातार अलग-अलग प्रयासों से अलग-

अलग जगह की स्थितियां बदल रही हैं, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहर हो, क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी हमेशा ऐसी बातें करते हैं, चाहे वह मन की बात हो, चाहे जाहिर सभा हो। उन्होंने वर्षा जल संचयन के बारे में बात की है, जो आज की स्थिति में आवश्यक है। उन्होंने एक बार बात की थी कि चिड़िया कम हो रही हैं, तो चिड़िया बढ़नी चाहिए। हमने उनको गाय को चारा देते हुए देखा था। हमने उनको चीतों को बचाते हुए देखा है। ऐसे हमारे माननीय प्रधान मंत्री और उनकी कई योजनाओं की वजह से आज शहर और ग्रामीण क्षेत्र भी विकसित और हरित हो रहे हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, आज शहरी हरित क्षेत्र, जिसे नगर वन योजना कहा जाता है, उसमें आज तक 654 करोड़ का निवेश किया गया है और 600 से भी अधिक शहरों का वन क्षेत्र में समावेश करके अर्बन वन बनाए गए हैं। हमारे पुणे में वारजे अर्बन वन का निर्माण किया गया है, जिसे देखने के लिए एकदम पूरी ओसाड जमीन थी, पडीक जमीन थी, तो आज वहाँ 6500 पेड़ लगाए गए हैं और वह चिड़ियों से चहकता हुआ वन क्षेत्र बना है। जब हमारे आदरणीय प्रकाश जावडेकर जी पर्यावरण मंत्री थे और आज भूपेंद्र जी हैं। मैं आपके सामने उनका जिक्र इसलिए कर रही हूं कि जब उनके पास यह मंत्रालय था, तब उन्होंने पुणे की मूला-मुठा नदी को सुधारने के लिए 900 करोड़ रुपये का अच्छा-खासा बजट दिया था और आज आपके आशीर्वाद से और आपके नेतृत्व से मूला-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना का काम अच्छी तरह से चल रहा है। इसके लिए 990 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसका जो बजट है, उसमें 85 परसेंट योगदान केन्द्र की ओर से आया है। इसमें 11 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आएंगे। हमने देखा है कि शहरों की नदियां, जो केमिकल से भरी होती हैं, मैले पानी से भरी होती हैं, नालों से वहां कचरा आता है, लेकिन पुणे में अब बदलाव होने जा रहा है और 11 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वहाँ बन रहे हैं। 2026 तक ये पूरे प्लांट्स बन जाएंगे और हमारे पुणे की मूला और मूठा नदी अच्छी तरह से बह सकेंगी, साँस ले सकेंगी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत – जैसे की पुणे एक non-attainment शहर है, इसी सूची में आता है, पुणे के लिए 271 करोड़ का प्रावधान मिला है। PMPML Bus हो, दूर नियंत्रण प्रणाली हो, साइकिल ट्रैक हो, वायु गुणवत्ता मापन करने वाले उपकरण हों, ऐसे कई उपकरण और ऐसे कई प्रावधान पुणे के लिए मिले हैं। मैं माननीय मोदी जी की सरकार का आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ कि उन्होंने खुले शौच के लिए कायदा-कानून बनाया। खुले शौच से केवल महिलाओं को संकोच होता है - इतना ही नहीं है, बल्कि खुले शौच से ग्रामीण एरिया हो या शहरी एरिया हो, रोग का प्रादुर्भाव भी होता है, इसीलिए बड़े पैमाने पर टॉयलेट्स बनवाए। हर घर में टॉयलेट होना चाहिए - चाहे वह अर्बन हो, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो। केंद्र शासन में इसके लिए बहुत बड़ी निधि का प्रावधान किया गया है। घनकचरा व्यवस्थापन के लिए हमारी सरकार ने कड़े से कड़े नियम बनाए। आज segregation and decomposition at source का नियम आया है। हम शहरों में देखते हैं कि शहरों का जो पूरा कचरा है, जिसे हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं, वह सॉलिड वेस्ट एक जगह पर जाता है, जैसे पुणे में एक फुरसुंगी जगह है। वहाँ के नागरिकों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सैकड़ों टनों का कचरा वहाँ रोज आकर गिरता है और उसकी बहुत बदबू आती है। आज हमारी सरकार इतना कड़ा नियम लाई है कि हर सोसाइटी के लिए यह कम्पल्सरी हो गया है कि वह सेग्रीगेशन करें और जो सॉलिड वेस्ट है, जिसे हम गीला कचरा बोलते हैं, उसका decomposition at source करें। इसलिए हर

Contents Page

सोसाइटी, हर बड़ी टाउनशिप है, जिसमें ढाई सौ फ्लैट्स हैं, ऐसी बड़ी सोसाइटी के लिए आज यह मेंडेटरी हो गया है कि वहाँ कचरा प्रकल्प हो, वहाँ एसटीपी भी कम्पल्सरी हो गया है। एसटीपी, कचरा प्रकल्प और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रकल्प दिखाए बिना कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता - आज यह प्रावधान हो चुका है।

महोदय, मेरा मंत्रालय से और सरकार से एक अनुरोध है कि शासन अच्छे नियम लाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक जाकर कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, या नहीं होता है, अगर हम इसकी जाँच करें और आग्रहपूर्वक सूचित करें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो सकेगा, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रकल्प तो कर दिया, कचरा प्रकल्प भी कर दिया, लेकिन वह कम्प्लीशन सर्टिफिकेट मिलने तक ही शुरू रहता है और बाद में बंद हो जाता है और फिर वह कूड़ा-कचरा कॉरपोरेशन को हैंडओवर किया जाता है। इसमें कॉरपोरेशन का ट्रांसपोर्टेशन का बहुत खर्चा होता है, अलग-अलग लोगों को कचरे की बाकी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं जब एमएलए थी, तब जो एमएलए के फंड प्रावधान थे, मैंने सरकार से रिक्वेस्ट करके वे प्रावधान चेंज करने का अनुरोध किया था और सरकार भी मान गई थी। हमने प्राइवेट सोसाइटीज, जो गृह निर्माण संस्था है, जहाँ लोग रहते हैं, खाजगी संस्था, जहाँ बोरवेल है, मैंने उनकी रिफिलिंग एक्टिविटी अपने एमएलए फंड से करने के लिए अनुरोध किया था। मैंने ऐसी 55 सोसाइटीज का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करवाया था, प्री-ऑडिट और पोस्ट-ऑडिट किया था। मैं यह अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारा एमपी लैड का जो फंड है, वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अनुमोदनीय किया जाए, ताकि जो ग्राउंड लेवल वॉटर है, वह बढ़ सके और हम भी पर्यावरण की पूरक एक्टिविटी कर सकें। आज यह हो रहा है कि किसी के पास, किसी भी जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास उनके एरिया में कितने बोरवेल हैं, इसका कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। हालांकि यह कहा जाता है कि ground level water is a property of the State Government, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी वहाँ हैं, उनके पास ही वह डेटा नहीं होता और दिन-ब-दिन ग्राउंड वॉटर का लेवल कम होता जा रहा है। इस पर यह उपाय किया जाए - ऐसा मेरा अनुरोध है।

संयुक्त राष्ट्र के शाश्वत मूल्य हैं। हम हमेशा 17 मूल्य कहते हैं। स्कूलों में ऐसा अभियान चलाया जाए कि उन्हें बचपन में ही उन मूल्यों का महत्व मालूम हो। आज हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो निर्माल्य चढ़ाते हैं, हम देव और भगवान पर जो फूल पर चढ़ाते हैं, उन्हें नदी में डालते हैं, कूड़ा-कचरा नदी में डालते हैं, रसायन नदी में डालते हैं। भारत देश में नदी को माता कहा गया है। आज भी यहाँ मध्य प्रदेश से जो माननीय सांसद हैं, वे अपने भाषण की शुरुआत नर्मदे हर से करते हैं। आज हम नदी को माता मानते हैं, लेकिन हर जगह देखते हैं कि नदी में कपड़े धोए जाते हैं, बर्तन धोए जाते हैं। अगर हम ऐसा बर्ताव करेंगे, तो हमारी माता कैसे समृद्ध हो सकेगी, कैसे शुद्ध हो सकेगी? अगर हम कम्पेरिजन करें, तो जिन देशों में नदी को माता नहीं कहा जाता, वहाँ की नदियाँ फिर भी स्वच्छ हैं। तो हमें यह सीखना चाहिए और यह सीख हम बड़े होने के बाद नहीं सिखा सकते, इसलिए मेरा पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध है कि ऐसे प्रशिक्षण के लिए एक प्रावधान किया जाए। यह प्रशिक्षण स्कूल के करिकुलम में या एक्स्ट्रा करिकुलम में दिया जा सकता है। हमें

आपने ऑस्ट्रेलिया भेजा था। वहाँ हमने देखा कि इसके लिए कितने कड़े कानून हैं। पेड़ काटने पर कितने बड़े दंड का प्रावधान है। पेड़ के जो पत्ते गिरते हैं, उन्हें जलाने पर भी कितने बड़े दंड का प्रावधान है। तो मेरा कहना है कि एक कड़क कानून लाना चाहिए और उसे फॉलो करना कम्पल्सरी भी करना चाहिए। ये नियम हमारे लिए होते हैं और हम ही इनका अनुपालन नहीं करेंगे, तो हमें ही नुकसान होगा।

आज प्रदूषण में जो सबसे दुर्लक्षित सब्जेक्ट है, वह है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाती। वायु प्रदूषण पर बात होती है, जल प्रदूषण पर बात होती है, लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें हमेशा पंच महाभूतों की पूजा करने को कहा है। हमारे वेदों में भी पंच महाभूतों की पूजा करने को कहा है। हमारी संस्कृति में शांति का महत्व बहुत बड़ा है। शांति बुद्धि, शरीर और आत्मा को सुकून देती है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा आवाज है। रोड पर जाएं, तो बिना वजह हॉर्न बजाने वाले लोग होते हैं। जब हम ये आवाजें सुनते हैं, तब मन और शरीर अस्वस्थ होता है। बिना वजह ऐसे हॉर्न बजाने के लिए भी ऐसा कड़ा कानून होना चाहिए। जब हम फॉरेन में जाते हैं, तो कई दिन रहने पर भी कभी-कभी एक बार हॉर्न सुनने को मिलता है। रोज-रोज हॉर्न कोई बजाता भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सिग्नल पर खड़े होने पर भी हॉर्न बजाते हैं, जबकि सामने दिख रहा होता है कि रेड सिग्नल है। जो ऐसी आदतें हैं, उन्हें बदलने के लिए हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए और बचपन से ही उन्हें यह सीख देनी चाहिए।

बायोडाइवर्सिटी पार्क के लिए हमारे शासन ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। हमने हमेशा देखा है कि हम जमीन देव के नाम पर, भगवान के नाम पर छोड़ देते थे। हमारे महाराष्ट्र में पहले उसे देवराई बोलते थे। वहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। वह कोई आर्टिफिशियल पार्क नहीं है। वहाँ मकोड़े भी हो सकते हैं, बड़े-बड़े जानवर भी हो सकते हैं, छोटे फूल-पौधे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी, जो नेचुरली जैसा बढ़ेगा, ऐसा बायोडाइवर्सिटी पार्क हर जगह होना चाहिए। इसके लिए यह सरकार प्रावधान कर रही है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ।

हमारे पुणे में तकरीबन 900 हेक्टेयर जगह है। माननीय मंत्री महोदय, बायोडाइवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन 25 साल पहले डाला गया था, लेकिन तब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, इसलिए तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्ड लैंड है, चाहे तो उसका एक्विजिशन कर डेवलप कर सकते थे, चाहे तो जिन लोगों की जमीन है, उन्हें कह सकते थे कि पेड़ लगाएं, लेकिन आज ग्रीन डीपी के बजाय टिन डीपी बन गया है। मुझे मालूम है कि यह केंद्रीय सरकार का सब्जेक्ट नहीं है। लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट, वहां आज हमारा शासन है, तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगी कि यह अनिर्णित जो वहां बायोडायवर्सिटी पार्क की लैंड है, जहां झुग्गी-झोंपड़ी बन चुकी है, टिनलैंड बन चुकी है, ऐसी जगह पर आप एक निर्देश देकर वहां कुछ अच्छा सा मीडियम मार्ग निकालें, ताकि वहां की जमीन सुरक्षित भी रहे और वहां पेड़-पौधे लगाए जाएं। आज भारत सरकार जितने भी प्रयास कर रही है, उन सभी प्रयासों के लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। इस बजट का और आपके प्रयासों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

Contents Page

श्री उपसभापतिः धन्यवाद डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी जी। माननीय श्री बृज लाल जी।

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश)ः उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एनवायर्नमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री पर बोलने का मौका दिया है। मैं अभी अपने मित्र डा. सुमेर सिंह सोलंकी की बात सुन रहा था कि वे आदिवासी हैं, वे जंगल में रहे हैं और उनका समाज जंगल में रहता है।

महोदय, मेरा भी बचपन जंगल में ही भी बीता है। हमारे पुरखे - देवदह, जो कभी गोरखपुर का पार्ट था, जहां भगवान बुद्ध के नाना की राजधानी थी - उस क्षेत्र में रहते थे। वे कोलीय वंशी थे। रोहिणी नदी के पूर्व की तरफ कोलीय वंश और मलवंश रहता था। कोलीय वंशी राजा महाराज अंजन थे। वे कोलीय जाति के थे और जो बाद में कोरी और कोली कहलाए। 31 जुलाई, 1658 को जब औरंगजेब बादशाह हुआ, तो उसने हुक्मनामा जारी किया – क्योंकि हमारे पुरखे कपड़ा बुनते थे - अगर कपड़े का व्यवसाय करना है, तो आपको इस्लाम स्वीकार करना होगा। जब यह पाबंदी लगाई गई, तो हमारे जो तमाम कोलीय भाई थे, उन्होंने मजबूरी में इस्लाम स्वीकार किया और वे अंसारी कहलाए। आज जो अंसारी हैं, वे पहले जुलाहे थे। महोदय, करीब 1680 के दशक में हमारे पुरखे अपने धर्म की रक्षा के लिए आए और नेपाल बॉर्डर की सीमा, जो तत्कालीन जिला बस्ती था, वहां तराई के जंगल में आकर बस गए। वहीं पर मैं पैदा हुआ और वहां मेरा बचपन बीता है। माननीय मंत्री जी, हमारे यहां जंगल को जमुआर कहते हैं। हम अवधि में जामुन को जमुआ बोलते हैं। इससे जमुआर का जंगल बना। तराई एरिया में पानी रहता है, तो वहां ज्यादा पौधे सरवाइव नहीं करते हैं। जामुन ऐसा है कि अगर पानी है, तब भी सरवाइव करेगा और अर्जुन भी सरवाइव करेगा। उसी जमुआर के जंगल से मेरा जुड़ाव रहा है। मैंने पेड़ों में चढ़कर वहाँ के जामुन भी खाए हैं। मैंने वहाँ की जंगली सब्जियां, जैसे भुईफोर है, जो जमीन से निकलती थी, खासकर जहां दीमक की बांबी होती थी। हमारा साल का एक पेड़ होता, जिसका बॉटेनिकल नाम Shorea robusta है, तो जब फर्स्ट, सेकंड रेन होती है, तो उसके नीचे से एक किस्म का ट्रफल निकलता है, इंडियन ट्रफल, जिसको यहां कहीं कटरुआ, कहीं उसको सफड़ा और झारखंड में किसी और नाम से जानते है, जो बड़ा महंगा बिकता है। उस समय वह 1,000-1,200 रुपये किलो था। वह भी जंगल से खूब निकालकर खाया है। पेडार एक जंगली सब्जी है, वह भी खायी है। खेकसी भी खाई है, जिसको कंटोला भी कहते हैं और हमारे यहाँ खेकसी कहते हैं। इस तरह से मैं जंगल से बड़ी अच्छी तरह से परिचित हूँ। 1976 में एमएससी करने के बाद, मैं सिविल सर्विस से पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बैठा। मैं 1977 में 4 महीने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहा हूं, इसलिए मेरा जंगल से जुड़ाव है।

उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि करेंट फॉरेस्ट कवर 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि देश के जियोग्राफिकल एरिया का 21.71 परसेंट है। इसमें ट्री कवर जोड़ दिया गया, तो अब एरिया बढ़कर 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। इसका मतलब यह है कि हमारा फॉरेस्ट कवर इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 25.17 परसेंट है। महोदय, अभी माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी बता चुके हैं कि फॉरेस्ट कवर में हमारी 9^{th} पोजिशन है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। इसके ग्रोथ रेट के अनुसार हम दुनिया में थर्ड पोजिशन

पर हैं। महोदय, फॉरेस्ट किस रेट से बढ़ा है? जब यूपीए की सरकारें थीं, तो उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फॉरेस्ट तो हमारा जीवन है, ऑक्सीजन वहीं से है, क्लाइमेट वहीं से कंट्रोल होता है। मैं यहां पंडारा पार्क में रहता हूं। चूंकि वहां पेड़ बहुत हैं, तो दिल्ली में और जगह जो टेंपरेचर होता है, उससे हमारे यहां 3-4 डिग्री टेंपरेचर कम रहता है। महोदय, ट्री का जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा, वह यूपीए सरकार में 91,266 स्क्वायर किलोमीटर था, अब यह 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है।

महोदय, दूसरे, 'एक पेड़ मां के नाम' जो इनिशिएटिव चला, उस इनिशिएटिव में अब तक 262.4 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। यह एक जन आंदोलन बन गया है। इसमें शहरी क्षेत्र को भी शामिल किया गया, उसके भी बड़े सराहनीय रिजल्ट्स आए हैं। यह बहुत सारे क्षेत्रों में, सरकारी जमीन में मिलेगा, ग्रीन बेल्ट में मिलेगा। माननीय मोदी जी ने जो शहरी वनीकरण की योजना शुरू की, उससे शहरों में जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, तो उसका जो फेफड़ा था, जो सांस न ले पाने के कारण फूल रहा था, वह भी आज ग्रीन हो गया है। महोदय, मैं लखनऊ में रहता हूं। मेरे घर के सामने ग्रीन बेल्ट था। मैंने वहां की अथॉरिटी से कहा कि आप लोग तो इसको नहीं लगा पाओगे, आपका ठेकेदार उल्टा-सीधा पेड़ लगा देगा, इसलिए आप हमको जगह दीजिए, आपकी जमीन है, मैं वहां पेड़ लगाता हूं। वहां मैंने काफी एरिया में पेड़ लगाए। महाराष्ट्र के हमारे मित्र लोग हैं, हमने बदलापुर का जामुन लगाया। हमारे यहां लीची फलती है। हमारे यहां कटहल है, कटहली है और वह है, जिसको हम कमरख कहते हैं, अंग्रेजी में स्टार फ्रूट। साउथ में हमने जमैकन चेरी पेड़ देखे हैं। हमारे यहां इस समय फालसा होने वाला है। अंजीर है, बड़हल है। तमाम पौधे, जिनको धीरे-धीरे लोग भूल गए हैं, वे मैंने वहां पर लगाए हैं। इसकी वजह से हमारे यहां बड्‌र्स की संख्या बढ़ गई है। हमारे यहां गौरैया more than 100 होंगी। बुलबुल है, जंगल बैबलर है। इस समय कोयल कूक रही है। जब बरसात होती है, तो पपीहा बोलता है। इस तरह से हमारे यहां इस फॉरेस्ट कवर का यह फायदा हुआ है। सड़क पर जो तमाम धूल-धक्कड़ आती है, वह सब वह कवर रोक लेता है। इसलिए हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। महोदय, अब यह जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा, तो मैंने पिछले साल मालूम किया, गुजरात में हमारे मित्र हैं, एक जगह है गोधरा। गोधरा में एक साइंटिस्ट से हमारा ताल्लुकात हुआ, तो पता चला। आप तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जानते हैं, वहां एक पेड़ होता है - महुआ। महुआ तो ट्राइबल की लाइफ है। ट्राइबल उस महुआ से कुछ और बनाते हैं। महुआ से उसकी शराब बनती है, उसका एडिबल ऑयल बनता है, उसकी पत्तियों का पत्तल बनता है। उससे क्या-क्या नहीं बनता है। हमने महुआ की मौहरी भी खाई है, महुआ का लाटा भी खाया है और उसका जो कोइना होता है, उसका मीठा फल भी खाया है। यह जो महुआ है, महुआ काट डाले गए। खास कर यहां ट्राइबल एरिया में तो यह अब भी है, लेकिन इसका प्लांटेशन मैंने किया। मंत्री जी, हमारे यहां एक कहावत कहते हैं - पांचे आम, पचीसे महुआ और तीस वर्ष में इमली फहुवा। मतलब, देसी आम में 5 वर्ष में, महुआ में 25 वर्ष में और देसी इमली में 30 वर्ष में फल आते हैं। महोदय, जब मैंने भी महुआ लगाया, तो हमने कहा कि यह शहर की जेनरेशन नहीं जानेगी कि महुआ होता क्या है। मैंने देसी महुआ लगाया, तो मैंने कहा कि 25 वर्ष किसने देखे हैं, तो कुछ किया जाए। मालियों से लेकर एग्रिकल्चर साइंटिस्ट्स और हॉर्टिकल्चरिस्ट्स से हमारे ताल्लुकात हैं। मैंने कहा, क्यों न इसकी ग्राफ्टिंग की जाए। उस पौधे में,

Contents Page

जो महुआ फल रहे हैं, जिसको हम ए प्लस ट्री कहते हैं, जो न बुड्ढा है, न बहुत ज्यादा प्रौढ़ हो गया है, बीच का है, हम उसकी डालियां काट कर लाए और उसमें ग्राफ्ट किया। हमारा वह महुआ 6 साल में फल गया और उसके फूल टपकने लगे। गोधरा में हमने न केवल महुआ, बल्कि वहां कैथा भी लगाया। 'कपित्थ जम्बू फल चारू भक्षणम', जो गणेश जी का फल है, हम वह लाए। फिर हम खिरनी लाए। बहुत लोग खिरनी भूल गए होंगे। ये सब ला कर उस ग्रीन बेल्ट में माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर मैंने उनको लगाया और वे बहुत बढ़िया चल रहे हैं, जो कि कलमी हैं।

4.00 P.M.

वे थोड़े दिनों में फल देने लगेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तमाम जगहों के लोग इस बात से परिचित नहीं है, क्योंकि अगर हम महुआ लगाएंगे, तो पचीस सालों के बाद किसने देखा है? इसलिए जहां इसकी नर्सरी नहीं है, वहां पर नर्सरी कायम किया किया जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि साहब, यह महुआ पच्चीस साल में नहीं, पांच साल में फलेगा। मैंने इसके बारे में यह चीज देखी है।

महोदय, जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, इसमें माननीय मंत्री जी के विभाग का रोल तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन एक उससे भी बड़ा रोल है - गृह विभाग का, माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री जी का और माननीय अमित शाह जी का। महोदय, मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं। जब 1967 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल का naxal movement शुरू हुआ, तो उनकी परिकल्पना थी - रेड कॉरिडोर बनाने की, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक Red Corridor liberated zone बनाने की। महोदय, उन्होंने तमाम जगहों को liberate कर लिया था। बिहार में भीम बांध, चकरबंधा, बूढ़ा पहाड़, छत्तीसगढ़ और झारखंड यह सारा एरिया सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला था और 3 decades से वहां कोई जा नहीं सकता था। महोदय, पूरे देश में, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हमारा चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र का एरिया हो, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का एरिया हो, जितना geographical cover बांग्लादेश का है, उससे ज्यादा बड़ा एरिया उनके पास था, नक्सलियों के कब्जे में था। महोदय, जब वह एरिया नक्सलियों के कब्जे में था, तो उन्होंने फॉरेस्ट कवर को, वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वीरप्पन का नाम सभी जानते हैं। उसको क्या कहते थे - चंदन तस्कर। उसने चंदन के पेड़ नहीं छोड़े, सब काट करके बेच दिये। महोदय, हाथियों का शिकार उनके tusks के लिए हुआ, गैंडों का शिकार उनकी सींगों के लिए हुआ और टाइगर्स तथा पैंथर्स का शिकार ट्रॉफी के लिए, उनकी खाल के लिए, उनके नाखूनों के लिए, उनकी हड्डियों के लिए हुआ। यह जो पूरा नक्सलाइट एरिया था, यह तो उन्हीं के कब्जे में था, जहां कोई जा नहीं सकता था। इन्होंने वहां mines, anti-personnel mines और anti-vehicle mines लगा रखे थे। अगर उस पर कोई वजनदार चीज पड़ी, तो उसमें ब्लास्ट होगा, जो मार देगा। अगर उस पर से कोई हाथी निकला और उस पर उसका पैर पड़ा, तो it blasted और हाथी वहीं मर गया। किसी जानवर का पैर उस पर पड़ा, वह वहां मर गया। इन्होंने बूढ़ा पहाड़ के आसपास mining की थी। वह जितना बड़ा एरिया था, जितने strategic areas थे, वहां पर उनकी mining थी, जिससे तमाम लोग मारे गए। दूसरा, उनका एक धंधा revenue कमाने का, पैसा कमाने का हो गया था। उसमें उन्होंने यह काम किया कि जहां-तहां जंगली जानवरों का शिकार

Contents Page

किया और अपने खाने के लिए हिरनों का शिकार किया, जंगली सूअरों का शिकार किया। साहब, जंगली भैंसे बड़े कीमती जानवर हैं। वे इन सब का शिकार करके खाते थे, जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ एक किनारे पर आ गई। इसके अलावा, वहां बहुत सारे कीमती पेड़ भी थे। मैं असम में गया था। असम में 1984 में बटालियन लेकर रहा। मैं जब होम अफेयर्स की स्टेंडिंग कमेटी में गया, तो मैंने कहा कि लोअर असम में साल के बहुत से पेड़ थे। तो कहा गया - साहब, साल क्या होता है? मैंने कहा - Shorea Robusta. महोदय, वहां पर साल के जो पेड़ थे, वे काट डाले गए और नदी के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से बाहर भेज दिए गए। सर, अगर सबसे मजबूत कोई पेड़ होता है, तो वह साल का पेड़ होता है। देशी साल का botanical name Shorea Robusta है। मैंने फॉरेस्ट सेक्रेटरी से पूछा कि What are you doing? तब वे बोले — साहब, उसके seeds रखे हैं, जब बरसात आएगी, तो उन्हें लगाएंगे। हमने कहा कि Shorea Robusta का जो फल है, अगर उसका पका हुआ फल जमीन पर गिरता है और एक महीने के अन्दर उसे soil नहीं मिले, तो उसका germination नहीं होगा, उसकी viability नहीं होगी। महोदय, वे सारे कीमती पेड़ काट डाले गए। असम में तो कई लोग ऐसे हैं, जो जनप्रतिनिधि भी बन गए। इसी के धंधे में अगर के पेड़ काट डाले गए और आदिवासियों से सस्ते दाम पर लिए गए। जो agar oil होता है, वह गल्फ कंट्रीज़ में, सऊदी अरब में करीब एक लाख डॉलर प्रति लीटर के भाव में बिकता है। इसी तरह अगरतला का नाम ही अगर ट्री पर रखा गया था।

महोदय, इस तरह से फॉरेस्ट का नुकसान हुआ, लेकिन मैं अपने प्रधान मंत्री जी को साधुवाद देता हूँ कि उनके नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो काम किया, उससे नक्सलवाद खत्म होने को आ गया है। महोदय, अब तो 31 मार्च आ रहा है। आज 9 तारीख है, थोड़े दिनों के बाद 31 मार्च आ जाएगा। जितने नक्सल लीडर्स थे, वे या तो liquidate हो गए या surrender हो गए, हथियार surrender हो गए। इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया, जो उनके कब्जे में था, उन्होंने उसका नुकसान किया, अवैध खनन किया। उनका जो भी रेवेन्यू था, वह जंगल से generated था। आज वह पूरा जंगल फ्री हो गया, मुक्त हो गया। आज हमारे जंगल और वन्य जीव, फौना एंड फ्लोरा स्वतंत्र हो गए हैं। आज वे निश्चिंत होकर सांस ले रहें हैं। इसलिए अब थोड़े दिनों में हमारा फॉरेस्ट और तेजी से बढ़ेगा। इस तरह से हमारा forest-cover बढ़ रहा है। इसके लिए मैं अपने प्रधान मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ।

अब मैं वेटलैंड पर आता हूँ। वेटलैंड बहुत ही जरूरी है। वेटलैंड एक किस्म से फेफड़ा है, धमनी है। यह वॉटरबॉडी है। वहाँ वाटर भी है, दलदली जमीन भी है, मार्शी लैंड भी है। यह मार्शी लैंड क्या करता है? यह मार्शी लैंड हमारे कार्बन को sink करता है। वहां जो पानी होता है, वह जमीन में जाता है, तो हमारा वाटर लेवल बढ़ता है, जो हमारे फसल के काम आता है। महोदय, इसी बॉडी में तमाम जलीय जीव रहते हैं, मछलियां रहती हैं। इससे वहां जो मछुआरे हैं, गरीब लोग हैं, उनका जीवन चलता है। इस तरह से, जो वेटलैंड था, उसका डेवलपमेंट हुआ। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारे देश में मात्र 26 वेटलैंड थे। एक कन्वेंशन हुआ था, जिसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। रामसर, ईरान में एक शहर है। 1971 में वहां पर कन्वेंशन हुआ था और विश्व लेवल पर यह निर्णय हुआ कि यह रामसर वेटलैंड है, इसलिए इसको डेवलप किया जाए, इसकी रक्षा की जाए, इसको बचाया जाए, क्योंकि यह मानवता के लिए जरूरी है। हमारी मानवता

पेड़-पौधों पर, क्लाइमेट चेंज पर टिकी है। 2 फरवरी, 1971 को एक कन्वेंशन हुआ, जो 21 दिसंबर, 1975 को लागू किया गया और हमारा देश भी उसका सिग्नेटरी है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है। जब यह चीज 1975 में लागू हो गई, तो वहां की सरकारें क्या करती रहीं? क्यों नहीं वेटलैंड डेवलपमेंट के लिए काम किया? क्यों नहीं उसकी सुरक्षा, संरक्षण के लिए काम किया? यह काम कब हुआ? महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि जब यूपीए सरकार आई, तब तक हमारे देश में मात्र 26 वेटलैंड थे, जिसको हम कहते हैं internationally-recognized वेटलैंड। वैसे तो हमारे टोटल वेटलैंड बहुत हैं। टोटल वेटलैंड की संख्या करीब 68,429 है और उनका एरिया 4.10 million hectares है, लेकिन according to Ramsar Convention of 1971 जो internationally-recognized थे, उसकी संख्या केवल 26 थी। आज उसकी संख्या बढ़ कर 98 हो गई है। उसकी संख्या चार गुना बढ़ गई है। अभी 2025 में भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। उसमें दो सिटीज़ हैं, जो internationally-accredited वेटलैंड हैं, वे अभी डिक्लेयर हुए हैं - इंदौर और उदयपुर। यह अभी 2025 में हुआ है। यह जो वेटलैंड की उपलब्धि मिली है, वह इस सरकार में मिली है। उपलब्धि यहाँ हुई है।

महोदय, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के वेटलैंड के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। महोदय, यूपी में 2019 के पहले मात्र एक वेटलैंड था, जो internationally-recognized था। माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी गढ़मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं। वहां से अपर गंगा जो वेटलैंड था, जिसमें ब्रिज घाट से लेकर नरोरा तक है। 2005 तक केवल यही था। उसके पहले कोई नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? 2019 से देखिए। बखिरा वाइल्डलाइफ सेंक्चुअरी, हमारा पुराना ज़िला बस्ती है, वहाँ है । सूर सरोवर, कीठम झील लेक आगरा में है। वह डिक्लेयर हुआ। समसपुर बर्ड सेंक्चुअरी रायबरेली, 2019 में हुआ, *सरसई नावर झील* इटावा 2019 में हुआ, हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर-बिजनौर एरिया में 2021 में हुआ। समन बर्ड सेंक्चुअरी मैनपुरी 2019 में हुआ। नवाबगंज बर्ड सेंक्चुअरी *उन्नाव*, 2019 में डिक्लेयर हुआ। पार्वती अरगा बर्ड सेंक्चुअरी गोंडा, 2019 में हुआ। *सांडी* बर्ड सेंक्चुअरी हरदोई, 2019 में हुआ और एटा में पटना बर्ड सेंचुरी अभी 2026 में डिक्लेयर हुआ। महोदय, इस तरह पूरे देश में जो वेटलैंड्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा 20 तमिलनाडु में हैं और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 11 हो गई है। हम कहते हैं कि वेटलैंड में यूपी का राजपक्षी रहता है। उस पक्षी का नाम सारस क्रेन है। सबसे ज्यादा सारस क्रेन उत्तर प्रदेश में है और यह उत्तर प्रदेश का राजपक्षी है। कांग्रेस की सरकार और सपा की सरकारों ने वेटलैंड डेवलपमेंट पर कुछ नहीं किया, लेकिन वे सारस पर राजनीति करने लगे।

महोदय, यह मार्च, 2023 की बात है। अमेठी जिले में एक आरिफ साहब थे। उन्होंने एक सारस पाल लिया था। उनके बारे में बहुत-सी कहानियाँ थीं। वे बताते थे कि वह घायल था तो मैं उसे ले आया, उसको जीवन दिया और पाल लिया। यह अच्छी बात है। अब वे उसका प्रदर्शन करने लगे। वे मोटरसाइकिल से चल रहे हैं और सारस ऊपर से उड़ रहा है। चूंकि यह राजपक्षी है और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट के शेड्यूल फोर में एक endangered species है, जिसकी देखभाल की जरूरत है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया, जिसके बाद उस सारस को उनसे ले लिया गया और उसे कानपुर के चिड़ियाघर में रखा गया। अब यहाँ से राजनीति शुरू हो गई। वहाँ सपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए और वहाँ

Contents Page

उन्होंने अमेठी के रहने वाले आरिफ से सारस को दूर करने पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरिफ से सारस इसलिए छीन लिया गया, क्योंकि वे उनके घर पर बधाई देने गए थे। उन्होंने कहा कि चूंकि वह मुस्लिम था, इसलिए उससे सारस छीन लिया गया। उसके बाद यह कहा गया कि क्या यह प्रजातंत्र है? महोदय, यह राजनीति की गई। वे कह रहे थे कि सरकार बताए कि सारस का अपहरण हो गया। एक नैरेटिव गढ़ने के आदी उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि वह सारस कहाँ है, उसको अपहरण करके कहां रखा गया है, उस पक्षी को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? उन्होंने एक चीज और कही कि ये जब पक्षी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये हमें-तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, हम सबको जेल में डाल देंगे। श्रीमान, यह ऑन रिकॉर्ड है। अब कांग्रेस कहां पीछे रहती? उसने भी अपने ट्विटर हैंडल पर 21 मार्च, 2023 को इसके बारे में लिखा - वन विभाग की टीम उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी को स्वतंत्र कराने के नाम पर उसे सेवा करने वालों से दूर ले गई। देखना है कि राष्ट्रीय पक्षी को दाना खिलाने वाले से स्वतंत्र कराने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है? यूपी कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बारे में और भी कहा गया, जिसको मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा, आरिफ नाम का एक व्यक्ति एक साल से पक्षी पाल रहा था। साल भर पहले उसने उस पक्षी की जान बचाई थी। अब वन विभाग वाले उसको इसलिए छुड़ा ले गए, क्योंकि वह मुसलमान है। महोदय, वन संरक्षण अधिनियम में जहाँ पशु-पक्षियों के बारे में यह क्लियर कट आदेश है कि इनका संरक्षण किया जाएगा और कोई इसको कठघरे में खड़ा नहीं कर सकता, उस पर भी राजनीति की गई। जिन लोगों ने वेटलैंड के लिए, फॉरेस्ट के लिए कुछ नहीं किया, उनमें समाजवादी सरकार के भी कई लोग थे, जो जंगल काटने के लिए प्रसिद्ध थे। तराई का जंगल, बहराइच का जंगल, गोंडा का जंगल, वहाँ स्पेशियली साल के पेड़, सागौन के पेड़ और काले शीशम के पेड़ थे। Dalbergia Latifolia, जो आम शीशम है, वह एक पेड़ भी नहीं बचा, सब काट डाले गए। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, वे सारस पर राजनीति करने लगे। आज उत्तर प्रदेश सरसब्ज है। ऐसी तमाम जमीनें, जिनको फॉरेस्ट की माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, उनको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनसे छुड़ा लिया है। महोदय, शहरों में जो कब्जे थे, जहाँ बड़े-बड़े माफियाओं का पैरलल शासन चलता था, उनको उनसे लेकर आज वहाँ गरीबों के लिए मकान बनाए गए हैं। उसी एरिया में गोमती नगर के किनारे तमाम जगहों पर शहरी वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ लगाए गए हैं। हम भी उसमें शामिल होते हैं। महोदय, इस तरह से पेड़ों के संरक्षण में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह हम सबका काम है, एक पुनीत काम है।

महोदय, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक मेरा सुझाव है। चूँकि मैं भी जंगल में रहा हूँ, जंगल में पैदा हुआ हूँ, जंगल की सर्विस में रहा हूँ, इसलिए मुझे बड़ा फख्र होता है यह कहने में कि मैं भी जंगली हूँ। महोदय, पहले जो पेड़ सड़कों और हाइवे के किनारे लगाए जाते थे, वे अधिकतर फाइकस फैमिली के होते थे। जैसे पीपल (Ficus religiosa), बरगद(Ficus benghalensis), गूलर (Ficus glomerata) ... महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपने जंगली कहा। आप जंगली नहीं, बल्कि सांसद हैं।

श्री बृज लाल: महोदय, मैं जंगल में रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। महोदय, गूलर, पाकड़ आदि ऐसे वृक्ष होते हैं जो बहुत छायादार होते हैं। फाइकस परिवार के पेड़ों में छोटे-छोटे फल लगते हैं, जिन

Contents Page

पर हमारी चिड़ियाँ निर्भर रहती हैं। उनका जीवन भी उसी पर आधारित रहता है - वहीं वे घोंसला बनाती हैं और वहीं भोजन प्राप्त करती हैं।

महोदय, पीपल की पकी हुई फ़ली ज़मीन पर डाल दें, तो वह कभी नहीं जमेगा। आपने पीपल और बरगद के पेड़ को जमते हुए नहीं देखा होगा। वे अक्सर घरों की दीवारों या इमारतों पर उग आते हैं। वे वहां क्यों नहीं उगते, जहां उसके फल गिरते हैं! ऐसा इसलिए होता है कि जब चिड़ियाँ इन फलों को खाती हैं, तो उनके digestive system से गुजरने के बाद जब बीज बाहर आता है, तब उसका germination होता है।

महोदय, मैंने अपने गाँव में एक प्रयोग भी किया था। हमने पीपल के पके हुए गूदे को लिया, उसे गाय के ताजे गोबर में मिलाया, एक सप्ताह तक रखा और फिर नर्सरी में लीप दिया। उसके बाद उससे पौधे उग आए। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज जो सड़कें और हाइवे बन रहे हैं, उनके किनारे हम ऐसे देसी पेड़ लगाएँ – जैसे देशी आम, इमली, महुआ, नीम, बड़हल, जामुन, खिरनी आदि। ये पेड़ न केवल छाया देते हैं, बल्कि इन पर हमारी wildlife और पक्षी भी निर्भर रहते हैं। महोदय, महुआ जैसे पेड़ धीरे-धीरे बढ़ते हैं। लोग पच्चीस साल इंतजार नहीं करना चाहते, इन्हें सरकारी जमीनों पर लगाया जाए, तभी ये रुकेंगे। किसान इन्हें नहीं लगा रहे हैं।

महोदय, इसके अलावा कुछ foreign species हैं, जिन्हें हम flora कहते हैं, उन्हें बिना पर्याप्त जानकारी के हमारे देश में लाया गया। वर्ष 1954 में PL-480 लाल गेहूं आता था, जो अमेरिका देता था और वह हमारी पॉलिसी को disturb करता था। वह कहता था कि नहीं दोगे, तो हम PL-480 गेहूं नहीं देंगे। वह 1970 तक चला, उसमें Parthenium grass आया, जिसे Congress grass भी कहा जाता है। यह घास जहाँ भी फैलती है, उसमें सफेद-सफेद फूल उग आते हैं, जो रोग का कारण है और इसे खत्म करना बहुत कठिन हो गया है।

इसी तरह जलकुंभी है, जिसे हम अंग्रेज़ी में Water Hyacinth कहते हैं। यह पहली बार 1875 में Fort William, Calcutta में लाया गया था। कहा जाता है कि गवर्नर जनरल की पत्नी इसे लाई थीं। उस समय यह बहुत सुंदर फूलों वाला पौधा लगता था, लेकिन आज उस जलकुंभी ने हमारी water body को खत्म कर दिया है। हमारे गाँवों के तालाब, गड्ढे और नदियाँ, अब तो गोमती भी जलकुंभी से भर जाती हैं। इसलिए, मैं Forest Minister से कहना चाहूँगा कि इसके लिए एक योजना बननी चाहिए, जिससे जलकुंभी जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि विदेशों से कोई ऐसी प्रजाति हमारे देश में न आए जो भविष्य में हमारे देश के लिए नासूर बन जाए। इसी प्रकार Lantana camara, जो दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आई, आज वह भी हमारे forest के लिए नासूर बन गयी है। इसी तरह बिलायती बबूल भी कई जगहों पर बहुत तेजी से फैल गया है। अभी मैं तमिलनाडु गया था। वहाँ rural areas में बिलायती बबूल ने बहुत बड़े क्षेत्र को cover कर लिया है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह यही स्थिति है। बुंदेलखंड से हमारे निषाद साहब हैं, वहां भी इसने कवर कर रखा है।

Contents Page

महोदय, ये सब foreign से आई हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो foreign species हैं, ये flora की श्रेणी में आती हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया जाए, जिससे इस तरह की चीजें न आएं। साथ ही, जो आ चुके हैं, उनसे किस तरह से निजात पाई जाए, किस तरह से निराकरण किया जाए, उसका भी प्रयास हमें करना चाहिए। इसी तरह से अब आता है। यह flora हो गया। अब Fauna पर आते हैं। कई ऐसी चीज़ें आईं - जैसे 1952 के आसपास एक Tilapia मछली आई। इसके बाद African Magur आया। इसके अलावा Chinese Carp - common carp, silver carp, grass carp. ये मछलियां हमारी नदियों में चली गई हैं। जो हमारी देसी मछलियां हैं, हमारी Indian Carp, Rohu, Bhakur, जिसको कतला कहते हैं, Mrigal, Naini, Kalbosh - ये जितनी मछलियां थीं, जिनको हम पालते हैं, उन सब मछलियों को ये मछलियां replace कर रही हैं। इसको कैसे control किया जाए? सबसे बड़ा Thai Magur है, जिसे African Magur कहते हैं। वे नदी में पहुंच गया है और उसके ऊपर केवल घड़ियाल है। जितनी मछलियां हैं, वह सबको खा जाता है। वह unfortunately banned जरूर है, लेकिन मार्किट में अब भी बिकता है। इसके साथ ही यह भी प्रयास करना चाहिए। अब मैं wildlife पर बोलना चाहूंगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका बहुत अच्छा ज्ञान आ गया है। आपके 30 मिनट हो गए हैं। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बृज लाल: सर, मुझे केवल दो मिनट का समय दीजिए। महोदय, मैं Project Cheetah के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां 38 चीते थे। 1947 में छत्तीसगढ़ में एक महाराजा थे, उन्होंने इनका शिकार किया था। आप पुराना साहित्य पढ़िए। अकबर वगैरह के समय महाराजा चीते पालते थे। वे इनको ले जाते थे, इनसे शिकार करवाते थे। मैं मंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी के निर्देशन में आज चीते लाए गए हैं और इनको बचा लिया गया है। मैं elephant के बारे में कहना चाहता हूं। मैं अपनी कमेटी को लेकर असम गया था। Elephant अपना रास्ता नहीं छोड़ता है, कोरिडोर नहीं छोड़ता। वहां गैंड़े हैं, जंगली भैंसे हैं और मैं अपने प्रधान मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से बताया।

श्री बृज लाल: क्योंकि बरसात के समय काजीरंगा से जब बाढ़ आती थी, वह Karbi Anglong पहाड़ों पर गुज़रती थी, तब traffic रोकना पड़ता था। आज उसके ऊपर flyover बन रहा है। ब्रह्मपुत्र के नीचे से सड़क बन रही है। ये सब चीज़ें हैं, इसलिए जंगली जानवरों को बचाने के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था हो रही है। चाहे elephant हो, tiger हो या any animal हो, उसकी व्यवस्था हो रही है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Now, Shrimati Swati Maliwal. You have three minutes.

Contents Page

सुश्री स्वाति मालिवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि दिल्ली देश की राजधानी, दुनिया की सबसे polluted capital बन गई है। यहां सांस लेना, मानो 50 सिगरेट्स दिन के स्मोक करने के बराबर है। आज हेल्थ एक्सपर्ट्स खुलकर कह रहे हैं "Leave Delhi if you can." Fifteen per cent of all deaths in Delhi in 2023 were directly linked to air pollution. 22 लाख बच्चों के लंग्स दिल्ली में permanently, irreversibly damage हो चुके हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। हर एक नंबर के पीछे एक मां है, जो वक्त से पहले चली गई। एक बच्चा है, जो खांस-खांस के खेलने पर मजबूर है। एक मज़दूर है, जिसको सुबह से शाम तक उसी जहरीली हवा में काम करना पड़ रहा है।

सर, 2025 के पूरे साल में एक भी good air quality का दिन नहीं आया। यह सिर्फ public health emergency नहीं है, यह दिल्लीवासियों के खिलाफ ongoing crime है। दुख की बात तो यह है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए फंड्स की कभी कमी नहीं थी, कमी थी, तो सिर्फ नीयत की थी। पिछली दिल्ली सरकार ने Green Cess के तहत 2015 से 2023 के बीच में 1,500 करोड़ रुपये इकट्ठा किए, पर आधे भी खर्च नहीं किए। जो करे, वे भी कोर्ट की फटकार के बाद खर्च करे। पिछली दिल्ली सरकार के पास जो पैसा पॉल्यूशन से लड़ने के लिए था, उससे अपनी फोटो वाली बड़ी-बड़ी एड लगा दी, जैसे कि उनकी शक्ल देखकर पॉल्यूशन भाग जाएगा। पॉल्यूशन एड से थोड़ी न कम होगा! इसको कम करने के लिए holistic long-term planning करनी होगी। पहला, vehicular pollution कम करने के लिए public transport को मजबूत करना होगा। आज मेट्रो और बसों में हद से ज्यादा ओवर क्राउडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में आदेश दिए थे कि दिल्ली को 10 हज़ार बसें चाहिए। आज 2025 में दिल्ली में सिर्फ 5 हज़ार बसें हैं। यह तब है, जब वेहिक्युलर एमिशन्स दिल्ली के पॉल्युशन का दो-तिहाई हिस्सा है।

महोदय, दूसरी बात है — स्टबल बर्निंग। भले ही सरकारें स्टबल बर्निंग डेटा में गिरावट दिखाएँ, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस कुछ और ही सच बता रही हैं। इस इश्यू पर स्टेट गवर्नमेंट्स को किसानों के साथ मिलकर काम करना होगा। किसान दुश्मन नहीं है, किसान मजबूर है। उसके पास अल्टरनेटिव नहीं है। स्टेट गवर्मेंट्स को 5,000 रुपये पर एकड़ कम्पेन्सेशन देना होगा, टेक्नोलॉजी देनी होगी — तभी जो आग लगती है, वह बंद होगी, और यह जो ब्लेम गेम होता है, वह भी बंद होगा।

महोदय, तीसरी बात यह है कि दिल्ली के 300 किमी के रेडियस में आज भी 35 थर्मल प्लांट्स हैं और इनमें से सिर्फ 13 के पास एमिशन-कंट्रोल सिस्टम्स हैं। सर, चौथा बिंदु यह है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट नॉर्म्स का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन होता है। ..(**समय की घंटी**).. टूटी सड़कें हवा में डस्ट उड़ाती हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में आज भी वेस्ट बर्निंग होती है, दिल्ली में पीएम 2.5 एवरेज 200 तक पहुँच जाता है, जबकि डब्ल्यूएचओ के अकोर्डिंग सेफ लिमिट इसके 40 गुना से भी कम है। हम ग्रैप स्टेज-1,2,3,4 में ही उलझे रह जाते हैं। Air purifiers and N-95 masks cannot be a new normal. चाहे आप नेता हों या जनता, अमीर हों या गरीब, सबको इसी हवा में सांस लेना है। इस इररिवर्सिबल हेल्थ डैमेज से कोई नहीं बच पाएगा।

Contents Page

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपकी बात आ गई है, अब समाप्त कीजिए।

सुश्री स्वाति मालिवाल: सर, मैं इसीलिए मांग करती हूँ कि CAQM को ऑटोनॉमस बनाया जाए, उसे ब्यूरोक्रेटिक क्लचस से मुक्त किया जाए, उसे एक्सपट्र्स लीड करें, उसे संसाधन दिए जाएँ और 10,000 करोड़ का स्पेशल बजट दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुश्री स्वाति मालिवाल: उसका एक ही टारगेट होना चाहिए कि दिल्ली NCR में पॉल्युशन पूरे तरीके से खत्म करे। हम सबको, सभी सरकारों, पार्लियामेंट और पूरे समाज को मिलकर एयर पॉल्युशन पर वॉर-फुटिंग से काम करना होगा। जब तक हम पॉल्युशन पर विजय नहीं पाते, तब तक कम से कम सरकार को एयर प्युरिफायर्स और वॉटर प्युरिफायर्स से जीएसटी पूरे तरीके से हटा देनी चाहिए। इसके साथ ही ऑर्डर्स होने चाहिए कि स्कूल्स, ओल्ड एज होम्स, वर्क प्लेसेस में एयर प्यूरिफायर अनिवार्य हो। यह लड़ाई हमें हर हाल में जीतनी होगी, क्योंकि यह हमारी सांसों की लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारे भविष्य और अस्तित्व की लड़ाई है। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, जय हिंद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Now, Shri Ujjwal Deorao Nikam - 12 minutes. यहाँ पर समय में कुछ परिवर्तन हुआ है।

SHRI UJJWAL DEORAO NIKAM (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all, I thank you very much for giving me the opportunity to participate in the Discussion on the Working of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Sir, while I stand here to make my short submission and contention, I am reminded of a famous often-quoted line from Atharva veda, which beautifully captures India's civilizational relationship with nature. It says, "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः" which means, "The Earth is my mother and I am her son". This simple yet profound thought reflects our Indian philosophy. It must co-exist with the nature and it should not be destroyed. Today, under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Naredra Modi, this ancient ethos has been translated into modern environmental governance. Sir, a question may be put to me as to what transformation we have noticed. Environmental governance in India has undergone a significant transformation over the past decade. I have no hesitation in mentioning that in 2012-13, the allocation for this Ministry was about Rs. 2,430 crore. However, in the current Financial Year, the allocation stands at Rs. 3,759 crore. There has been substantial increase and the real change is not merely in numbers. It is also reflected in the approach. Sir, the Government has consistently maintained that environmental protection and economic development are not contradictory goals. Rather, they are mutually reinforcing pillars of a sustainable

Contents Page

and developed India. Our traditional wisdom reminds us, "वनं हि जीवनं नृणां, वनं रक्षति रक्षितम्।"

It means forests sustain life and when we protect forests, they protect us. In recent years, several important steps have been taken in the conservation of forests. Today, India has 98 Ramsar Wetland sites compared to 26 in the year 2014. Cities like Indore and Udaipur have been recognised as Ramsar Wetland cities, the first in the country to receive this distinction. India's forests and tree cover now constitute over 25 per cent of the geographical area according to the latest forest assessment. Our wildlife conservation programmes have also delivered remarkable results. The population of the Bengal tiger has increased to 3,682, accounting for nearly three-fourths of the world's wild tigers. Protected areas across the country have expanded substantially, strengthening ecological security. While speaking about the forests, I would like to draw your attention to an emergency issue, that is, protection of urban forests. India is urbanising rapidly. Our cities are expanding, infrastructure is growing and population density is increasing. In this context, urban forests are no longer just recreational green spaces. They perform critical ecological functions. They help reduce the urban heat island effect, improve air quality, conserve biodiversity and provide much-needed ecological balance within cities. The Government has taken a positive step through the Nagar Van Yojana, under which hundreds of urban forest projects have been approved. However, given the pace of urbanisation, I would like to suggest to the hon. Minister, Bhupender ji Yadav, that the Government may consider establishing a National Urban Forest Conservation and Management Authority under the Ministry. Such an authority could create a national inventory of urban forests, develop scientific management guidelines, coordinate with State Forest Departments and urban local bodies, and ensure long-term protection of urban biodiversity. If cities are the engines of India's growth, urban forests must remain the lungs of our future. Our hon. Member, Brij Lal ji, has quoted certain incidents which had happened long back during the regime of the other Government. He has also quoted how the forest and environment laws were evaded. No doubt, he was a senior police officer. Being the public prosecutor, I know if we have to maintain dignity and sanctity of these areas, then, we have to necessarily make certain changes in the law. Therefore, I would like to appeal to our hon. Minister, Bhupender ji; criminal jurisprudence says that deterrent punishment is not only deterrent to every criminal, but to give a strong message to the like-minded people. So, I would like to say that we have to make certain changes in the environmental law and the forest law so that the persons who commit a breach should be severely dealt with by the law.

Sir, my next point would be about air pollution. Air pollution, no doubt, is a critical area where systematic progress has been made. India now has over 1,500 air quality monitoring stations, including more than 550 continuous monitoring stations across the country. Under the National Clean Air Programme, many cities have reported significant reduction in particulate pollution levels over recent years. This expansion of monitoring infrastructure has improved both transparency and the policy response. India's climate action has also gained global recognition. Between 2005 and 2020, India reduced its emission intensity by about 36 per cent, demonstrating that economic growth can occur along with responsible climatic action. India's renewable energy capacity has expanded rapidly and the country is moving steadily towards the goal of 500 gigawatts of non-fossil fuel capacity by 2030. Initiatives such as Mission LiFE and Lifestyle for the Environment, have also brought citizens into the climate movement, making sustainability a collective national effort. Institutional reforms have also strengthened environmental governance. Digital platforms such as PARIVESH have improved transparency in environmental clearance while mechanisms like the CAMPA Fund utilisation have helped accelerate afforestation efforts across the States. Market-based initiatives like the Green Credit Programme are also encouraging greater environmental responsibility from industry and institutions.

Sir, I come from Maharashtra. And I have no hesitation to place on record the significant environmental progress made by our State under the dynamic leadership of the Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis, in close coordination with hon. Prime Minister Modi *ji*'s vision and the policies of the Government of India. Maharashtra remains one of the leading States in implementing the National Clean Air Programme, with over 80 per cent utilisation of the Central Funds. It makes it one of the highest among major States. Cities like Nagpur, Nashik, Thane and Pune have recorded consistent reductions in PM10 levels compared to 2017-18. The State has also undertaken extensive restoration of degraded forest land using CAMPA funds, and Maharashtra consistently ranks among the top States in CAMPA fund utilisation. Under mangrove conservation, Maharashtra has added over 150 sq km of mangrove cover since 2015, as per the FSI data, making it one of the few States showing a positive trend. Importantly, Maharashtra's successful creation of urban green spaces such as the rejuvenated Sanjay Gandhi National Park buffer, Navi Mumbai mangroves and Nagpur's Gorewada biodiversity project have become national model for combining conservation with urban expansion.

Contents Page

Sir, lastly, I must say that environmental stewardship is not merely an administrative responsibility. It is a moral and constitutional duty. India's civilisational wisdom has always reminded us that protection of nature ultimately safeguards human life itself. As we move towards hon. Modi *ji*'s vision of Viksit Bharat 2047, ecological sustainability must remain at the heart of our development model. With stronger institutions, better data systems, wider public participation and continued political commitment, I am confident that India can demonstrate to the world that development and environmental responsibility can go hand in hand. I, therefore, support the work of the Ministry and hope that the momentum of environmental reforms will continue in the years ahead. Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to participate in this discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Next speaker is Shri Masthan Rao Yadav Beedha.

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this subject. On behalf of the Telugu Desam Party, I rise to speak on the Discussion on the Working of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Environmental stewardship today is not merely a policy obligation; it is a collective responsibility. In recent years, our country has demonstrated that economic growth and environmental responsibility can progress together. The budgetary allocation for the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for 2026-27 stands at Rs.3,759 crore, an increase of about seven per cent over the Revised Estimates of 2025-26. This demonstrates continued commitment of the Government to strengthening environmental governance in the country. The allocation for environment, forestry and wildlife programmes has also witnessed a substantial increase of about 40 per cent compared to the Revised Estimates of the previous year. India has also made commendable progress on climate commitments. The country has already reduced the emission intensity of the GDP by 36 per cent from 2005 levels. Renewable energy capacity has crossed 50 per cent of the installed power capacity as of December 2025. These achievements highlight India's responsible leadership in the global climate discourse. In wildlife conservation as well, the Government has continued its commitment through programmes such as Project Tiger and Project Elephant. These developments demonstrate that environmental protection is not being treated as a peripheral issue but as a core element of India's developmental framework.

Sir, then, I come to our suggestions. Air pollution remains one of the most pressing environmental challenges, particularly in urban areas. While initiatives such as the National Clean Air Programme have begun to show encouraging results, further action is required. There is a strong case for investing in better field infrastructure, technology-enabled monitoring systems and improved welfare measures for forest personnel. Strengthening livelihoods for forest-based communities through sustainable forest produce, eco-tourism and value-addition can simultaneously support conservation and rural development.

In conclusion, our environmental governance today stands at a crucial juncture. The Demands for Grants before us reflect both the progress made and the responsibilities that lie ahead. The Government, under the able leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, and hon. Environmental Minister, Shri Bhupender Yadav, has taken significant steps in strengthening the environmental institutions, expanding conservation programmes and advancing India's global climate commitment.

With this, on behalf of Telugu Desam Party, we support the Demands for Grants for the Ministry. *Jai Telugu Desam*! Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Next is Shri Madan Rathore; 12 minutes.

श्री मदन राठौड़ (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की एक बहुत बड़ी समस्या की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे तो खुशी इस बात की है कि मंत्री जी भी हमारे राजस्थान के ही हैं, तो हमारे यहां मारवाड़ी में एक कहावत है कि 'मामारो ब्याहो ने मां पुरषण वाली, वह तो कहीं कसर ले सके'। यानी मामा की शादी हो और मां ही पुरुषकारी करने वाली हो, तो कमी तो नहीं रहनी चाहिए। वैसे हम पंजाब की सरकार की लापरवाही से बहुत पीड़ित हैं। पंजाब में हरिके बैराज पर वहां जो आसपास के कारखाने हैं, उन कारखानों का प्रदूषित पानी नहरों के माध्यम से राजस्थान में आ रहा है और राजस्थान की जनता उसको भुगत रही है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं सोचता हूं कि मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। भारत सरकार और केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कई बार इस प्रकार के प्रयास भी किए। उसने पंजाब सरकार को भी सावधान किया कि आपकी औद्योगिक इकाइयां और नगरीय प्राधिकरणों से जो प्रदूषित पानी निकलता है, उसको ट्रीट करें और अपने उपयोग में लें, रीसाइकिल करें, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। वे पानी को सीधे रावी, ब्यास और सतलुज, हरिके बैराज में डाल देते हैं। उस डाउनस्ट्रीम का पानी हमारे राजस्थान को मिलता है। सतलुज नदी के पास जितने भी शहर हैं, जितने भी कस्बे हैं, उन कस्बों में जो भी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं, उनका जल सीधे के सीधे नालों से होते हुए सतलुज नदी में मिलते हुए हरिके बैराज में आता है।

Contents Page

हरिके बैराज से आया हुआ जल राजस्थान फीडर, जिसे इंदिरा गांधी फीडर नाम दिया गया और फिरोजपुर फीडर में छोड़ा जाता है। राजस्थान फीडर से विशेषकर राजस्थान को पानी मिलता है और फिरोजपुर फीडर पंजाब और राजस्थान की संयुक्त नहर है। फिरोजपुर फीडर से बीकानेर कैनाल के माध्यम से श्रीगंगानगर और राजस्थान के जिलों को जलापूर्ति होती है। आपको पता होगा कि वहां एक पंजाब मेल ट्रेन चलती है, उसका नाम ही लोग कैंसर ट्रेन बोलते हैं। उसका प्रचलित नाम यह हो गया है। वहां पर इतनी बड़ी समस्या है। वे प्रदूषित पानी हमारे राजस्थान को भेजते हैं और इसी कारण से राजस्थान में यह पानी हमारे कई जिलों को प्रभावित करता हुआ जोधपुर और जैसलमेर तक जाता है। वह पानी बहुत प्रदूषित पानी है। कई बार उनको बताया गया। इसकी रोकथाम के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी उनको सावधान किया। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 1(ब) के तहत निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन पंजाब सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती । वह इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनको कई बार सावधान भी किया गया। बुद्ध नाला, ईस्ट बेन और सतलुज नदी, इनके माध्यम से वहां पर जो एसटीपीज़ और सीईटीपीज़ बने हुए हैं, वे बिल्कुल नाकारा हैं। वे किसी भी प्रकार के एफ्लुएंट पानी को ट्रीट करते ही नहीं हैं। गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सब इसको भुगत रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर अपने जवाब में कोई व्यवस्था कर सकें, पंजाब सरकार को बाध्य कर सकें, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा।

महोदय, मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि इन दिनों एक ऐसा पेड़ पनप रहा है, जो दिन में भी carbon dioxide छोड़ता है और रात में भी carbon dioxide छोड़ता है। वह पेड़ एकदम से इतना मजबूत है कि वह लगाते ही कुछ ही दिनों में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। उस पेड़ पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पेड़ किस काम का है कि वह बहुत मोटा-ताजा तो हो जाता है, उससे हरियाली तो दिखती है, लेकिन हमेशा carbon dioxide छोड़ता है। मैं सोचता हूं कि यदि मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। वह कई प्रांतों में भी लग रहा है। हमने राजस्थान में भी प्रयास किया कि उस पर रोक लगाने का काम किया जाए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप उसका नाम बता दीजिए।

श्री मदन राठौड़: उसका नाम Conocarpus है। महोदय, आजकल भू-जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। मैं भू-जल का स्तर बढ़ाने के लिए एक सुझाव देना चाहूंगा। आजकल बाथरूम्स में पानी बहुत उपयोग में आता है। यह पहले कम उपयोग में आता था, लेकिन आज तो यूरिन के लिए भी जाते हैं, तब भी फ्लश चलाना पड़ता है। वहां पर नहाने के लिए जो पानी गिरता है, वह सारा पानी बह करके नालियों के माध्यम से गंदगी फैलाता है। यदि इस पानी को भी जमींदोज किया जा सके, जैसे कोई गटर का पानी जमीन में जाता है, उसी प्रकार से इस पानी को भी नालियों में कहीं पर बोरिंग करके जमीन में डाला जा सके, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और भू-जल का स्तर ऊंचा हो जाएगा।

महोदय, आजकल हम देखते हैं कि प्लास्टिक बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण और गंदगी फैलाता है। इसको recycle किया जाना चाहिए। अभी मैंने दिल्ली के अंदर देखा कि Plast India नामक एक प्रयोग हुआ था। वे उस प्लास्टिक को reuse करते हैं, उससे धागा तक बनता है। ऐसे ही जितनी भी गंदगी पड़ी रहती है, मैं सोचता हूं कि इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। हमारे मंत्री जी के इलाके में भी मैंने बहुत बड़ा प्लास्टिक का ढेर और कचरा देखा था। मैं अलवर में गया था, तो वहां पर मैंने देखा था कि वहां बहुत बड़ी मात्रा में गंदगी थी। यदि हम Plast India को प्रोत्साहित कर सकें, ऐसी इंडस्ट्रीज को पनपाने का काम कर सकें, तो निश्चित रूप से जितना भी कचरा है, उसका समाधान हो सकेगा। हमारे गडकरी साहब भी कहते हैं कि इस कचरे से भी फ्यूल बनाया जा सकता है, इस कचरे का भी और उपयोग किया जा सकता है। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा इसका उपयोग करने के कारखाने और लगाने चाहिए। जैसे खेतों में कोई अनुपयोगी सामग्री है, जिसे जलाया जाता है, पराली जलाते हैं, तो उससे भी प्रदूषण फैलता है, लेकिन यह वास्तव में उपयोगी हो सकता है। ऐसे कई प्रयोग भी हुए हैं कि इसका उपयोग करके इससे और लाभ भी लिया जा सकता है, जनहित में उपयोग किया जा सकता है। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में भी हमें और प्रयास करने चाहिए।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। यह बात बिल्कुल सही है कि यह जो ध्वनि प्रदूषण है, वास्तव में बहुत हानिकारक है। अभी मेधा जी ने यह जो बात कही कि बड़े डीजे बजते हैं, लोग बड़े-बड़े हॉर्न बजाते हैं, तो मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। पच्चीस-तीस साल पहले की बात है। जसवंत सिंह जसोल जी मंत्री थे। एक दिन वे मेरे साथ मेरी गाड़ी में चले। मेरे ड्राइवर ने हॉर्न बजा दिया, तो उन्होंने तुरंत कहा कि क्या यह इस बात को जताना चाहता है कि 70 हजार की कार आ रही है, तू सामने से हट जा? हॉर्न मत बजाइए। उन्होंने हॉर्न पर रोक लगाने के लिए प्रयास किया। तब से हमने तो यह प्रयास किया कि हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, लेकिन आपने ठीक कहा कि कहीं सिग्नल बंद है, आगे नहीं जाना है, लेकिन पता नहीं, फिर भी लोग हॉर्न बजाते हैं। इसलिए इसके बारे में प्रशिक्षण देने की जरूरत है।

महोदय, मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। इंडस्ट्री जरूरी है, लेकिन वहां पर उसका Effluent Treatment Plant लगाना बहुत जरूरी है। हमें ये व्यवथाएं भी करनी चाहिए। कई स्थानों पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें पाइपलाइन के जरिए पानी रिफाइनरीज़ में दिया जा सकता है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यदि आप उस पाइपलाइन का पैसा दे दें, हमारे इलाके में भी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो यदि आप पाइपलाइन का पैसा दे दें, तो निश्चित रूप से वह पानी भी रिफाइनरीज़ में उपयोगी होगा। अभी वहां पर शुद्ध पानी देते हैं। जब शुद्ध पानी पीने के काम आता है, तो वहां पर नाचना से पानी दे रहे हैं। वहां नाचना से पानी देना बंद किया जाना चाहिए और वहां पर treated water, जो recycle किया जा सकता है, उस पानी को वहां पर देंगे, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा।

महोदय, एक विषय वायु प्रदूषण का भी है। आजकल वायु प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। आज देखिए कि हमारे विपक्ष के जो ये लोग हैं, आज जब दिल्ली में प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा है, तो ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। कभी-कभी Zero Hour में भी यह विषय लेकर के आते

Contents Page

हैं, तो कभी दूसरे समय पर लेकर आते हैं, लेकिन आज जब इस पर गंभीर चिंतन हो रहा है, इसी विषय पर चर्चा करने का अवसर है, तो वे यहां से गायब हैं। दिल्ली में भी प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है।

आज हम दिल्ली में आते हैं, लेकिन हम अपने परिवार को लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि उनको यहां लेकर आएंगे, तो वे निश्चित रूप से किसी-न- किसी रोग से पीड़ित हो जाएंगे। ऐसे आज एनजीटी ने भी बहुत व्यवस्था की है। सड़कें बन रही हैं। सड़कें बननी चाहिए, विस्तार होना चाहिए, चौड़ीकरण भी होना चाहिए। एनजीटी ने उनको इस शर्त पर अनुमति दी है कि आप पेड़ लगाएँ, लेकिन पेड़ लगाने की औपचारिकता मात्र करते हैं। सड़कें चौड़ी हुईं, पहले के पेड़ काट दिए गए। सैकड़ों पेड़ काटे जाते हैं, लाखों पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन वापस जितने पेड़ लगाने होते हैं, वे उतने पेड़ नहीं लगाते हैं। अगर कहीं पर पेड़ लगा देते हैं, तो ट्री गार्ड नहीं लगाते हैं। ट्री गार्ड के नाम पर एक औपचारिकता कर देते हैं, बांस का एक छोटा-सा ढांचा बना कर खड़ा कर देते हैं। वह कैसे टिकेगा? ट्री गार्ड लगाना जरूरी है। ट्री गार्ड लगाया जाए तथा उसका रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। रेट ऑफ सर्वाइवल सुनिश्चित किया जाए, तब जाकर इसकी पूर्ति होगी। जितने पेड़ काटे गए, उससे कई गुणा पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके लिए व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इसकी निगरानी भी होनी चाहिए। जब इसकी निगरानी होगी, तभी यह सुनिश्चित हो सकेगा कि पर्यावरण के प्रति हम गंभीर चिंतन कर रहे हैं। मैं यह केवल सरकार के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह हम सब की भी जवाबदेही है। आम नागरिकों की भी जवाबदेही है कि वह भी इसको देखे। हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने कहा, एक पेड़ मां के नाम लगाओ। हम सबने लगाए। मेरे इलाके में एक खीमावत ट्रस्ट है। मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उस ट्रस्ट ने तीन लाख से अधिक नीम के पेड़ लगा दिए। उसको हमने राज्य स्तर पर सम्मानित करवाया और राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित करवाने का काम किया। इस तरह से पेड़ लगाने के लिए स्वयं प्रेरित एक जागृति पैदा करने की जरूरत है।

मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा। मैंने पहले यहां पर जीरो आवर्स में यह एक विषय रखा था कि Juliflora को समाप्त किया जाना चाहिए। यह Juliflora किसी दूसरे पेड़ को पनपने नहीं देता है। यह Juliflora कांटा ही कांटा है और इसको दूसरा नाम विदेशी बबूल दिया गया है। ये विदेशी बबूल जहां-जहां लगे हैं, वहां पर दूसरी वनस्पति पनपती नहीं है। जितने भी वन क्षेत्र हैं, उसके अंदर भी Juliflora लग गए हैं। कई सड़कों पर Juliflora लग गए हैं। जहां घास उगाने की जमीन है, जो गोचर भूमि है, वहां पर भी Juliflora लग गया है, इसलिए वहां पर तो गाय जा ही नहीं सकती। गाय क्या, इंसान भी कोशिश करने के बाद भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कांटा भी बड़ा चुभता है और वह पीड़ा देता है। मैं सोचता हूं कि उसका कांटा जहरीला है। ऐसे में इस Juliflora के उन्मूलन के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे Juliflora को समाप्त किया जा सके।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा और वह भूजल और गतिशील भूजल के संबंध में है। राष्ट्रीय संकलन, 2025 के अनुसार भारत में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 450 अरब घन मीटर,

बीसीएम आंका गया था, जिनमें से 408 बीसीएम निष्कर्षण योग्य है। यह विचार करने की बात है। 2025 में वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बीसीएम था, जो निष्कर्षण के राष्ट्रीय औसत का 61 प्रतिशत था। अभी हमने बहुत प्रयास किया है। हमारी केंद्र की सरकार ने बहुत प्रयास किया है और प्रयास करके भूजल स्तर को ऊपर लाने के लिए व्यवस्था की गई है। मैं वायु प्रदूषण के लिए भी कुछ निवेदन करना चाहूँगा। वायु प्रदूषण ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों की ऐसी मात्रा में उपस्थित है। ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): धन्यवाद, मदन जी।

श्री मदन राठौड़: महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप आधे मिनट में अपनी बात पूरी करिए।

श्री मदन राठौड़: महोदय, वह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। इसमें नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड, कण पदार्थ, धूल, कालिख, धुआं आदि शामिल हैं। पीएम पार्टिकल्स हवा में निलंबित महीन ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण है। माइक्रोमीटर से छोटे कण फेफड़ों में गहराई तक जाकर श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं, इसलिए इसके बारे में भी यह प्रयास किया जाना चाहिए। वैसे सरकार कर रही है। विश्व बैंक के अनुसार हमने बहुत अच्छा काम किया है। भारत में इस दिशा में बहुत प्रगति हुई है। इसके लिए मैं मंत्री जी को और सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय में कटौती कर दी है। पहले तो मुझे बोला गया था कि आपको बीस मिनट बोलने दिया जाएगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): बहुत धन्यवाद। माननीय मदन जी, एक अनुरोध था कि आपने प्रारंभिक भाषण में कहा कि आपको पंजाब से आपत्ति है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब की सरकार की लापरवाही से आपकी आपत्ति होगी, इसलिए उस शब्द को संशोधित करा देते हैं।

श्री मदन राठौड़ : महोदय, पंजाब....

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका आशय वही था, इसलिए उसको संशोधित करा देते हैं। Next is Dr. M. Dhanapal; three minutes.

DR. M. DHANAPAL (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the demands for grants of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This Ministry plays a crucial role in safeguarding our nation's natural heritage while ensuring that development remains sustainable and inclusive. India today stands at a critical juncture where economic growth and environmental protection must move together. The Ministry is interested with planning, promoting, coordinating and overseeing policies related to environmental protection, forestry, wildlife conservation, pollution control and climate change

mitigation and adaptation. One of the key priorities of the Ministry is conservation of forest and biodiversity schemes such as Green India Mission, National Afforestation Programme and CAMPA initiatives aimed to expand forest and tree cover, regenerate degraded landscapes and strengthen ecosystem services. These initiatives not only protect biodiversity but also generate livelihood for forest-dependent communities. Another important focus area is the protection of wildlife and fragile ecosystem. Through programs like Project Tiger, Project Elephant and Integrated Development of Wildlife Habitats, the Ministry is working to preserve India's rich fauna and maintain ecological balance. The budget allocation will further strengthen protected areas, wildlife corridors and conservation efforts.

Sir, pollution control and environmental governance remain critical challenges. The Ministry, through institutions such as the Central Pollution Control Board, is working with States to improve air and water quality, monitor environmental standards and manage hazardous substances. Strengthening this regulatory system is essential for protecting public health and ecological sustainability. Air pollution has emerged as one of the most serious environmental and public health challenges facing our country today. Rapid urbanization, industrial emissions, vehicular pollution, construction activities and burning of biomass have significantly contributed to the deterioration of air quality in many cities. Poor air quality not only harms the environment, but also poses severe risk to the health of millions of citizens, particularly, children and the elderly. The situation in the capital city of Delhi and NCR region is more alarming. In November, 2025, air quality in the NCR remained in the 'severe' and 'severe plus' categories for several days making the Government to impose emergency restrictions.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Please conclude.

DR. M. DHANAPA: Therefore, there is an urgent need for coordinated and sustained efforts by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Government of Delhi and neighboring States to implement effective pollution control measures and strengthen the monitoring system. Sir, one last point.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका समय समाप्त समाप्त हो गया है। डा .अजित माधवराव गोपछड़े।

डा .अजित माधवराव गोपछड़े (महाराष्ट्र): महोदय, आज मैं इस गरिमामयी सदन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हूँ। महोदय, आज जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, तो यह केवल पेड़ों को लगाने का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी

आने वाली पीढ़ियों के लिए हेल्थ सिक्योरिटी सुनिश्चित करने का भी विषय है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण, वन और जलवायु का संबंध सीधा मनुष्य जीवन से है। हमारी आने वाली पीढ़ी को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। आज सुबह प्रधान मंत्री जी ने अपने वेबिनार में आयुर्वेद पर संशोधन के बारे में सबको जागरूक किया। आज सुबह मोदी जी ने geriatrics विषय पर सारे देश को यह दिखा दिया कि हमारा जागृत होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जो-जो माता-पिता वृद्ध होने वाले हैं, उनकी सेवा करने वालों की भी हमें अगले 20 सालों में जरूरत है। महोदय, मैं जब नॉर्थ-ईस्ट में प्रवास करता हूँ, तो देखता हूँ कि प्रकृति का सबसे बड़ा आशीर्वाद ईशान्य की जनता को मिला है।

5.00 P.M.

वहाँ की आयु comparatively हम लोगों से ज़्यादा है। प्रकृति के आशीर्वाद से वहाँ के हमारे भाई-बहन स्पोर्ट्स में हमारे देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। आज महानगरों में रहने वाले हमारे स्कूलों के बच्चों और बेटियों में कई तरह की समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं - जैसे जल्दी माहवारी आना, बच्चों के बाल सफेद होना, बाल झड़ना, obesity बढ़ना, early diabetes होना और बच्चों में Endocrine and Metabolic Disorders होना, ऐसी महामारियां फैल रही हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, जंगलों का रक्षण करें और निसर्ग, जो भगवान है - जो लोग निसर्ग के सान्निध्य में रहते हैं, उनका जीवन बहुत सुखमय होता है।

यह भी देखा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण और climate change की वजह से आने वाली पीढ़ियों में प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। लेकिन जो लोग जंगल और निसर्ग के करीब रहते हैं, उनमें ऐसे लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य बृज लाल जी ने जियो-टैगिंग की बात कही। उसमें उन्होंने महाराष्ट्र के बदलापुर के जामुन का उदाहरण दिया। हमारे मराठवाड़ा में ज्वार की एक विशेष किस्म है, जिसे दगड़ी ज्वार कहा जाता है, वहां बेर है। धर्माबाद की मिर्ची प्रसिद्ध है, तुलजापुर की बकरी और भेड़ का दूध प्रसिद्ध है, कुंतलगिरी का पेड़ा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बिहार में लीची और मखाना प्रसिद्ध है। मेघालय की हल्दी में कुरकुमिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये सभी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायक होती हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें जंगलों और वनों को सुरक्षित रखना होगा और पर्यावरण की रक्षा करनी होगी।

महोदय, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल टूरिज्म की बात की है। पंचकर्म, पंचगव्य चिकित्सा, निसर्ग उपचार और आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में हुआ है। इसके माध्यम से मेडिकल टूरिज्म की भी अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह के वेबिनार में की है। साथ ही, उन्होंने सभी चिकित्सकों और पैरामेडिकल क्षेत्र के विशेषज्ञों से यह अपेक्षा व्यक्त की है। इसका सीधा संबंध पर्यावरण, जंगलों और जड़ी-बूटियों से है। यह हिंदुस्तान के मेडिकल टूरिज़्म के माध्यम से इकोनॉमी को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है।

महोदय, यदि भारत में पर्यावरण संरक्षण की case history देखें, , तो 2014 से पहले की तस्वीर बहुत धुंधली और निराशाजनक थी। उस समय की सरकार के पास न स्पष्ट नीति थी और न नीयती थी। विपक्ष के मेरे साथियों के लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँः

"वे मंजिलें भी खो गईं, वे रास्ते भी खो गए,
जो कल तक रहनुमा थे, वे आज खुद ही सो गए।"

हम देख रहे हैं कि इस सभागृह में उनमें से कोई भी नहीं है।

"दावा तो बहुत किया था गुलशन को सजाने का,
मगर जब वक्त आया तो कांटे बोकर वे चले गए।"

महोदय, 2014 से पहले पर्यावरण मंत्रालय को अक्सर एक अवरोधक मंत्रालय माना जाता था। यूपीए सरकार के दौरान फाइलें वर्षों तक धूल फांकती रहती थीं। 2012-13 में इस मंत्रालय का बजट लगभग 2,430 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 3,769 करोड़ रुपये किया गया है। यह माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व का परिणाम है।

महोदय, हमारे फेफड़े इस प्रदूषित हवा से, मौन महामारी, जिसे silent pandemic कहते हैं - पिछली सरकार के समय वायु गुणवत्ता की निगरानी नाम मात्र की होती थी। लेकिन अब मोदी सरकार ने National Clean Air Programme के माध्यम से डेटा आधारित अभियान शुरू किया है। आज देश में लगभग 1,600 निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें 550 से अधिक रियल-टाइम स्टेशंस शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप 103 शहरों में PM10 स्तर में उल्लेखनीय कमी आई है और 25 शहरों में 40 प्रतिशत से अधिक की कमी हासिल की गई है। हम केवल बातें नहीं करते, बल्कि परिणाम भी देते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस बजट में 1,051 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विपक्ष के साथियों को शायद ये आंकड़े पसंद न आएँ, क्योंकि उन्हें केवल कमियाँ ढूँढ़ने की आदत है। उनके लिए मैं एक और शेर कहना चाहता हूँः

"दोष दूसरों के सर पर डालना बहुत आसान होता है,
खुद की कमियों को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है।
हमने तो दरिया की धारा बदल दी अपनी मेहनत से,
सिर्फ किनारे पर बैठना बहुत आसान होता है।"

महोदय, हमारे मंत्री जी के लिए सबको तालियाँ बजानी चाहिए। उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। तब तक 26 रामसर स्थल थे। Ecological diplomacy के माध्यम से वे 98 हो चुके हैं। अभी Indore-Udaipur का जिक्र हुआ। Ramsar Wetland city भी घोषित हुआ है। उस समय विजन की कमी थी। अभी विजन आया है, visionary leader आया है। Global Forest Resources Assessment के माध्यम से कुल वन क्षेत्र दुनिया में नौवें और शुद्ध वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। नगर वन योजना के तहत 654 करोड़ की लागत से 620 शहरी वन परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। Project Tiger

के माध्यम से 1,700 से बढ़कर 3,682 तक हम आ गए हैं। हमारे जंगली बाघ 75 टके बढ़ चुके हैं। कचरा प्रबंधन केवल नगरपालिका का काम नहीं, बल्कि इसको भी हमने circular economy में बदल दिया है। Plastic, e-waste, battery, tyre के लिए Extended Producer Responsibility का ढांचा तैयार किया है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत एक जन आंदोलन किया है और इसके तहत 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इसमें 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया है। जन शक्ति से जल शक्ति और जल शक्ति से वन शक्ति का मंत्र हिंदुस्तान में छाया है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि यह एक दिखावा है। जो खुद कुछ नहीं कर पाए, उन्हें दूसरों की मेहनत दिखावा ही लगती है। उनके लिए और एक शेयर पेश करना चाहता हूँः

"तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है।
मगर ये आंकड़े झूठे हैं, यह दावा किताबी है।
हमने जमीन पर उतर कर, हरियाली सजाई है।
तुम्हारे दौर में तो बस कागजों पर तबाही-तबाही दिखती है।"

महोदय, विपक्ष हमेशा जनजातीय अधिकारों की बात करता था। यूपीए के समय 15 से 16 लाख पट्टे वितरित किए गए। अभी हमारे भूपेन्द्र यादव जी के नेतृत्व में 25 लाख पट्टे वितरित किए जा चुके, जो कि 60 परसेंट की वृद्धि मानी जाती है।

महोदय, भूपेन्द्र यादव जी के नेतृत्व में biotechnology, economy, environment, employment को मंजूरी दी गई है और 2030 तक 300 अरब डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। CAMPA Fund का सदुपयोग भी सुनिश्चित किया गया है। यह बजट, ये अनुदान मांगें केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं है। यह विकसित भारत 2047 की एक नींव है। मैं एक डॉक्टर के रूप में देखता हूँ कि भारत का भविष्य स्वस्थ है, हरा भरा है और सुरक्षित है। विपक्ष के साथियों से मेरी विनम्र अपील है कि वे राजनीति के संकुचित चश्मे को उतार कर राष्ट्रहित में इस प्रयास का समर्थन करें। आज वे पीठ दिखाकर भाग गए हैं, लेकिन याद रखिए कि बाहर की पूरी जनता आपको देख रही है, इसलिए और एक बार आपको मैं यह बताना चाहता हूंः

"तूफान में कश्तियां निकालने का हुनर हम जानते हैं।
बंजर जमीन से सोना उगाने का हुनर हम जानते हैं।
मोदी जी के नेतृत्व में यह नया भारत है
हर मुश्किल को मुकाम बनाने का हुनर हम जानते हैं।"

यह भी हमारे मंत्री जी के लिए पेश करना चाहता हूँ। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के दौर में कचरा समस्या थी। मोदी सरकार ने उसे waste to wealth बना दिया। कांग्रेस ने नीतियां बनाईं, लेकिन लागू नहीं कीं। मोदी सरकार ने नीतियों को परिणाम में बदला है। जो लोग दशकों तक पर्यावरण पर चुप रहे, आज वही लोग हमें पर्यावरण का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है - विकास भी होगा, पर्यावरण भी बचेगा

और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण की रक्षा केवल भाषणों से नहीं होती, उसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए और आज यह भारत में मौजूद है। मोदी सरकार ने साबित किया है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि साझेदार हैं। कांग्रेस ने दशकों तक समस्या देखी, लेकिन मोदी सरकार ने समाधान दिया है। मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँः

"मर्ज पुराना था मगर हकीमों को फुर्सत न थी,
फाइलें तो बहुत थीं पर काम करने की नीयत न थी।
2,400 करोड़ में तुम सिर्फ कागजों पर बाग लगाते रहे,
हमने *3,700* करोड़ में ज़मीनें बदलीं क्योंकि हमारी नीयत साफ थी।
सच का सामना करने का तुममें अब वह दम कहां,
इल्जाम तो बहुत हैं पर उन पर कोई मरहम कहां?
तुमने तो सिर्फ नींव खोदकर छोड़ दी थी दशकों तक,
हमने इमारत भी खड़ी की अब बताओ तुम्हारा ग़म कहाँ?
जहां बाघों की दहाड़ कभी खामोश हो रही थी,
वहां आज हर जंगल में एक नई सुबह हो रही है।
1,700 से *3,600* तक का यह शानदार सफर है,
यह गवाही है कि मोदी सरकार की कोशिश कितनी असरदार रही है।"

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ किः

'एक पेड़, जो माँ के नाम लगा, वह दुआ बन गया,
प्रदूषित हवाओं के शहर में ठंडी हवा बन गया।
करोड़ों हाथों ने जब थामी है विकास और प्रकृति की डोर,
तो यह अभियान विकसित भारत की एक नई अदा बन गया।
साँस लेने के हक को तो तुमने मुख्य संकट बना रखा था,
प्रदूषण के ज़हर को हर शहर में सजा रखा था,
हमने डेटा और टेक्नीक की हवाओं का रुख बदल दिया, क्योंकि
हमने हर नागरिक के स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बना रखा था।'

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र से आता हूं। सह्याद्री की पहाड़ियों से लेकर विदर्भ के जंगलों तक प्रकृति की रक्षा का संकल्प हर दिल में जलता है और जब विकास और पर्यावरण साथ-साथ चलते हैं, तभी एक सशक्त और हरित भारत बनता है। ...(**समय की घंटी**)... मैं इसीलिए प्रधान मंत्री जी और माननीय भूपेन्द्र यादव जी का मन से अभिनन्दन करना चाहता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Thank you. The next speaker is Shri Ravi Chandra Vaddiraju, you have three minutes.

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU (Telangana): Hon. Vice-Chairman, Sir, I thank you for allowing me to participate in this vital discussion on the Working of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. As we march towards Viksit Bharat 2047, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change is no longer a 'clearance Ministry', it is the 'conscience' of our developmental journey. I congratulate the Government of India's global leadership in the International Solar Alliance and the Global Biofuels Alliance. Our nation is one of the few G-20 countries on track to meet its Paris Agreement goals. Coming to balancing industry and ecology, Sir, I come from Telangana, a State that powers the nation through its coals and minerals. We understand that 'Green Growth' cannot happen by ignoring the 'Energy Capital'.

As regards sustainable mining, my district, Bhadradri Kothagudem is home to the historic Singareni Collieries. I urge the Ministry to further streamline the Parivesh 2.0 portal. We need a 'Single Window' that does not just grant clearances but also provides technical handholding for Mine Closure Plans and Overburden (OB) Dump Plantation.

Coming to Mission LiFE in Rural India, while Mission LiFE is a great global brand, we must ensure its benefits reach the tribal heartlands. I suggest the Ministry incentivize "Nature-Based Products" — specifically supporting the MSMEs and R&D firms that focus on sustainable energy and bio-products. This will turn conservation into a source of livelihood for our youth.

As for regional concerns in Telangana's Green Cover, Sir, I must mention the Telangana Ku Haritha Haram, KCR*ji* ने बहुत अच्छा develop किया, crores of plantations लगाया, 7 परसेंट ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए। Shri Santosh Kumar, MP, Green India Challenge के लिए और केसीआर जी ने बहुत अच्छा green cover develop किया है। With regard to CAMPA Funds, I request the hon. Minister to ensure timely release and flexible utilization of CAMPA funds for State-specific forest restoration. As regards human-wildlife conflicts, in regions like Kothagudem and Manuguru, forest fringes often see conflicts. We need more funds for modernized solar fencing and rapid compensation for our farmers.

One more thing, Sir, due to the disturbance in ecological balance, we are today facing a strange and terrifying problem in Telangana - the monkey menace. Monkey menace causes severe economic devastation to the farming community. In our State, monkeys are descending upon villages and raiding agricultural fields. They

Contents Page

are completely destroying vegetables, maize, flowers, fruit orchards and mango gardens that farmers have cultivated with immense hard work. As a result, the farming community is sinking into severe financial distress. Protection of children - Sir, it is not just about the crops, monkeys are intruding into homes and attacking toddlers and infants. ...(Time-bell rings)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Thank you.

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU: Sir, please give me one minute. Children are suffering grievous injuries due to monkey bites. People are living in a state of constant fear and anxiety, whether they are staying indoors or moving outside.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Thank you.

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU: Sir, I am coming to solution. This is not merely a State-level issue. The Central Government must recognize this as a critical 'Human-Wildlife Conflict'. Special funds must be allocated for the establishment of Monkey Rehabilitation Centres. CAMPA funds should be diverted towards planting 'fruit-bearing trees' within the forests to ensure that their food requirements are met in their natural habitat. Monkeys की वजह से, farmers' का loss हो रहा है। सर, आप इसके लिए माननीय मंत्री जी से बोल दीजिए। Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Thank you. The next speaker is Shrimati Maya Naroliya. You have six minutes.

श्रीमती माया नारोलिया (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर हो रही इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, आज भारत माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल अपनी सीमाओं के भीतर पर्यावरण संरक्षण कर रहा है, बल्कि पारिस्थितिक कूटनीति के माध्यम से विश्व का मार्गदर्शन भी कर रहा है।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से आती हूँ, जहाँ माँ नर्मदा मैय्या कलकल बहती है। माँ नर्मदा मैय्या के दोनों तटों पर प्रचुर मात्रा में औषधि, वनस्पति पाई जाती है, जिसकी पहचान वहाँ के स्थानीय निवासियों को होती है। उन वनस्पति औषधियों का प्रयोग विभन्न प्रकार के रोगों से निजात दिलाता है। इसके अलावा, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम भी करता है। हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक में, जहाँ माँ नर्मदा मैय्या का उद्गम स्थल है, माई की बगिया के घने जंगलों में औषधियों का भंडार है। वहाँ के स्थानीय निवासी उन वनों की उपयोगी वनस्पति के माध्यम से अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा दिलाती हैं। वहाँ पर एक प्रकार का आँखों का ड्रोप मिलता है। वहाँ पर गुलबकावली पौधा बहुत

मात्रा में पाया जाता है। वह ड्रोप आँखों में डालने से मोतियाबिंद भी दूर होता है। नर्मदापुरम जिले में पंचमढ़ी पर्यटक और दर्शनीय स्थल के साथ-साथ वनस्पति औषधीय से हमारा जंगल भरपूर है। माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश से भलिभांति परिचित हैं। पंचमढ़ी के घने जंगलों में विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे, औषधीय पौधे एवं अन्य प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा दिलाने के साथ-साथ वहाँ के घने जंगलों से आच्छादित होती हैं। वहाँ का माहोल पर्यटकों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है।

मैं माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण और कूनो के जंगल में जो शिशु शावकों की किलकारी गूँजती है, यह माननीय मंत्री जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। उन्होंने वहाँ पर बाघों के संरक्षण के लिए काम किया है।

माननीय महोदय, किसी भी नीति की गंभीरता उसके बजट आवंटन से झलकती है। यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2012-13 में इस मंत्रालय को लगभग 2,430 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। इसके विपरीत हमारी सरकार ने 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर 3,759.46 करोड़ किया है। यह वृद्धि नीतिगत दायरे के विस्तार और कार्यक्रमों के व्यापक पैमानों को दर्शाती है। वर्ष 2014 में देश में केवल 26 रामसर स्थल थे। 2026 की शुरुआत तक यह संख्या बढ़कर 98 हो गई है। महोदय जी, मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, मध्य प्रदेश के इंदौर को 2025 में भारत का पहला रामसर वेटलैंड सिटी नामित किया गया है। यह जलाशयों और आर्द्र भूमियों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना के रूप में देखने का परिणाम है। हमारे मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे मंत्री जी के संज्ञान में हैं और उन्होंने बहुत अनुकरणीय कार्य मध्य प्रदेश के अंदर भी किए हैं। जैसे कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, 2025 के अनुसार शुद्ध वार्षिक वन क्षेत्र वृधि के मामले में भारत आज विश्व में तीसरे स्थान पर है। साथ ही, बाघों के संरक्षण में हमने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2010 में जहाँ जंगली बाघों की संख्या 1,706 थी, वह नवीनतम डेटा के अनुसार बढ़कर 3,682 हो गई है। आज विश्व के लगभग 75 प्रतिशत जंगली बाघ भारत में सुरक्षित निवास करते हैं। नर्मदापुरम में माँ नर्मदा मैय्या की कृपा से सतपुड़ा के घने जंगलों से हमारी सरकार की नगर वन योजना के तहत 654 करोड़ के निवेश से 620 शहरी वन विकसित करने की स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं का लाभ मेरे क्षेत्र जैसे वनाच्छादित अंचलों को सीधे तौर पर मिल रहा है, जिससे पर्यटन और संरक्षण के बीच एक समन्वय और स्वस्थ संतुलन बना हुआ है। हम भारत सरकार की प्रशंसा करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी निरंतर वनों के संरक्षण, जलवायु और औषधियों के विस्तृत विकास के लिए ध्यान दिया जा रहा है। पूर्ववर्ती शासन के दौरान वायु प्रदूषण के संकट को नजरअंदाज किया गया। हमारी सरकार ने डेटा आधारित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के माध्यम से 103 शहरों में पीएम-10 के स्तर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। एक पेड़ मां के नाम, इस अद्भुत कार्यक्रम के अंतर्गत देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर पेड़ लगाए गए। इस अभियान के तहत जून, 2024 से अब तक 262.4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : धन्यवाद, माया जी।

श्रीमती माया नारोलिया : इसके साथ ही मिशन लाइफ के माध्यम से 6 करोड़ से अधिक प्रतिभागी अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र में परिवेश 2.0 जैसे एकीकृत प्लेटफार्म में पर्यावरण स्वीकृतियों में पारदर्शिता ...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): धन्यवाद। नेक्स्ट माननीय श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी। इस निवेदन के साथ कि अभी स्पेशल मेन्शन भी आने हैं, इसलिए सभी सदस्यों को संक्षेप में अपनी बात रखनी है।

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Sir, today morning, I gave a letter before he went to another meeting. Sir, I am grateful that you have allowed me to speak on this vital subject. Our hon. Minister — I am not just praising him — is a very strong and tough man who ensures protection of the forests and environment. I know his mind. Once I met him for a specific issue. I must congratulate him for the tough stand he took then to protect the forests. I am grateful for that. Sir, I would not take much time. It is a vast subject and one can speak hours together on this. This interlinks not just forests, but irrigation, wildlife, medicinal plants, and many other things, which can be brought under this particular Bill. I know that a very able Minister has been given the responsibility by the hon. Prime Minister to handle this subject.

Sir, coming to the subject, there are major issues. The Karnataka Government unnecessarily blame us MPs. I am also one single MP from the NDA. Yet, they unnecessarily blame us saying that 'these people are not going to raise their voice for Karnataka'. Actually, some of the projects were sanctioned during the period of the Bharatiya Janta Party when it was in power there.

Sir, these people made so many mistakes. The Auditor General of India has given a very strong report against the present Government on how they have handled the projects. A HUDA project that was sanctioned by the Bharatiya Janta Party when Shri Jagadish Shettar was the Chief Minister, for Rs. 8,000 crore, has now been enhanced to Rs. 30,000 crores. The project has not reached even one town. Leave aside Chikkabullapur, Kolar or Tumkur; it has not reached even my home district, Arsikere. That is the position. I can speak volumes. I will not take much of your time. You have cautioned me. I know Mekedatu. Being a former Prime Minister and Irrigation Minister, I know this. On one side, the forest land is going to be submerged. Every day, there is death of elephants. He gets report every day. Not a single day is left when there is no death. In one village or the other, in my home State of Chikmagalur, Shimoga, Hassan, etc., every day, rogue elephants are moving in search of food and are destroying crops. Not only that, they kill people who are

working in fields. This is the one side. On the other side, there is drinking water problem people are facing. In Bengaluru, sewerage water is lifted and sent to Chikkaballapur and Kolar for the purpose of human consumption. Your goodself knows that a certificate has been given by the Department concerned that it is not usable for consumption. Your goodself knows it. I do not want to make any comment on that. The situation is very complicated. I do now know how to solve the problem. I will leave it to the hon. Prime Minister as well as to the hon. Minister. You are strong enough to handle this. Please do what best you can to find a solution for the farmers who are dying every day on account of rogue elephants. On the other side, elephants are searching for food because the forest area is going to be submerged by the irrigation dam. This is the position. I just want to bring it to your kind notice. It is a vast issue. We can speak for hours together. But you have cautioned me. You have given me limited time only. Thank you very much for having given me this much time to express my views, particularly on this very important subject. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): बहुत धन्यवाद। चूंकि स्पेशल मेंशंस आने थे, इस नाते आपसे निवेदन किया गया। माननीय मंत्री जी कल इसका उत्तर देंगे।

अब हम स्पेशल मेंशंस लेंगे। डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे।

SPECIAL MENTIONS

Need to recognise Neurofibromatosis Type 1 (NF1) under the National Policy for Rare Diseases

DR. ANIL SUKHDEORAO BONDE (Maharashtra): Sir, I draw attention of the Government to the need for formal recognition and systematic care for patients with Neurofibromatosis Type-1 (NF1), a rare and complex genetic condition, affecting approximately 1 in 3,000 to 5,000 people. NF1 often begins in childhood and causes tumours, bone abnormalities, learning disabilities and, in many cases, Plexiform Neurofibromas (PN), a progressive nerve sheath tumours that can lead to pain, disfigurement and life-threatening complications.

The psychosocial impact is profound, with patients facing stigma, bullying, isolation and deep emotional distress. Despite this, NF1 remains under-recognised in India's health policy, including the National Policy for Rare Diseases (NPRD). This lack of recognition restricts access to multidisciplinary care, innovative therapies, financial assistance and structured rehabilitation. Current disability assessment

Contents Page

frameworks also fail to capture the invisible and fluctuating impairments caused by NF1. Scientific progress now offers effective and targeted therapies for inoperable Neurofibromatosis. Yet, without NPRD inclusion, such treatments remain inaccessible for most Indian patients. I urge the Government to formally include NF1 under the NPRD to enable standardized care at the Centres of Excellence, treatment funding, structured referrals, patient registries and advocacy support. This is a public health and moral imperative. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by Dr. Anil Sukhdeorao Bonde: Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat) and Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra).

Now, Shri Pramod Tiwari - not present. Shri Babubhai Jesangbhai Desai.

Need to mitigate the impact of urban heat waves and accelerate climate adaptation measures in Indian cities

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई (गुजरात)ः महोदय, देश में बढ़ती शहरी ताप-लहरों की चुनौती के कारण हरित आवरण में कमी, तीव्र कंक्रीटीकरण, बदलते जलवायु पैटर्न के कारण भारतीय शहर अत्यधिक गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। शहरी गर्मी का प्रभाव जनस्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम भी हैं। लंबे समय तक अत्यधिक गर्मी के संपर्क में रहने से श्रमिकों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है, शीतलन के लिए बिजली की मांग बढ़ रही है और शहरी अवसंरचना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। वेतनभोगी, श्रमिक, बुजुर्ग नागरिक तथा बच्चे जैसे कमजोर वर्ग अधिक जोखिम में रहते हैं। सरकार ने जलवायु अनुकूलन रणनीतियों, शहरी वानिकी पहल और अवसंरचना को बढ़ावा देने जैसी योजनाएँ प्रारंभ की हैं, परन्तु शहरी स्तर पर ताप-नियंत्रण उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को और गति देने की आवश्यकता है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को व्यापक शहरी ताप कार्ययोजना अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही छतों एवं सामुदायिक हरित क्षेत्र विकसित करने, शहरी वनों के विस्तार, परावर्तक निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने तथा विकास कार्यक्रमों में जलवायु-सहिष्णु शहरी नियोजन को समाहित करने पर विशेष बल दिया जाए। पर्यावरण, आवास एवं शहरी कार्य, विकास तथा स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर दीर्घकालिक जलवायु सहनशीलता को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत में तीव्र शहरीकरण के साथ-साथ सतत एवं जलवायु-संवेदनशील नियोजन को सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि शहर आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने योग्य, उत्पादक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित बने रहें।

Contents Page

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by Shri Babubhai Jesangbhai Desai: Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat) and Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra).

Now, Shri Akhilesh Prasad Singh - not present. Now, Dr. K. Laxman.

Need to protect the integrity of India's R&D Ecosystem

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Sir, under the leadership of our hon. Prime Minister, India's innovation ecosystem has seen major progress. Patent filings have increased by over 200 percent in the last decade. India has also steadily improved its position in the Global Innovation Index. New India is moving from "brain drain" to "innovation gain". However, there is a serious concern that needs attention. Data from the India Patent Office shows a large difference in patent quality. Our IITs and IISc maintain grant rates of over 40 percent. But some private universities are filing patents on a massive scale, in some cases more than all IITs combined, yet their success rates are only between 0.08 and 1 per cent. The problem lies in the incentive structure. With the 80 percent fee reduction, a patent-filing costs only Rs. 1,600. At the same time, Government schemes provide incentives or grants up to Rs. 2 lakhs per domestic patent filing meaning a 125-times return. This may encourage filing low-quality patents just for financial or ranking benefits.

To ensure that the Prime Minister's vision of '*Anusandhan*' is not diluted, I urge the Government to (i) introduce a 'Success Floor'; (ii) move the bulk of financial reimbursements to the 'Post-Grant' stage rather than the 'Post-Filing' stage; (iii) direct the National Institutional Ranking Framework (NIRF) to reduce weightage for 'Patents Filed' and significantly increase weightage for 'Patents Granted' and 'Patents Licensed' in institutional rankings. Let us reward the quality of the invention, not just the quantity of applications. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Dr. K. Laxman: Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana) and Dr. Bhim Singh (Bihar).

Now, Shri Raghav Chadha.

Demand to Open UDAN Yatri Cafes at departure-hold-area in all airports of the country

श्री राघव चड्ढा (पंजाब): सर, हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि airports पर खाने-पीने की चीज़ें बेहद महंगी होती हैं। सरकार ने जनता की परेशानियाँ देखते हुए UDAN Yatri Cafe की शुरुआत की, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ 10 रुपए की चाय और 20 रुपए का समोसा जैसी सस्ती चीज़ें मिल सकें, लेकिन आज ground-realities कुछ और भी हैं।

आज देश में लगभग 150 से ज़्यादा airports हैं, लेकिन UDAN Yatri Cafe अभी तक केवल 10-12 airports पर शुरू हो पाए हैं। इसकी सुविधा कुछ एयरपोर्ट्स तक ही सीमित है। आम तौर पर passenger check-in और security check कराने के बाद waiting-area में अपनी boarding का इंतज़ार करता है, जहाँ उसे खाने-पीने की चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, लेकिन airports पर ये cafe check-in और security से पहले बनाए गए हैं, जिसका passenger को ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, क्योंकि check-in से पहले तो passenger बाहर से भी खाने-पीने की चीज़ें ले सकता है। असली जरूरत तो departure hold-area और boarding-zone में होती है, जहाँ passengers को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है और वहाँ ये cafes होते नहीं हैं। इसके अलावा कई जगहों पर limited counters होने की वजह से लंबी लाइनें लग जाती हैं, खासकर peak travel-time में। Limited menu options और capacity constraints के कारण इनकी accessibility limited हो जाती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि हर छोटे-बड़े airport पर, खासकर check-in और security के बाद वाले areas में ऐसे cafes शुरू किए जाएँ और passengers को बेहतर food-options मिलें, ताकि air-travel सच में affordable बन सके। जय हिंद!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): The hon. Member, Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), associated himself with the Special Mention made by hon. Member, Shri Raghav Chadha.

Now, Shri Ryaga Krishnaiah, not present; Dr. M. Thambidurai, not present; Shri Sanjay Seth, not present; Shri P. Wilson, not present; Shri Sat Paul Sharma.

Concern over road safety on national highways in the Union Territory of Jammu and Kashmir

श्री सत पाल शर्मा (जम्मू-कश्मीर): मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में नेशनल हाईवे पर सड़क सुरक्षा की चिंताजनक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में नेशनल हाईवे पर कई कीमती जानें गईं और बहुत-सी दुर्घटनाएं हुईं, जो इन महत्वपूर्ण सड़क गलियारों पर गंभीर और लगातार सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करता है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि सभी चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य है और दुर्घटना संभावित जगहों की

Contents Page

पहचान e-DAR सिस्टम के माध्यम से की जाती है, लेकिन इसे लागू करने में गंभीर कमियां हैं। खासकर पहाड़ी और दुर्घटना संभावित हिस्सों में क्षतिग्रस्त या गायब क्रैश बैरियर, देरी से बदलाव, अपर्याप्त साइनेज, असुरक्षित डिवाइडर और त्वरित प्रतिक्रिया सुरक्षा उपायों की कमी है। कई मामलों में, क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियर महीनों तक बिना मरम्मत के पड़े रहते हैं, जिससे यात्रियों को सीधा खतरा होता है और जानलेवा दुर्घटनाएं होती हैं। नेशनल हाईवे पर मुश्किल इलाके और तेज रफ्तार ट्रैफिक को देखते हुए, क्रैश बैरियर और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर वैकल्पिक नहीं, बल्कि जीवन बचाने की जरूरतें हैं।

मान्यवर, सड़क सुरक्षा सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह इंसानी जिंदगियों का मामला है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह जम्मू और कश्मीर में नेशनल हाईवे पर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को प्राथमिकता दे, ताकि और जान-माल का नुकसान रोका जा सके।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Sat Paul Sharma: Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur) and Shri Amar Pal Maurya (Madhya Pradesh).

Need for better safety standards in vehicles

सुश्री स्वाति मालिवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। 2024 में देश में लगभग 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाएँ हुईं और 1.7 लाख लोगों की जानें गईं। हमारे देश में हर दिन लगभग 485 लोग सड़कों पर अपनी जान गंवाते हैं। इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद, देश में car के safety features आज भी luxury items माने जाते हैं। अमेरिका में 1998 से हर car में airbags अनिवार्य हैं, लेकिन भारत में आज भी कई popular cars के base models, जो सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं, उनमें केवल 2 airbags होते हैं, जबकि उसी car के महंगे models में 6 या उससे अधिक airbags होते हैं। हमारे यहां safety एक ऐसा feature है, जिसके लिए extra pay करना पड़ता है। सरकार ने 2023 में Bharat New Car Assessment Programme (BNCAP) शुरू किया, ताकि cars की crash safety testing करके उन्हें star ratings दी जा सके। यह अच्छा कदम है, लेकिन BNCAP के तहत crash testing अभी भी mandatory नहीं है। कई बार वही कंपनियां जो यूरोप और अमेरिका में बहुत सुरक्षित गाड़ियां बेचती हैं, भारत में उसी मॉडल के कम सुरक्षित versions बेचती हैं।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि सभी cars में 6 airbags mandatory हों, BNCAP crash testing और safety ratings को सभी cars के लिए mandatory बनाया जाए और जो कंपनियां विदेशों में सुरक्षित गाड़ियां बेचती हैं, वही safety standards भारत में बिकने वाली सभी गाड़ियों पर भी लागू किए जाएँ।

Contents Page

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): The hon. Member, Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), associated himself with the Special Mention made by the hon. Member, Ms. Swati Maliwal.

Demand for a revolutionary change in Elder Care at national level

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश) : महोदय, आज हमारे देश का युवा काम के लिए सात समंदर पार या दूसरे राज्यों में जा रहा है और पीछे हमारे बड़े-बुजुर्ग अकेलेपन और बीमारियों से जूझ रहे हैं। मेरा प्रस्ताव एक ऐसी 'राष्ट्रीय वृद्धजन सेवा क्रांति' का है, जो चैरिटी संस्थाओं, उद्यमियों, केंद्र और राज्य सरकारों को एक साझा मंच पर लाएगी। हम केवल 'अस्पताल' या 'वृद्धाश्रम' नहीं बनाएंगे, बल्कि विश्व स्तरीय 'जेरियाट्रिक केयर इंस्टीट्यूशंस' (Geriatric Care Institutions) का निर्माण करेंगे। ये केंद्र ऐसे 'खुशहाल परिसर' होंगे जहाँ लम्बी बीमारियों (Long-term illnesses), ऑपरेशन के बाद की देखभाल (Post-treatment care) और फिजियोथेरेपी की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो। यह केवल ईंट-पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति और मूल्यों से ओत-प्रोत 'आनंद धाम' होंगे, जहाँ योग, सत्संग और सामूहिक गतिविधियों के जरिए बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे। यहाँ बुजुर्गों को समाज से अलग-थलग नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदारी के साथ रखा जाएगा।

इस बुनियादी ढांचे को चलाने के लिए हमे कुशल हाथों की आवश्यकता है। इसलिए, मैं 10 लाख युवाओं (बेटे और बेटियों) के लिए एक विशेष 'केयरगिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम' का प्रस्ताव करती हूँ। इन्हें न केवल चिकित्सा सहायता, बल्कि संवेदनशीलता और बुजुर्गों के मनोविज्ञान की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह पहल न केवल हमारे बुजुर्गों को एक सुरक्षित कवच देगी, बल्कि हमारे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए और सम्मानजनक द्वार भी खोलेगी।

जब हमारे बुजुर्ग मुस्कुराएंगे, तभी हमारा राष्ट्र वास्तव में विकसित कहलाएगा। मैं सरकार से इस विजन को साकार करने हेतु समर्थन का आग्रह करती हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): The hon. Member, Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), associated herself with the Special Mention made by the hon. Member, Shrimati Sumitra Balmik.

Shrimati Jebi Mather Hisham. Not present. Shri Ramji Lal Suman. Not present.

The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Tuesday, the 10th March 2026.

The House then adjourned at forty-seven minutes past five of the clock till eleven o the clock on Tuesday, the 10th March, 2026.

Contents Page

Published Under Rule 260 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha)